लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र]

Ninth Session

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXIV contains Nos. 11 to 20]

लोक–सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 15, शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 1969/14 अग्रहायण, 1891 (शक)

No. 15, Friday, December 5, 1969/Agrahayana 14, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
421. अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 107 का राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध दुरुपयोग	Misuse of Section 107 of the Criminal Procedure Code against Political workers ..	1—4
425. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पदों में उन्हीं समुदायों के व्यक्तियों की नियुक्ति	Filling up of Posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by Members of that Community ..	5—12
426. विभिन्न विदेशी संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति आदि दी जाना	Scholarships, Fellowships etc. Granted by various Foreign Institutions ..	12—16
429. एशिया तथा सुदुरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग द्वारा प्रारम्भ की गई एशियाई राजपथ परियोजना	Asian Highway Project undertaken by ECAFE ..	16—20
430. पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Statement by Deputy Chief Minister of West Bengal	20—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
422. किसानों के लिये मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान	Weather Forecasting for Farmers	22—23

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
423. कार्मिक संघ (पश्चिम बंगाल संशोधन विधेयक	Trade Unions (West Bengal Amendment) Bill ..	23
424. भाषा-प्रयोगशालाओं की स्थापना और विकास	Establishment and Development of Language Laboratories ..	23
427. वन्य पशु पर्यटन का विकास	Development of Wild Life Tourism	24
428. न्यूनतम और अधिकतम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियां	Emoluments of Lowest and Highest Paid Government Employees ..	24
431. दिल्ली परिवहन उपक्रम में सुधार करने के लिये उपाय	Measures for Improvement of Delhi Transport Undertaking	25
432. राजनैतिक हत्याऐं	Political Murders	25
433. स्वर्गीय सरदार दर्शन सिंह फेरूमान तथा प्रधान मंत्री के बीच चण्डीगढ़ के बारे में पत्र-व्यवहार	Correspondence between the late Sardar Darshan Singh Pheruman and Prime Minister on Chandigarh Issue	26
434. भारत में तकनीकी प्रशिक्षण के विस्तार सम्बन्धी भारत और ब्रिटेन की समिति	Indo-British Committee on Extension of Technical Training in India	26—27
435. भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का बटवारा	Apportionment of IAS Officers	27
436. ललित कला अकादमी में दलगत राजनीति और गुट-बन्दी	Group Politics and Factional Fight in Lalit Kala Academi ..	27—28
437. 1970 के लिये सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा	Declaration of Public Holidays for 1970	28
438. कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग और हिन्दी में पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करना	Use of Hindi in Offices and Publishing Text Books in Hindi	28—29
439. गुजरात के भूतपूर्व पुलिस इन्सपेक्टर जनरल की बहाली के बारे में निर्णय	Decision regarding Re-instatement of Former Inspector General of Police, Gujarat ..	29—30
440. सहायक मार्गों (फीडर रूट्स) पर गैर-सरकारी व्यक्तियों को विमान सेवायें चलाने की अनुमति देने का प्रस्ताव	Proposal to allow private parties to operate Air Services on Feeder Routes ..	30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
441. नेपाल द्वारा ट्रामवे परियोजना आरम्भ करना	Setting up of Tramway Project by Nepal ..	31
442. महाराजा जयपुर के संग्रहालय से चोरी हुई वस्तुओं की बरामदगी	Recovery of Materials stolen from Museum of Maharaja of Jaipur ..	31
443. प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य मंत्रिमण्डलों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारण की सिफारिश	Ceiling on State Cabinets Recommended by ARC ..	32
444. इम्फाल में प्रधान मंत्री के दौरे के समय दंगे	Riots in Imphal during Prime Minister's Visit ..	32—33
445. लद्दाख के बौद्धों द्वारा आन्दोलन की धमकी	Threat of Agitation by Buddhists of Ladakh ..	33
446. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष की विमान यात्राएं	Air Trips undertaken by Chairman of IAC..	34
447. आसाम के भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against two IAS officers of Assam ..	34
448. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को रोजगार	Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	35
449. केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान की प्रयोगशालाओं पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय	Expenditure incurred on Laboratories under CSIR in Excess of Allocation ..	35—36
450. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में परिवहन सेवा	Transport Service in Union Territory of Delhi ..	36
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2801. अहमदाबाद में कैमरों तथा उनकी फ्लैशगनों सहित पकड़े गये व्यक्ति	Persons apprehended with Cameras and Flash Guns in Ahmedabad ..	37
2802. एजल टाउन में बम विस्फोट	Bomb Explosion in Aijal Town	37
2803. कलकत्ता में ब्रिटिश पत्रकार की गिरफ्तारी	Arrest of British Journalist in Calcutta	37—38

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2804. चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सड़क परिवहन से राजस्व	Revenue from Road Transport during Fourth Plan Period	38—39
2805. पुस्तकों की खरीद के लिए विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुदान	Grants to Universities by University Grants Commission for buying Books ..	39—40
2806. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के निष्कर्ष	Findings of Central Bureau of Investigation Inquiry against an Official of Indian Airlines Corporation	40—41
2807. गुजरात में विभिन्न पर्यटन स्थानों में कम व्यय में रहने का प्रबन्ध	Arrangement for Cheap Lodging at various Tourist Places in Gujarat ..	41—42
2808. ग्राम्य सड़क समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations made by Rural Roads Committee ..	42
2809. दिल्ली परिवहन की बसों के बोर्डों पर रूट नम्बर	Route numbers written on Boards of DTU Buses ..	43
2810. हिन्दी के प्रचार पर व्यय हुई धनराशि	Amount spent for propagating Hindi	43—45
2811. सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Government offices	45
2812. विशेष विषय के रूप में मैट्रिक तथा इसके बराबर की परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति	Persons passing Matric or Equivalent Examinations with Hindi as Special Subject	45—46
2813. दिल्ली महानगर परिषद में स्थानों के आरक्षण की प्रणाली	Reservation System for Seats in Delhi Metropolitan Council	46
2814. ग्रेट एशियाटिक लाइन्स लिमिटेड, दिल्ली द्वारा जहाजों का लिया जाना	Acquisition of Ships by Great Asiatic Lines Limited, Delhi ..	46—47
2815. गया (बिहार) में धारा 144 के लागू होने के कारण खानों के ठेकेदारों के पट्टेदारी के अधिकार पर प्रभाव	Lease Rights of Quarry Contractors affected due to Promulgation of Section 144 in Gaya (Bihar) ..	48

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2816. गुजरात के बड़ौदा जिले में पर्यटकों की रुचि के स्थानों का विकास	Development of places of Tourist Interest in Baroda District, Gujarat ..	48
2817. तेलंगाना में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की सम्पत्ति की हानि	Damage caused to Central and State Property in Telengana ..	48—49
2818. अहमदाबाद में दंगों के दौरान हरिजनों की जान माल की हानि	Loss of Life and Property of Harijans during Ahmedabad Riots	49
2819. संसद् सदस्यों का नेताजी की मृत्यु के बारे में जांच के लिये सुझाव	M.P's plea for probe into Netaji's Death ..	49—50
2820. झरिया की न्यू स्टैंडर्ड लोदना कोयला खान में एक खनक की मृत्यु	Death of a Miner at New Standard Lodna Colliery, Jharia ..	50
2821. अपील कर्त्ताओं की विमुक्ति	Acquital of Appellants	50
2822. सरकारी उपक्रमों तथा सांविधिक बोर्डों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के स्थान सुरक्षित करने के निर्देश	Instructions to Public Undertakings and Statutory Boards for Reservations of Seats for S.C./S.T.	50—51
2823. प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा राज्य दौरे	States Visited by Prime Minister and other Ministers ..	51
2824. पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak Spies	51—52
2825. ग्वालियर राजघराने की निजी थैली का साम्प्रदायिक तथा समाज विरोधी गतिविधियों के लिये कथित उपयोग	Alleged Utilisation of Privy Purse of Gwalior Household for Communal and Anti Socialistic Activities	52
2826. अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जली तथा फटी हुई गीता के पृष्ठों का मिलना	Burnt and torn pages of Gita found at Aligarh University	52
2827. प्रधान मंत्री के भारत में दौरे	Tours of Prime Minister in India	52—53
2828. वे देश जिनकी वर्ष 1967-69 के दौरान प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा यात्रा की गई	Countries visited by the Prime Minister and other Ministers during 1967-69 ..	53

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2829. बिहार में गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा राइफलें बनाना	Manufacture of Rifles by Private Manufacturers in Bihar ..	54
2830. विदेशी सहयोग से होटलों का विकास	Development of Hotels in collaboration with Foreign Countries ..	54—55
2831. अन्दमान में राजस्व का वसूल किया जाना	Raising of Revenue in Andamans	55
2833. हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर यमुना नदी पर पुल बनाये जाने का प्रस्ताव	Proposal to construct a Bridge over River Jamuna on the Borders of Haryana and Uttar Pradesh ..	55—56
2834. कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण	Separation of Judiciary from Executive	56
2835. उच्च न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हुये मामलों की संख्या में वृद्धि	Increase in cases pending before High Courts ..	56—57
2836. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में औद्योगिक सुरक्षा दल	Industrial security force at Durgapur Steel Plant ..	57
2837. इम्फाल में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाना	Police firing at Imphal	57
2838. दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों की भविष्य निधि के सम्बन्ध में अनियमितताएं	Irregularities in Provident Fund of Employees of Delhi Administration	58
2839. आंध्र प्रदेश में हरिजन बालक का बलिदान	Sacrifice of Harijan Boy in Andhra Pradesh	58
2840. अमरीकी गुप्तचर विभाग तथा विदेशी धर्म प्रचारकों की गतिविधियों में वृद्धि	Increase in Activities of CIA and Foreign Missionaries ..	58—59
2841. शिक्षा का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Education	59
2842. बेरोजगार इंजीनियर	Jobless Engineers	60
2843. अध्ययन और मंत्रोच्चारण के द्वारा वेदों को सुरक्षित रखने की योजना	Scheme to preserve Vedas through study and recitation ..	60
2844. देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and Order Situation in the country ..	61

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2845. क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशें	Recommendations of Review Committee of NCERT regarding appointment of Field Officers ..	61—62
2847. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों में परिवर्तन	Changes in personnel Survey of India	62
2848. भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में कार्य करने वाले कर्मचारी	Employees working in ICCR ..	62—63
2849. जबलपुर में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pak Nationals in Jabalpur	63
2850. सियोनी, रायसेन और बिलासपुर जिलों में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pak Nationals in Seoni, Raisen, Bilaspur Districts ..	63
2851. भोपाल में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pak. Nationals in Bhopal ..	63—64
2852. संसद् सदस्यों की क्रिकेट टीम का इंग्लैण्ड का दौरा	M.Ps. Cricket Team to England	64
2853. अधिक जहाजों के लिये क्रयादेश	Placing of orders for more ships ..	64
2854. युवजन फेडरेशन द्वारा केरल में फालतू भूमि पर कब्जा किया जाना	Capturing of surplus lands in Kerala by Yuvjana Federation	64—65
2855. अवर सचिव और ऊपर के स्तर के हिन्दी जानने वाले अधिकारी	Hindi knowing officers of the rank of Under Secretary ..	65
2856. भारत विकास दल	Bharat Vikas Dal ..	66
2857. पंजाब में भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा	Protection of rights of lingustic minority in Punjab ..	66
2858. दिल्ली को राज्य का दर्जा देना	Statehood for Delhi ..	67
2859. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये राज्यों में केन्द्र द्वारा चलाये जाने वाले कालेजों का खोला जाना	Opening of Centrally run Colleges in States for children of Central Government employees ..	67

2860. हिन्दी सलाहकार की सिफारिशें	Recommendations of Hindi Adviser	67—68
2861. हवाई अड्डों पर भोजन और भोज्य पदार्थों के लिये सस्ती कैंटीनों की स्थापना	Setting up of cheap canteens for Meals and Snacks at Airports ..	68
2862. अमेरिका में अध्ययन यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति	Persons visiting USA on Study Tours ..	68
2863. अल्पसंख्यक समुदायों के लिये दंगा जोखिम बीमा योजना	Riot Risk Insurance Scheme for Minority Communities ..	69
2864. केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों के आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ाना	Suggestions to raise percentage of Reservation for Scheduled Castes and Sheduled Tribes in Central Services ..	69
2865. प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय	Universities imparting Education in Regional Languages	70
2866. भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम के सेनानी	Heroes of India's freedom struggle	70—71
2867. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में आशुलिपिक के रिक्त पद	Vacancies of Stenographers in the Central Secretariat Stenographers Service ..	71—72
2868. पर्यटकों को उपलब्ध की गई सुविधाएं	Facilities Provided to Tourists	72—73
2869. घरेलू नौकरों द्वारा हत्याएं	Murder by Domestic Servants	73
2870. भारत केसरी श्री चन्दगी राम को पुरस्कार	Award to Bharat Kesri Shri Chandgi Ram..	73—74
2871. स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को पेंशन	Pension to Freedom Fighters ..	74
2872. शिक्षण के माध्यम में परिवर्तन	Change in Medium of Instruction ..	74—75
2873. आंध्र प्रदेश में तेलुगु का राज भाषा होना	Telugu as State Language in Andhra Pradesh ..	75
2874. पब्लिक और अन्य स्कूलों की प्रवेश सम्बन्धी नीति	Policy regarding Admission to Public and other schools ..	76
2875. शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएं	Hindi and Modern Indian Languages as Medium of Instruction ..	76—77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2876. यूनेस्को द्वारा भाषा पुस्तकालयों की स्थापना	Setting up of Language Libraries by UNESCO	77
2877. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उप-नियम बनाना	Framing of By laws by National Council of Educational Research and Training ..	78
2878. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना	National Science Talent Scholarship Scheme of National Council of Educational Research and Training	78
2879. रूसी विज्ञान पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद	Translation of Russian Science Books into English ..	78—79
2880. बिहार में सतर्कता आयोग की नियुक्ति	Appointment of Vigilance Commission in Bihar ..	79
2881. एक नये पर्वतीय विश्वविद्यालय के लिये स्थान	Site for a new Hill University	80
2882. कालेज खोलने के लिये त्रिपुरा को सहायता	Assistance to Tripura for Starting of College ..	80—81
2883. नौकाओं में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak. Spies in Boats ..	81
2884. पर्यटन का विकास	Development of Tourism ..	81—82
2885. कलाकृतियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Restrictions in Export of Art objects	82
2886. राष्ट्रीय राजपथों का सर्वेक्षण	Survey of National Highways ..	83
2887. त्रिपुरा में मिजो लोगों द्वारा हमले	Raids by Mizos in Tripura	83—84
2888. राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Incidents in States	84
2889. कर्मचारियों के प्रशासन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	ARC Report on Personnel Administration..	84
2890. गालिब जन्म शताब्दी समारोह	Ghalib Centenary Celebrations	85
2891. शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये शिष्ट मंडल	Delegation sent abroad by Education Ministry	85

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2892. पुलिस की तथा अन्य प्रकार की ज्यादतियों के बारे में हरिजनों के अभ्यावेदन	Representations from Harijans on Police and other Excesses ..	85
2893. उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली ग्रांड ट्रंक सड़क की टूटी फूटी हालत	Dilaptidated condition of Grand Trunk Road Passing through Uttar Pradesh ..	86
2894. कासिमपुर के एक सिविल इन्जीनियर के विरुद्ध केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच	C. B. I. Enquiry against Civil Engineer of Kasimpur ..	86
2895. संसद् में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श	Discussion on report of UGC in Parliament..	86—87
2896. मनीपुर में आन्तरिक स्थिति	Internal situation in Manipur ..	87
2897. केरल में बिम्बानाडू (कायाल पुल	Vembanadu (Kayal Bridge) in Kerala ..	87
2898. भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाना	Extension to IAS/IPS officers ..	88
2899. डा० हो चि मिन्ह की मृत्यु पर पश्चिम बंगाल तथा केरल सरकार द्वारा छुट्टी मनाई जाना	Observance of closed day by West Bengal and Kerala Governments on the death of Dr. Ho Chi Minh ..	88
2900. नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षा व्यवस्था	Security arrangements at National Museum, New Delhi ..	89
2901. हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देना	Statehood for Himachal Pradesh ..	89—90
2902. काश्मीर में पाकिस्तानी गुप्तचरों द्वारा परचे बांटना	Pakistani Spies in Kashmir Distributing hand bills ..	90
2903. पुरातत्वीय विभाग को प्राचीन कलाकृतियों के संरक्षण में बाधाएं	Handicap in protection of ancient art pieces by the Archaeological Department	90—91
2904. विभिन्न राज्यों में पालिटेक्निक स्कूल	Polytechnic schools in various states ..	91
2905. बिहार में गंडक नदी पर डुमरिया पुल का निर्माण कार्य	Construction work on Dumaria bridge over river Gandak, Bihar ..	91—92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2906.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 28 पर निर्माण कार्य	Construction work on National Highway No. 28 ..	92
2907.	विदेशी जहाज कम्पनियों को देय भाड़ा	Freight charges payable to foreign shipping companies ..	92—93
2908.	प्रशासनिक सुधार आयोग का राज्य प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन	ARC Report of State Administration ..	93—94
2909.	द्वारिका तथा ओखा के निकट पाकिस्तानी घुस-पैठियों का पकड़ा जाना	Capture of Pak Infiltrators near Dwarka and Ikha ..	94
2910.	भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे विदेशी विद्यार्थी	Foreign Students studying in Indian Universities ..	94—95
2911.	विदेशी यात्रियों के लिये नाइट क्लब	Night Clubs for Foreign Tourists ..	95
2912.	पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा कमाने का एक अच्छा उद्योग	Tourist Industry A good foreign exchange earning industry ..	96
2913.	पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये टेन पिन बाउलिंग खेल का विकास	Development of Ten pin Bowling Game for attracting tourists ..	96—97
2914.	रेडियो तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योग द्वारा नये उत्पादनों का विकास	Development of new products by Radio and Electronic Industry ..	97
2915.	भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारियों की उपलब्धियां	Emoluments for officers of Indian Economic Service ..	97—98
2916.	दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के मिडिल स्कूलों को दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over the control of DMC Middle Schools in Delhi ..	98
2917.	नेहरू विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में प्रधान मंत्री	Prime Minister as Chancellor of Nehru University ..	98—99
2918.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की देखभाल करने के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति	Appointment of an official to look after International Airports ..	99

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2919. हवाई अड्डों पर लिया जाने वाला प्रवेश शुल्क	Entry fee charged at Air ports ..	99—100
2920. केन्द्रीय स्कूल कोटा (राजस्थान) में पढ़ रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे	Children of Central Government Employees studying in Central School, Kota (Rajasthan) ..	100
2921. विदेशी धर्म प्रचरकों को वीजा देने से इन्कार करने सम्बन्धी नियम	Rules regarding Refusal of Visas to Foreign Missionaries ..	100—101
2922. सतर्कता आयोग को मिली शिकायतें	Complaints received by Vigilance Commission ..	101
2923. मंगलौर बन्दरगाह परियोजना क्षेत्र से परिवारों को काटीपिला पुनर्वास केन्द्र में ले जाना	Transfer of Families from Mangalore Harbour Project Area to Katipila Rehabilitation Centre ..	101—102
2924. छात्रों की यात्राएं	Tours for Students ..	102—103
2925. यूगोस्लॉविया के जहाज निर्माण कारखाने में बनने वाले टैंकर	Tankers Manufactured by Yugoslavia Shipyard ..	103
2926. उत्तर प्रदेश में साहेत माहेत का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Sahet Mahet in Uttar Pradesh as Tourist Place ..	104
2928. उत्तर प्रदेश में नक्सलवादियों की गतिविधियां	Naxalite Activities in U. P.	104
2929. बन्दरगाहों तथा उनकी क्षमता	Seaports and their Capacity	105
2930. भारतीय प्रशासन सेवा तथा अन्य सेवाओं के प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण	Instructions to Trainees of IAS and other Services ..	105
2932. साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा वर्दवान (पश्चिम बंगाल) में आयोजित किसान सम्मेलन	Kisan Conference Organised by Communist Party (Marxist) in Burdwan (West Bengal) ..	106
2933. पोर्ट ब्लेयर स्थित एक कालेज का पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होना	Affiliation of a College at Port Blair to Punjab University ..	107

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2934. कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच जनता विमान सेवा (फ्लाइट) का चलाना	Introduction of Janta Flight between Calcutta and Port Blair ..	108
2936. क्विलोन के निकट पम्बन नदी पर एक पुल का निर्माण	Construction of Bridge over river Pamban near Quilon ..	108
2937. प्रशिक्षित पर्यटक मार्ग दर्शक	Trained Tourist Guides ..	108—109
2938. मनीपुर में मध्यावधि चुनाव	Mid Term Poll in Manipur	109
2939. मनीपुर में ग्राम चौकीदारों के वेतन में वृद्धि	Increase in pay of village chowkidars in Manipur ..	109—110
2940. भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती में कमी करना	Curtailing Recruitment to IAS ..	110
2941. महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों के अधिक अच्छे परिक्षण और संधारण के लिये कार्यक्रम	Programme for better preservation and maintenance of important historical monuments ..	110—111
2943. संसद् सदस्यों के विशेषाधिकारों का संहिताकरण	Codification of Privileges of Members of Parliament	111
2944. विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली शोध छात्र-वृत्तियां	Research Scholarships offered by foreign universities ..	111—112
2946. बम्बई के हवाई अड्डे का विस्तार	Expansion of Bombay Airport ..	112
2947. एशियाई महापत्र समन्वय समिति	Asian Highway Co-ordinating Committee ..	112—113
2948. नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against National School of Drama ..	113
2949. निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां	Detention under Preventive Detention Act ..	113—114
2950. आसाम के राज्यपाल और अमरीका के राजदूत के बीच वार्ता	Talks between Assam Governor and US Ambassador ..	114
2951. विश्वविद्यालयों में कानून की शिक्षा माध्यम के रूप में हिन्दी	Hindi as medium of instruction for teaching Law in Universities ..	114—115

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2952.	भारतीय जहाजों द्वारा यात्री तथा माल ले जाया जाना	Passengers and Cargo Traffic by Indian Ships	115
2953.	विदेशी पर्यटकों को सीजन विमान टिकट जारी करना	Issue of season Air Tickets to Foreign Tourists	115
2954.	बोकारो में श्रमिकों पर गोली चलाई जाना	Fire upon Workers in Bokaro	116
2956.	अन्दमान द्वीप समूह में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Andaman Islands ..	116—117
2957.	नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कार्यालय पर हमला	Attack on AICC Office in New Delhi ..	117
2959.	पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति	Deteriorating Law and Order situation in West Bengal ..	117—118
2960.	दिल्ली में आटो रिक्शा (स्कूटर)	Auto Rickshaws (Scooters) in Delhi ..	118
2963.	हिमाचल प्रदेश प्रशासन में सेवा नियम	Services Rules in Himachal Pradesh Administration ..	118—119
2964.	असम, नेफा आदि की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists visiting Assam, NEFA Etc.	119
2965.	सागर विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक द्वारा पुरातत्वीय महत्व की वस्तुओं की खोज	Articles of Archaeological interest discovered by a professor of Sagar University ..	119—120
2966.	मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में विमान सेवा	Air Service in Southern Region of Madhya Pradesh ..	120
2967.	मध्य प्रदेश में प्रोफेसरों तथा सहायक प्रोफेसरों के वेतन क्रमों में समानता लाना	Uniformity in Pay Scales of Professors, Assistant Professors in Madhya Pradesh ..	120
2969.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा आसूचना ब्यूरो में प्रतिनियुक्त व्यक्ति	Deputationists in CBI and Intelligence Bureau ..	120—121
2970.	मध्यावधि चुनावों के दौरान मंत्रियों के दौरे	Tours of Ministers during Mid-term Poll ..	121
2971.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान	Grants to Universities by University Grants Commission ..	122

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2972.	उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामले	Cases pending before High Courts ..	122
2973.	विश्वविद्यालयों के छात्रों को नौकरी देने के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय का उनकी किस्म तथा स्तर के अनुसार वर्गीकरण	Rating of Universities according to their quality and standard for purpose of Employment of their Students ..	122—123
2974.	व्यावसायिक विधान चालकों के प्रशिक्षण के लिये एक स्कूल की स्थापना	Establishment of a School for training of Professional pilots ..	123
2975.	राष्ट्रीय स्वस्थता दल(नेशनल फिटनेस कोर) के प्रशिक्षकों को नौकरियां देना	Absorbing of Instructors of NFC	123
2976.	भारत और हंगरी के बीच वैज्ञानिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	Scientists exchange programme between India and Hungary ..	124
2977.	ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिये इंजीनियरी संस्थानों में स्थानों (सीटों) का आरक्षण	Reservation of seats in Engineering institutions for students from Rural Areas ..	124
2978.	पर्वतीय स्थानों पर आन्तरिक पर्यटन में कमी	Downward trend of Internal Tourism at Hill Stations ..	124—125
2979.	अमरीका में कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों की वापसी	Return of Indian Scientists Working in USA ..	125—126
2980.	भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोज तथा खुदाई कार्य	Exploration and Excavation by Archaeological Survey of India ..	126—128
2982.	लाटरियों के नकली टिकट	Fake Tickets for State lotteries ..	128
2983.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये विमानों का चयन करने सम्बन्धी मूल्यांकन समिति	Evaluation Committee to Choose Planes for IAC ..	128—129
2984.	लेबनान की मध्य पूर्व एयरलाइन्स द्वारा भारत को विमानों की उड़ानें रद्द किया जाना	Cancellation of flights to India by Lebanese-owned Middle East Airlines ..	129

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2985. भूतपूर्व रियासतों के विस्थापित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	Displaced Central Government Employees of the former princely State ..	129—130
2986. नेफा, मनीपुर तथा त्रिपुरा के लिये स्वायत्तशासी जिले	Autonomous Districts for NEFA, Manipur and Tripura ..	130—131
2987. त्रिपुरा में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच	Investigations in Tripura by Intelligence Bureau ..	131
2988. विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु प्रस्ताव	Proposals to Improve working of Universities ..	131
2989. गुजरात में लोथल में संग्रहालय की स्थापना	Setting up of Museum at Lothal in Gujarat ..	132
2990. लद्दाख की यात्रा करने वाला संसदीय प्रतिनिधिमंडल	Parliamentary Delegation to Laddakh ..	132
2991. मणिपुर सरकार के कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of Manipur Government Employees ..	132—133
2992. इम्फाल में विश्वविद्यालय केन्द्र	University Centre at Imphal ..	133—134
2993. कानपुर, बनारस और पटना होते हुए दिल्ली कलकत्ता उड़ान	Delhi Calcutta Flight via Kanpur, Banaras and Patna ..	134
2994. पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा राजकीय बसों के फालतू पुर्जों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की मांग	Foreign Exchange demand of West Bengal Government for Importing Spare Parts for State Buses ..	134—135
2995. पुनः मान्यताप्राप्त संघों का संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में भाग लेना	Participation by recognised unions in Joint Consultative Machinery ..	135
2997. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट द्वारा तलकर्षक मशीन की खरीद	Purchase of a Dredger by Visakhapatnam Port Trust ..	135—136
2998. केरल में गैर-सरकारी कालेजों तथा स्कूलों को अनुदान	Grants to Private colleges, School in Kerala ..	136—137
2999. कलकत्ता तथा अगरतला के बीच जनता विमान सेवा	Janta Air Service between Calcutta and Agartala ..	137

अता० प्रं० संख्या
U. S. Q. Nos.

3000. त्रिपुरा में एक सड़क परिवहन निगम की स्थापना	Setting up of a Road Transport Corporation in Tripura ..	137—138
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
गंगा के भूक्षरण से उत्पन्न स्थिति का अध्ययन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की मांग	Demand for an Expert Committee to study the situation arising out of erosion by Ganga ..	138—140
केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ से गुप्त सैनिक कागजातों की चोरी के बारे में	Re : Theft of Secret Defence Document from CSIO, Chandigarh ..	140—141
आसाम में दूसरे तेलशोधक कारखाने के बारे में	Re : Second Oil Refinery in Assam ..	141—142
कुछ अधिकारियों और श्री टी० टी० कृष्णामाचारी के बीच बातचीत के बारे में	Re : Meeting of Certain Officers with Shri T. T. Krishnamachari ..	141—142
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	142—144
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	144
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills ..	144
सभा का कार्य	Business of the House ..	144—148
केन्द्रीय सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उन्नति के लिये सीमित विभागीय परीक्षा के बारे में वक्तव्य	Statement Re : Limited Departmental Examination for promotion to Upper Division Grade in Central Secretariat ..	148—149
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ..	148—149
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee ..	149—150
भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर	Council of Indian Institute of Science, Bangalore ..	149—150
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee ..	150
41वां प्रतिवेदन	Forty-First Report ..	150
बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के अनशन के बारे में वक्तव्य	Statement Re : Fast by Bihar University Professors ..	150
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao ..	150
देश में साम्प्रदायिक स्थिति संबंधी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	Motion Re : Statement on Communal Situation in the Country ..	151—158
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait ..	151—152

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	.. 152—153
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	.. 154—155
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	.. 155—156
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	.. 156—157
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh	.. 157
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	.. 157—158
विधेयक प्रस्तुत—	Bill Introduced—	
(एक) भेषज तथा चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक (धारा 2 का संशोधन)—श्री यशपाल सिंह का	(i) Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Amendment Bill (Amendment of Section 2) by Shri Yashpal Singh	.. 158
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 83 का संशोधन तथा चतुर्थ अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का रखा जाना)—श्री यशपाल सिंह का	(ii) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 83 and substitution of Fourth Schedule) by Shri Yashpal Singh	.. 158
सरकारी उपक्रम (करारों का अनिवार्य अनुमोदन) विधेयक—वापस लिया गया	Public Undertakings (Compulsory Approval of Agreements) Bill—Withdrawn	.. 159—162
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	159
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	.. 159
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	.. 159
श्री प्रकाश चन्द सेठी	Shri P. C. Sethi	.. 159—161
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	.. 161—162
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill	.. 162—166
(अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)—श्री कंवर लाल गुप्त का	(Amendment of articles 75 and 164) by Shri Kanwar Lal Gupta	.. 162
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	.. 162
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	.. 162—163
श्री एन० शिवप्पा	Shri N. Shivappa	.. 163
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	.. 163
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	.. 164

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	164
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan ..	164—165
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain ..	165
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	165
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	165—166
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	166
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	166
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	166
श्री एम० यूनुस सलीम	Shri M. Yunus Saleem ..	166
आसाम के आर्थिक विकास के बारे में वक्तव्य	Statement Re : Economic Development of Assam ..	167
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi ..	167
आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	167
हिन्दी भाषी राज्यों के उच्च न्यायालयों में राष्ट्र भाषा का प्रयोग	Use of National Language in the High Courts of Hindi Speaking States ..	167—169
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri ..	167—168
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ..	168—169

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 1969/14 अग्रहायण, 1891 (शक)
Friday, December 5, 1969/Agrahayana 14, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 107 का राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दुरुपयोग

*421. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिकतर राज्यों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां कार्य-पालिका तथा न्यायपालिका को पृथक नहीं किया गया है, अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 107 का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान लोक-सभा में 30 अगस्त, 1969 को प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन में इस धारा के दुरुपयोग के बारे में की गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों को इस आशय के अनुदेश देने का है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमें चलाने के लिए इस धारा का दुरुपयोग न किया जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : कुछ ऐसे दृष्टांत हमारे ध्यान में लाए गये थे जहां राजनैतिक कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाहियां आरम्भ की गई थीं।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ). उक्त प्रतिवेदन 24 नवम्बर, 1969 को विशेषाधिकार समिति को, मामले पर श्री मधुलिमये को सुनने के बाद पुनर्विचार किये जाने के लिए वापस भेज दिया गया है। किन्तु सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन अविवेक से किसी कार्यवाही के करने को अनुचित समझती है।

Shri Madhu Limaye: I would like to draw your attention towards two cases. These happened after the report of committee on privileges was submitted. Efforts has been made to issue new notices. I have heard that the magistrate was not prepared to issue these notices and had said that there was no danger of breach of peace. But the collector has compelled him to do so. In those States where judiciary and executive are not separate district magistrates apply such pressure. Therefore I would like to know whether steps would be taken for the separation of judiciary and executive in the states which are under the direct rule of Centre and in Bihar which is under President's rule, and also ask the States to follow directive principles, although for these provisions of constitution one can not go to judiciary.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं माननीय सदस्य को न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलगाव के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। कुछ राज्यों में जहां विधान के अन्तर्गत अलगाव कर भी दिया गया है, वहां इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है, क्योंकि इन निवारक उपायों को कार्यपालिका के साथ ही रखा गया है। **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaye: I am talking about separation.

Shri Y. B. Chavan: Separation is not the only way. Discriminative use is the best.

Shri Madhu Limaye: I said this because Bihar is under President's rule. There are directive principles in the constitution. Whether judiciary and executive would be separated. This was done where the present Home Minister was the Chief Minister. In some of the states this has not been done at all. Therefore my question was whether Hon. Minister would implement the directive principles of Constitution in Bihar and ask other States also for the same?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मेरे विचार में यह बहुत अच्छा सुझाव है। मैं अवश्य ही यह करना चाहूंगा परन्तु मुझे विधान की वांछनीयता तथा व्यावहारिकता आदि का पता लगाना पड़ेगा।

Shri Rabi Ray: When?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : 22 वर्षों के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, उससे पहले नहीं।

Shri Madhu Limaye: I have given two instances. In Delhi itself, which is his direct responsibility, Mrs. Tarkeshwari Sinha was arrested under Section 107 and was released afterwards parhaps on bond. New order has been issued about me also. Hon. Minister should not take shelter behind the argument that the matter is with privilege committee. The Recommendations of privilege committee have their own place. It is said that this should not be used against the political workers. You will agree that both myself and Tarkeshwari ji are political workers. Will you give some concrete directions to all the State Governments?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हम इस बात को मानते हैं कि इस व्यवस्था का मनमाना प्रयोग नहीं होना चाहिये, इस बारे में मुझे कोई सन्देह नहीं है।

Shri Sarju Pandey: State Governments arrest political workers under Section 107. We ourselves have been victims. Even when peaceful Satyagrah is done this Section is used. Will you direct State Governments that it should not be used at all against political workers in cases when violence is not resorted to.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं राज्य सरकार को ये निदेश नहीं दे सकता लेकिन ये विचार उन तक पहुंचाया जा सकता है।

डा० राम सुभग सिंह : साधारणतः जलूसों को इण्डिया गेट के पास रोक दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले महीने 16 तारीख को जिस जलूस का संगठन किया गया था उसे संसद भवन के मुख्य द्वार तक क्यों आने दिया गया।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मेरे ख्याल में यह 16 तारीख को नहीं बल्कि 13 तारीख को हुआ था। मैंने मामले की जांच की है। प्रायः सत्र प्रारम्भ होने के दो दिन पूर्व धारा 144 लागू की जाती है। इसलिए इसे 14 तारीख को लागू किया गया था।

Shri K. N. Tewari: Hon. Minister had said that he will look into Bihar problem. Whether he is aware of the fact that judiciary and executive have been separated in Bihar?

Shri Madhu Limaye: In which district?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : उसके लिये मैं नोटिस चाहूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या माननीय मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि पिछले 18 या 19 दिनों के दौरान जमशेदपुर में 40,000 इंजीनियरिंग कर्मचारी हड़ताल पर हैं और 9 या 10 लोगों के विरुद्ध जिन्हें सी० पी० आई०, प्रसोपा, संसोपा और इंटक के स्थानीय नेताओं के एक वर्ग पर, धारा 107 के अन्तर्गत आरोप लगाये गये हैं यद्यपि वे किसी भी तरह के हिंसक या तोड़फोड़ के कार्यों में शामिल नहीं हैं, उन पर अभियोग चलाया जा रहा है। जैसा कि श्री मधु लिमये ने कहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन है। हड़ताल शान्तिपूर्ण है। परन्तु स्थानीय दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तंग किया जा रहा है और धारा 107 के अन्तर्गत उन पर अभियोग चलाया जा रहा है। क्या आप कृपा करके इस मामले की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि ऐसे अभियोग न चलाये जाएं और जिनके ऊपर अभियोग चल रहे हैं, वे वापस लिये जाएं।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं तथ्यों से परिचित नहीं हूं। यह शान्ति भंग का मामला है या नहीं है, यह पता लगाना स्थानीय अधिकारियों का काम है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अत्यन्त गम्भीरता से यह शिकायत कर रहा हूं। आप कृपया मामले की जांच करें।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : आप सम्पूर्ण विवरण देते हुये मुझको लिखकर दीजिये और मैं अवश्य मामले को देखूंगा।

श्री लोबो प्रभु : श्रीमन्, धारा 107 में यह व्यवस्था है कि उन लोगों से बाण्ड लिया जा सकता है जो ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे शान्ति भंग हो सकती है। किसी आन्दोलन में किसी दल विशेष के शामिल होने से ही केवल शान्ति भंग नहीं होती, बल्कि जनता के शामिल होने से

भी होती है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे यह देखेंगे कि जहां पर भी शान्ति भंग होने का खतरा हो, वहां पर मैजिस्ट्रेट और पुलिस कानून का पूरी तरह से पालन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त।

श्री लोबो प्रभु : क्या मैं एक उत्तर मांग सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आपने उन्हें कानून का अनुसरण करने की सलाह दे दी है। (**व्यवधान**) क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रश्न था ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं प्रश्न नहीं जानता। यह निश्चित ही है कि मैजिस्ट्रेटों से अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्य का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Delhi is directly under the Home Minister. During the last three years hundreds and thousands of political workers and including myself and almost all Jansangh Members of Parliament were thrown behind the bars under Sections 107 and 151. Some of them were arrested even when they were at their residence. Perhaps this was done because they belonged to Jansangh. We did not attend any meeting and did not do anything else and still we were arrested. On the other hand Congress men break Section 144, and go to the Prime Minister to offer Congratulations and no action is taken against them. I have written about it to you. Will the Minister give the assurance that this discrimination will end. Mr. Nijlingappa's car was stopped and he was manhandled, but no action was taken against those persons on the plea that no report was lodged. Was it not proper for the police to take action on their own ? What does the Government propose to do to stop such discrimination.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मेरे विचार से कोई भेदभाव नहीं किया गया। परन्तु यदि किसी घटना पर ध्यान दिलाया गया तो मैं अवश्य ही इसकी जांच करूंगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने पहले आपको एक पत्र लिख दिया है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

श्री समर गुह : अभी हाल में सारे देश में अनेक साम्प्रदायिक दंगे हुये और पश्चिम बंगाल में भी अभी हाल में ही फसल की कटाई के दौरान दंगे बढ़ रहे थे, इन सब बातों को ध्यान में रखकर क्या सरकार पश्चिम बंगाल में फसल कटाई के समय साम्प्रदायिक दंगों और मुठभेड़ों को रोकने के लिये धारा 107 लागू करेगी ?

श्री रंगा : केवल साम्प्रदायिक ही नहीं राजनीतिक भी।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यदि साम्प्रदायिक या अन्य दंगों की आशंका होगी तो स्वाभाविक है कि वे इस धारा का प्रयोग करेंगे।

Shri Ramavtar Shastri : There is President's rule in Bihar. The Government says that the land should belong to the tillers. In Bihar the peasants and workers want to reap the harvest which they have sown. Section 107 is being used in large scale to prevent them from doing so and to help the Zamindars and the landowners. It is being used against the communist, the Socialist P. S. P. etc. May I know against how many workers has this Section been used so far under this pretext ? If the labour begins some movement it is used against them but it is not used against the mill owners. I know that this Section has been used against the owners of Bihar Cotton Mills Ltd., Phulwari Sharif. I would like to know who are the other mill owners in Bihar against whom this Section is being used.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हम इसकी जांच करेंगे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पदों में उन्हीं समुदायों के व्यक्तियों की नियुक्ति

*425. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री अदिचन :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री जनार्दनन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित अनेक पद इस आधार पर अन्य समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाते हैं कि इन पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पदों को केवल इन्हीं समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियां दूसरे समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा केवल तब ही भरी जाती हैं जब आरक्षित समुदायों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों, यद्यपि कुछ संरक्षणों की व्यवस्था की गई है ।

(ख) आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित आदिम जातियों को भर्ती में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां तभी अनारक्षित की जाती हैं और सामान्य उम्मीदवार से भरी जाती हैं जब अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों । सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश दिये गये हैं कि सीधी भरती द्वारा भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों को (उन आरक्षित रिक्तियों को छोड़कर जिनकी भरती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है) अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के ध्यान में इस प्रकार लाई जायं :

1. समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा
2. रोजगार कार्यालयों को सूचना देकर और
3. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सूचित करके ।

2. ये सभी कार्यवाही करने पर भी यदि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों, केवल तब ही नियुक्ति प्राधिकारी आरक्षित रिक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अनारक्षित करवा सकते हैं ।

उन रिक्तियों को अनारक्षित करने के लिए, जो या तो स्थायी हैं अथवा अस्थायी हैं किन्तु जिनकी स्थायी होने की सभावना है अथवा अनिश्चित काल के लिए जारी रहने की सम्भावना है, गृह मंत्रालय की पूर्वानुमति आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय/विभागों को एक स्वत: पूर्ण पत्र गृह मंत्रालय को भेजना होगा जिनमें अनारक्षण के लिए प्रस्ताव के समर्थन में पूर्ण ब्यौरे दिये गये हैं। इस पत्र की एक प्रतिलिपि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को भी भेजना आवश्यक है। मंत्रालयों / विभागों द्वारा भेजे गये तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त से प्राप्त टिप्पणियों पर यदि कोई हों, गौर करने के बाद यह सुनिश्चित कर लेने कि मंत्रालयों / विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव कार्यवाहियां कर ली गई हैं और तब भी ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए, एक आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित किये जाने की अनुमति दी जाती है।

3. उन आरक्षित रिक्तियों के मामले में जो बिलकुल स्थायी हैं और जिनके स्थायी होने की अथवा अनिश्चित काल तक जारी रहने की कोई सम्भावना नहीं है मंत्रालयों / विभागों को आरक्षित रिक्तियों को यह सुनिश्चित कर लेने के बाद ही कि आरक्षित रिक्तियों को अधिसूचित करने के लिए सभी निर्धारित कार्यवाहियां कर ली गई हैं, अनारक्षित करने का अधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में भी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को किये गये अनारक्षण के बारे में तथा अनारक्षण की आवश्यकता के कारणों तथा ब्योरे के बारे में सूचित किया जायगा।

4. इस तथ्य के अलावा कि अनारक्षण के लिए एक कड़ी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, नियुक्ति प्राधिकारियों / संघ लोक सेवा आयोग से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की उपयुक्तता को शिथिल किये गये स्तर से मापने की अपेक्षा की जाती है, परंतु शर्त यह है कि ऐसे प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि स्तर को घटाने से प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने में अनुचित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. एक और रियायत के रूप में यह भी व्यवस्था की गई है कि उन मामलों में जहां निम्न स्तरों को भी पूरा करने वाले अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में उनके लिए आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए उपलब्ध न हों तो चयन करने वाले अधिकारियों को एक लिखित परीक्षा के अलावा सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले गैर-तकनीकी और अर्ध-तकनीकी श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित आदिम जाति के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक उन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों में से सर्वोत्कृष्ट उम्मीदवार का, जो भरती के लिए नोटिस / विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता है, चयन करना चाहिए और प्रशासन की दक्षता को कायम रखने के लिए तथा पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर तक उनको लाने के लिए उन्हें सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

6. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आरक्षित रिक्तियों को न केवल व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है अपितु शिथिल किये गये स्तरों से मापे अनुसूचित जाति/अनुसूचित

आदिम जाति के उम्मीदवारों से भरी जाती हैं और कुछ मामलों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित आदिम जाति के ऐसे कर्मचारियों द्वारा भरी जाती हैं जो केवल न्यूनतम अर्हताएं ही पूरी करते हैं। केवल वे आरक्षित रिक्तियां, जो इन शिथिलताओं को लागू करने बाद भी, खाली रह जाती हैं, सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरी जायेंगी, किन्तु इस प्रकार खोये गये आरक्षिणों को उसी संख्या में आरक्षित रिक्तियों को अगले वर्ष का और यदि आवश्यक हो तो, उससे अगले वर्ष में आगे ले जाकर पूरा किया जायेगा।

Shri Jageshwar Yadav: The Hon. Minister be pleased to state whether during interviews for reserved seats for Sheduled Castes or in case of orders to be issued for recruitment these letters are delayed so that they may not reach for interview on the due date. Will there be any improvement in this state of affairs.

श्री के० एस० रामास्वामी : इन सब मामलों की जांच की जा रही है। यदि कोई त्रुटि या कमी है तो हम अवश्य ही उस पर विचार करेंगे।

Shri Jageshwar Yadav: In Banda district the admission letters to the boys are sent late, and thus they can not reach the school on the due date for the admission. Will this be set right?

श्री के० एस० रामास्वामी : इन स्थानों का स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है और इसकी सूचना मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति संघों को भी भेजी जाती है। मैं नहीं जानता कि फिर यह कैसे हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि चार सदस्यों में से, जिन्होंने यह प्रश्न सभा पटल पर रखा, तीन अनुपस्थित हैं। यदि वे बाद में आते हैं तो फिर मुझे उन्हें जगह देना कठिन होगा।

श्री जयपाल सिंह : श्रीमन्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों का जो अनुपात क्रमशः $12\frac{1}{2}\%$ और 5% है, यदि वह किसी एक वर्ष में नहीं भरता तो उसे अगले वर्ष भरा जा सकता है?

श्री के० एस० रामास्वामी : यदि वर्ष विशेष में उपयुक्त अभ्यार्थी नहीं मिलते तो वे आरक्षित जगहें अगले दो वर्षों तक चलती हैं। हम इस अवधि को तीन साल तक बढ़ाने की बात सोच रहे हैं।

श्री जयपाल सिंह : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : वे जगहें अगले दो वर्षों तक रहती हैं।

Shri Ram Sewak Yadav: Mr. Speaker, Sir, it is often said that for the reserved seats for the Harijans and Adivasis in class I and II services qualified persons are not available. But it is not the fact that even class IV reserved vacancies of peons etc. are not so filled?

Whatever has been the experience so far has shown that reservation has no meaning. If vacancies are filled by others on the basis of lack of qualified persons. Will it therefore be ensured that vacancies reserved for Harijans and Adivasis will go to them only and not to others.

श्री के० एस० रामास्वामी : श्रीमन्, यह ठीक है कि श्रेणी III और श्रेणी IV में कुछ स्थानों में अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों को भरती नहीं किया गया। लेकिन हम श्रेणी III

और श्रेणी IV में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिक लोगों को भरती करने के लिये कदम उठा रहे हैं। इस सम्बन्ध में हम भरती करने वाले अधिकारियों को, ऐसे मामलों में, उपयुक्तता के स्तर को भी कुछ सीमा तक कम करने की सलाह दे रहे हैं। अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों का एक दिन विशेष में ही इण्टरव्यू लिया जाता है। श्रेणी III और श्रेणी IV में अतकनीकी और अर्धतकनीकी जगहों पर यदि वे न्यूनतम योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें भर्ती कर लिया जाता है।

Shri Ram Sewak Yadav: Mr. Speaker, the second part of my question has not been answered. I had spoken of the practice of filling in the post on the pretext of lack of qualified persons. Will the Government in future fill in such reserve vacancies only by taking scheduled caste candididates and not others ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): The Deputy Minister has pointed out that whenever such instances have come to our notice action has been taken to rectify the position. It has been two fold action on the one hand in the Departments and in the Ministries where such recruitments are made it has been impressed upon them that even when candidates do not come upto the mark the qualifications may be a little lowered and whenever we see that there is some mantle opposition we try to remedy it in individual cases as well. And we also try to give full help to the commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. And we bring every one of such instance to his attention. We act upon his recommendation and information. Whenever there is some thing which is against the policy of the Government we immediately remedy the situation. There is nothing wrong with the policy and there is no mantle inhibition in implementing it. Whenever at some places we find such instances we would expect your co-operation in removing it. And I would like the Hon. Members to bring such instances to our notice so that we may successfully meet them.

Shri Shiv Narain: Mr. Speaker, Sir, it is a very complicated question. This Government has fixed 12% reservation in the Central and 18 percent in the State Government. But not even 2 percent has been implemented. Our boys top in I.A.S. but are rejected in the interviews. What does the Government propose to do to remedy the situation ? In interview more attention is paid on the collar and the tie.

Shri Vidya Charan Shukla: Whatever the Hon. Member has said is largely true. Such instances have come to me earlier also.

Shri Shiv Narain: There are proofs of it and the Government is doing nothing about it.

Shri Vidya Charan Shukla: I agree with the Hon. Member. To remove such complaints provision has been made that the candidates who pass the written examination will not be rejected if they fail in interview. We have opened a training institution for such Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates. We are trying to open such institutions in Northern India, Southern India and in other parts of the country. It is expected that they will begin functioning in a year or two. The house will be glad to know that for the last two or three years during which this institution was functioning, all the vacancies in the Central Services or All India Services reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been filled and all candidates appearing have passed. This shows that if given a chance they can obtain highest places in the competition.

श्री रा० ढो० भण्डारे : क्या मैं माननीय गृह मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या उन्होंने इस मामले की जांच करने के लिये यादीं समिति नियुक्त की थी, और यदि हां, तो आरक्षित पदों को भरने में गड़बड़ी को दूर करने सम्बन्धी उस समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं और किस हद तक गृह मंत्रालय ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस मामले की जांच करने के लिये गृह मंत्रालय के अपर सचिव को नियुक्त किया गया था और उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया था। जहां तक मुझे स्मरण है, हमने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और हम उन्हें लागू कर रहे हैं।

श्री रंगा : उन सिफारिशों को कहां तक लागू किया गया है ? माननीय मंत्री कहते हैं कि उन्हें लागू किया जा रहा है। क्या यह एक संतोषजनक उत्तर है ?

श्री शिव नारायण : मेरे माननीय सदस्य को चिन्ता नहीं करनी चाहिये। वे अपनी कब्र स्वयं खोद रहे हैं।

Shri Suraj Bhan : The Hon. Minister has said that the reserved posts for scheduled castes are not being filled up because suitable candidates are not avilable. We see that advertisements in newspapers are also given in this manner : "If suitable scheduled castes candidates are not available, the posts will be offered to others." It is a matter of shame for the present Government in case it has not been able to make them suitable for these posts even after 22 years. I think in this way they are insulting the scheduled castes and scheduled tribes all over India and make fool of them.

Mr. Speaker : The Hon. Members are expressing their own views. They may ask questions.

Shri Yajna Datt Sharma : Mr. Speaker, Sir, This question is such as Hon. Members can become sentimental. So, you should not object on this becoming sentimental. In case the country is set on fire because of this question, only Government will be responsible for this.

Shri Suraj Bhan : My simple question is this whether Government would appoint those scheduled castes and scheduled tribes candidates, who fulfil minimum qualifications, against reserved posts in order to fulfil the representation of scheduled castes and scheduled tribes and if not, what is the meaning of reservation ?

Shri Vidya Charan Shukla : Our policy has been that the candidates, who fulfil minimum qualifications must be appointed. I, myself, have said that we find shortcoming in the implementation of this policy of Government. Some of our institutions do not approve of this policy with open heart. Sometimes we experience difficulties in this regard and try to remove them immediately. I do not say that there is no difficulty. We have faced the difficulty several times as mentioned by the Hon. Member and we try to remove it. Whenever such type of difficulty has been experienced by us, we have removed it. It is wrong to say that Government do not pay any attention to remove these difficulties. In case the Hon. Member meets me, I would tell him with detailed figures of what we have done in this regard.

Shri Suraj Bhan : With the figures supplied by Government I can prove that the Hon. Minister is wrong in what he has said.

Shri Vidya Charan Shukla : We will try to remove whatever difficulties we come across in this regard.

श्री क० लकप्पा : यह एक विभिन्न राज्यों में लोक सेवा आयोगों द्वारा विभिन्न पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त करने सम्बन्धी प्रश्न है। माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि यह एक मूलभूत प्रश्न है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों में सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है । विभिन्न राज्यों में लोक सेवा आयोगों में अन्य जातियों का तो प्रतिनिधित्व है परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का नहीं है । मैसूर में आज तक लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अनुसूचित जाति से सम्बन्धित था, परन्तु अब उस पद पर किसी अन्य जाति के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। अधिकांश अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्वयं ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वह कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री क० लकप्पा : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पर्याप्त संख्या में नियुक्त न करने का कारण यह है कि विभिन्न राज्यों में लोक सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने जा रही हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी ओर माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग में यह प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमने विभिन्न राज्य प्रशासनों से इस मामले में बातचीत की है और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है ताकि लोक सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य भी हों। मेरा विचार है कि यह एक अच्छी नीति है कि लोक सेवा आयोगों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

श्री बसुमतारी : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों को भरने के लिये उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं और इसका एक कारण यह है कि लोक सेवा आयोगों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं है। जहां कहीं लोक सेवा आयोगों में इन जातियों का प्रतिनिधित्व दिया गया है वहां उपयुक्त उम्मीदवार मिल गये हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि गृह मंत्री राज्य सरकारों को यह सुझाव देंगे कि प्रत्येक राज्य लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होना चाहिये और केन्द्र में भी उनका एक सदस्य हो।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले ही प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। हमने राज्य प्रशासनों से इस सम्बन्ध में बातचीत की है और कुछ राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है।

श्री रंगा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार सभा-पटल पर, यदि अब नहीं तो फिर कभी, ये आंकड़े रखेगी जिनसे यह पता चल सके कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित

परिक्षाओं में और विशेष चयन बोर्डों के समक्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए और उनमें से कितने चुने गये और चुने गये उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवारों को सरकार द्वारा स्थापित विशेष स्कूलों में प्रशिक्षण दिया गया ताकि हम यह जान सकें कि क्या इन लोगों के सम्बन्ध में कोई वास्तविक प्रगति की जा रही है जबकि वे इन प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करके इन सेवाओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : आमतौर पर ये आंकड़े अनुसूचित जाति आयुक्त के प्रतिवेदन में दिये जाते हैं, परन्तु मैं इस मामले में आधुनिक स्थिति देते हुए सभा-पटल पर एक विवरण रखूंगा ।

Shri Molahu Prasad: Whether provision for any reserve quota has also been made in the Industrial undertakings of Indian Government where 51% of the money has been invested and if so, whether details thereof will be furnished ?

Shri Vidya Charan Shukla: Yes, the provision of reserve quota has been made in our public undertakings. But there are certain public undertakings, which have not yet issued such type of orders. We have taken this matter up with them and hope that very soon they will make provision for reserve quota as per Government policy.

श्री नि० रं० लास्कर : क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि कितनी राज्य सरकारों ने लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को नियुक्त करने सम्बन्धी विचार को रद्द किया अथवा स्वीकार किया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक मुझे स्मरण है किसी राज्य सरकार ने इस विचार को रद्द नहीं किया है, परन्तु कुछ राज्य सरकारों ने कार्यवाही की है और अन्य राज्य सरकारें भविष्य में कार्यवाही करेंगी । मैं यह नहीं समझता कि किसी राज्य सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है ।

Shri N. N. Patel: Whether Government are contemplating to take any action against those officers or departments, who have not filled up many of the posts due to non-availability of suitable candidates or who have furnished wrong figures or who have rejected the suitable candidates declaring them as not suitable ?

Shri Vidya Charan Shukla: In case any such case comes to notice where Government rules or Government orders have been violated, necessary suitable action will be taken against them as per rules.

Shri S. M. Joshi: Mr. Speaker, Sir, I would like to know that when suitable candidates.....

Shri M. A. Khan : Mr. Speaker, Sir, You are not calling any one of us—What it is ? How many persons have been called from this side ? Don't do that, it is too much, we may also be given opportunity. In case we don't speak, we will not be given any opportunity. It is not proper. We may also be given opportunity. Otherwise we will also lodge protest. You have not called even one member from this side whereas four members have been called from that side. You can see the record.

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । इस प्रकार का व्यवहार न करें ।

Shri M. A. Khan : I am not misbehaving, but you should pay attention to this side also.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठेंगे अथवा नहीं । दुर्व्यवहार करने का प्रयास न करें ।

Shri S. M. Joshi : It has been the policy of Administration that scheduled castes and scheduled tribes may be encouraged, but when they appear before U.P. S.C., the question of suitability arises in which there are many loopholes. I have got one such case with me at present and I am going to write the Hon. Minister. One person appeared in the examination for Asstt. Station Masters and he got through it. He is a graduate. But he was not taken because of defective vision. Keeping in view his qualifications he should have been granted some other job. Will you issue any directives to them in this regard ?

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker, Sir, In the example given by the Hon. Member, the candidate was not appointed because he was found medically unfit and not that he did not fulfil the qualifications....

Shri Hukam Chand Kachwai : There are so many Ministers here who are suffering from blood pressure and heart attack.

Shri Vidya Charan Shukla : It is a matter of pleasure if we can provide them with alternate job keeping in view their qualifications and also Government rules, but they must be covered by the relaxed standard rules meant for that post. But when one is rejected on health ground then question of reservation does not arise.

अध्यक्ष महोदय : मुझे संसद् कार्य मंत्री से यह कहना है । इस ओर से भी सदस्यों को बुलाया गया है । श्री भण्डारे और अन्य सदस्यों को बुलाया गया है । इसके बावजूद भी कुछ लोग इस ओर से उठते हैं वही बात कहना शुरू कर देते हैं जो कुछ समय पहले कही जा चुकी है । ऐसा गत चार या पांच दिनों से चल रहा है । उन्हें उनसे ऐसा व्यवहार न करने के लिये कहना चाहिए। मैंने इस ओर से बोलने वाले सदस्यों की सूची देखी है । इसके बावजूद वे इस प्रकार का व्यवहार करते हैं ।

विभिन्न विदेशी संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति आदि दी जाना

*426. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न विदेशी संस्थाओं तथा / अथवा सरकारों से जो विभिन्न छात्रवृत्तियां और शिक्षावृत्तियां हमें मिली हैं, वे कई बार व्ययगत हो गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1968-69 में इस तरह 2.50 लाख रुपये की राशि व्ययगत हुई;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां हो, तो उनके व्ययगत होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय का विचार भविष्य में इस प्रकार की व्ययगत को दूर करने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1968-69 के दौरान उपयोग न की गई छात्रवृत्तियों की राशि लगभग 3.15 लाख रुपये थी ।

(ग) उपयोग न की गई छात्रवृत्तियों का मुख्य कारण, अचानक बीमारी, माता-पिता की मृत्यु, दैवी पारिवारिक कठिनाइयां जैसे व्यक्तिगत, घरेलू कारणवश, जिन्हें टाला नहीं जा सकता, विद्यार्थियों की अन्तिम समय पर असमर्थता है । कुछ गौण कठिनाइयां हैं : विदेशी भाषा में दक्षता की कमी और यात्रा खर्च वहन करने में कठिनाई, जहां योजना के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था न की गई हो ।

(घ) सम्भावी छात्रों को, सम्बन्धित विदेशी भाषा में दक्षता सुनिश्चित करने समेत सभी सम्भव उपायों के जरिये अपनी छात्रवृत्तियों का उपयोग करने की सलाह दी गई है । उम्मीदवारों की सुरक्षित सूचियां रखी जाती हैं ताकि अपरिहार्य कारणवश न जा सकने वाले छात्रों का स्थान दूसरे छात्र ले सकें । सरकार अपनी, "जरूरतमन्द और पात्र" योजना के अधीन उन छात्रों को अनुदान देती है जो ऐसी सहायता के लिये आर्थिक शर्त को पूरा करते हों ।

श्री वीरेन्द्रकुमार शाह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह देर से विज्ञापन देने के कारण है और क्या सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों को समय पर सूचना देती है ताकि प्रार्थना-पत्र भेजे जा सकें और उनकी जांच एक निष्पक्ष निकाय द्वारा की जा सके ?

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : विज्ञापन काफी समय पहले अर्थात् 1 वर्ष पहले जारी कर दिये जाते हैं । सभी शिक्षावृत्तियों के सम्बन्ध में सभी समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है और विश्वविद्यालयों को इसकी सूचना दे दी जाती है । इच्छुक व्यक्तियों को सभी सुविधाएं दी जाती हैं और जब प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं तो उनकी छंटनी की जाती है और आवश्यक योग्यताओं वाले उम्मीदवारों के प्रार्थना-पत्रों की जांच एक समिति द्वारा की जाती है जिसका अध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति होता है और जिसमें शिक्षा मंत्रालय और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रति निधि और जिस क्षेत्र में शिक्षावृत्ति दी जाती है उसके कुछ विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसमें शिक्षावृत्ति देने वाले देश अथवा संस्था का भी एक प्रतिनिधि होता है ।

श्री वीरेन्द्रकुमार शाह : इन त्रुटियों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार विदेशी संस्थाओं से शिक्षावृत्तियों को पुनः चालू करने के लिये अनुरोध करेगी ?

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : जी नहीं । यह सम्भव नहीं है ।

Shri Ram Charan : Mr. Speaker, Sir, Scheduled Castes and Scheduled Tribes are granted Scholarships out of the 12 Scholarships reserved for them by the Indian Government and they are not given any foreign scholarship. There is no reserve quota for them in the scholarship granted by foreign institutes. I had already asked in the Consultative Committee that whether there was any proposal for providing any reserve quota for them in foreign scholarships also. In case there is no such proposal, the reasons therefor may be indicated.

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिये विदेशी शिक्षावृत्तियों के मामले से गृह-कार्य मंत्रालय सम्बन्धित है ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : I would like to know whether honourable Minister is aware of the fact that the foreign scholarships giving to the students are given mostly to the boys and relatives of the high officers ? Whether Government would lay on the Table of the House a list of such scholarships given during the last three years ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या छात्रवृत्तियां व्ययगत हो गई हैं या नहीं और उनकी राशि कितनी है ?

Shri Natu Ram Ahirwar : The scholarships are only given to boys and relatives of the high officers.

Mr. Speaker : How boys came in this question ?

श्री म० ला० सोंधी : मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसमें यह नहीं बताया गया है कि सरकार स्थिति की आवश्यकता को समझती है। आखिरकार सम्बन्धित देश भारत है, जहां हम जानते हैं कि शिक्षा के लिये प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने के लिये सार्वजनिक निधि पर्याप्त नहीं है। ऐसी दो बातें हैं, जिनका मैं उत्तर चाहता हूं। एक यात्रा खर्च के बारे में है। इस बात को अच्छी तरह जानते हुए कि अधिकांश भारतीय यात्रा खर्च बरदाश्त नहीं कर सकते हैं, क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है जो योग्य व्यक्तियों को यात्रा खर्च शीघ्र प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन देती है ? दूसरे, जहां भाषा सम्बन्धी कठिनाई उत्पन्न होती है, वहां इस बात की छानबीन करते समय कि क्या भाषा सीख ली गई है, स्थिति का पूर्वानुमान क्यों नहीं किया जाता है ? क्या मंत्रालय में ऐसी कोई व्यवस्था है, जिससे भाषा सीखने का मूल्यांकन किया जाता है और भाषा सीखने के लिये सहायता दी जाती है ? आखिरकार कोई भाषा सीखना देश के हित में है।

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : जहां तक यात्रा खर्च का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही बताया है कि एक योजना है जिसके अन्तर्गत यात्रा खर्च दिया जाता है। एक "जरूरतमंद और पात्र" योजना है, जिसके अन्तर्गत आर्थिक स्थिति को पूरा करने के लिये कुछ सहायता की व्यवस्था है। जब हम यात्रा खर्च को आंकते हैं, तब उम्मीदवार की वार्षिक आय को ध्यान में रखा जाता है और यदि वे व्यक्ति इसे बरदाश्त नहीं कर सकते हैं और यदि वे इसके योग्य हैं, तो उन्हें छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

दूसरा प्रश्न भाषा में दक्षता प्राप्त करने के बारे में है। जैसा मैंने कहा है कि छात्रवृत्तियां विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर दी जाती हैं। इसके बाद छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय छात्रवृत्ति दाता देश या छात्रवृत्ति दाता संस्थाओं द्वारा लिया जाता है। सम्भवतः वे यह देखते हैं कि जो छात्र आवेदन करते हैं, उनकी दक्षता अपेक्षित स्तर तक नहीं है।

श्री म० ला० सोंधी : छानबीन समिति का क्या हुआ ? क्या यह भाषा की जरूरतों पर विचार करती है ? आखिरकार हमारे देश में इतना अधिक धन बेकार गया है।

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : हां, यह समिति इस पर विचार करती है। संस्थाओं का कहना है कि जब वे आवेदन करते हैं और जिन छात्रों का हम चयन करते हैं, उनको यह मिलता है, लेकिन अन्तिम निर्णय छात्रवृत्ति दाता देश पर छोड़ दिया जाता है और यदि यह कोई

बाहरी देश है, तो वे यह अनुभव कर सकते हैं कि भाषा का स्तर उस स्तर का नहीं है, जिसकी उस संस्था को अपेक्षा है, जिसमें वे जा रहे हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारतीय मूलक के विदेशी छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की जो धनराशि निर्धारित की जाती है, क्या उसमें उत्तरोत्तर कटौती की जा रही है और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसी छात्रवृत्ति के लिये जो धनराशि निर्धारित की गई थी, उसे नहीं दिया गया है या पिछले दो या तीन वर्षों में कुल धनराशि व्यय नहीं की गई थी ।

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : इस समय हम जिन छात्रवृत्तियों के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं, वे वह हैं जिन्हें अन्य देश देते हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन : हमारी छात्रवृत्तियों के बारे में ।

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : यह संगत नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या हम ऐसे देशों और संस्थाओं के नाम जान सकते हैं, जिनमें इस तरह की छात्रवृत्तियां व्ययगत हो गई हैं ?

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : उनकी एक लम्बी सूची है । यदि आप चाहें, तो मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगी ।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह सभा-पटल पर रखी जाय ।

श्री रा० की० अमीन : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि विदेशों द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां इसलिए व्ययगत हो गई हैं, कि हमारे देश में इस तरह के प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनेक लोग इस तरह की छात्रवृत्तियों का लाभ उठाकर विदेशों में गये और जब वे हमारे देश में वापस आये, तब उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला । यह अपर्याप्त है और इस कारण अनेक लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते । क्या इसका कारण यह है कि सरकार हमारी आवश्यकताओं को नहीं देखती है और वह विदेशों के साथ छात्रवृत्तियां तय कर लेती है ?

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : जो अधिकांश छात्र इन छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन करते हैं, वे आमतौर पर किसी संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं । अतः जब वे वापस आते हैं, तब वे प्रायः इन्हीं संस्थाओं में लग जाते हैं ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या मैं जान सकता हूं कि भाषा सम्बन्धी कठिनाई के कारण और ऐसी छात्रवृत्तियों के कारण जो केवल उन लोगों के लिये उपलब्ध हैं जो इस तरह की भाषाओं में दक्ष हैं, जिनमें प्रशिक्षण के लिये हमारे देश में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, कितनी छात्रवृत्तियां व्ययगत हो गई हैं ?

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : यह सब विवरण में दिया है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Honourable Minister has stated in a reply to a question that scholarship is given keeping in view the qualifications of the students. I would like to know as to what are those qualifications and whether you have laid down those quali-

fications or decision in this regard is taken by the Countries which give scholarships ? In addition to this whether there is any agreement with the countries which give scholarships and according to which scholarships are given ?

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : ये सभी योग्यतायें छात्रवृत्ति दाता देशों द्वारा निर्धारित की जाती हैं ।

श्री स० कुण्डू : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये छात्रवृत्तियां सरकार के अधिकारियों को भी दी जाती हैं । तो क्या यह सच है कि इन छात्र वृत्तियों के व्ययगत होने का एक कारण यह है कि आवेदन पत्रों पर कार्यवाही अन्य मंत्रालय करते हैं और शिक्षा मंत्रालय नहीं जिससे विलम्ब होता है ?

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : जी, नहीं । वे किसी विलम्ब के कारण व्ययगत नहीं होते हैं । एक कारण यह है कि जिन लोगों को ये छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, अन्तिम क्षण में वे इन छात्रवृत्तियों से लाभ नहीं उठा पाते हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्योंकि आप उम्मीदवारों को जानकारी देरी से देते हैं । मुझे ऐसे अनेक उदाहरण ज्ञात हैं ।

श्री स० कुण्डू : सालों तक कोई जानकारी नहीं दी जाती है और जब हम टेलीफोन करते हैं तब कार्य शुरू किया जाता है ।

श्री पीलु मोडी : वे अन्तिम क्षण तक प्रतीक्षा करते हैं और इसके बाद वे इसे अपने साले को दे देते हैं ।

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : हमें खुशी होगी यदि माननीय सदस्य इस तरह के उदाहरण बतायें, ताकि हम उनकी जांच कर सकें ।

श्री कार्तिक उरांव : विदेशी संस्थायें जो छात्रवृत्तियां और शिक्षावृत्तियां देती हैं, मैं उनकी शर्तें जानना चाहता हूं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने कुल कितनी छात्रवृत्तियां और शिक्षावृत्तियां उपलब्ध की हैं और अन्य छात्रवृत्तियों और शिक्षावृत्तियों को उपलब्ध न करने के क्या कारण थे ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विस्तार से पूछा गया है । इसके लिए उन्हें पूर्व सूचना देनी चाहिए ।

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : यह सब विवरण में दिया गया है । मैं इसे सभा-पटल पर रखूंगी ।

एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग द्वारा प्रारम्भ की गई एशियाई राजपथ परियोजना

*429. **श्री शिवचन्द्र झा :** **श्री इसहाक साम्भली :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह : **श्री जि० मो० बिस्वास :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग द्वारा आरम्भ की गई एशियाई राजपथ परियोजना के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग ने इस संबंध में अब तक कुल कितना खर्च किया है ;

(ग) परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) क्या एशियाई राजपथ के उस 'सेक्शन' का विकास पूरा कर लिया है, जो भारत में होगा ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) प्रथमतः एशियाई राजपथ से सम्बन्धित देश कुछ प्राथमिकता प्राप्त मार्गों के विकास के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं, ताकि 1970 तक कम से कम एक पूर्व-पश्चिम राजपथ को कायम किया जाय, जिससे एशियाई राजपथ से सम्बन्धित सभी देशों को जोड़ा जा सके और यदि आवश्यक हुआ, तो इसे अनेक मार्गों से भी मिलाया जा सके । इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है और पहला संयुक्त राष्ट्र विकास दशक, जो 1970 में समाप्त होगा, के अन्दर सभी देशों को कम से कम एक मार्ग द्वारा जोड़ना सम्भव होगा । अब एशियाई राजपथ प्रणाली के अन्तर्गत पश्चिम क्षेत्र में ईरान से नेपाल तक या पूर्व-पाकिस्तान तक अथवा श्री लंका तक कोई भी यात्रा कर सकता है । पूर्वी क्षेत्र में सड़क द्वारा कम्बोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के बीच यात्रा की जा सकती है । सिंगापुर से जकार्ता तक पोतभरण के साथ इण्डोनेशिया में यात्रा करना भी सम्भव है ।

(ख) एशियाई राजपथ प्रणाली के अन्तर्गत एशियाई राजपथ से सम्बन्धित देशों के सड़कों के विकास की जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर सम्बन्धित देशों की है । अतः एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग एशियाई राजपथ प्रणाली के विकास पर अपना कोई खर्च नहीं करता है ।

(ग) एशियाई राजपथ प्रणाली का विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और बदलते हुये ढांचे, परिमाण और आकार के अनुसार यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह प्रतिक्रिया जारी रहेगी ।

(घ) एशियाई राजपथ प्रणाली में शामिल की गई सड़कों को बताने वाली एक सूची संलग्न है । 1970 तक सभी एशियाई राजपथ सम्बन्धी देशों को जोड़ने वाली एक पूर्व पश्चिम राजपथ को स्थापित करने के लक्ष्य के अनुसार भारत ने पहले ही प्राथमिकता प्राप्त मार्ग क-1 (अमृतसर के समीप भारत-पाकिस्तान सीमा से तामू के समीप भारत-वर्मा सीमा तक) का कार्य पूरा कर लिया है, ताकि इसे पूर्व-पश्चिम में जोड़ा जाय । भारत और काठमांडू के बीच सड़क सम्पर्क भी विद्यमान है । प्राथमिकता प्राप्त मार्ग क-2 का विकास रुका है जिसका नेपाल में निर्माण हो रहा है । वास्तव में भारत के अन्दर इस क-2 मार्ग के साथ-साथ एक सड़क विद्यमान है, सिवाय नेपाल की पूर्वी-पश्चिमी भारतीय सीमा पर कुछ सम्पर्क विद्यमान नहीं है ।

जब तक एशियाई राजपथ नेपाल के अन्दर पूरा हो जायेगा तब तक इसके पूरे होने की आशा है। भारत और श्रीलंका के बीच भी सम्पर्क है और पोतभरण के लिये आवश्यक व्यवस्था की गई है। संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार एशियाई राजपथ प्रणाली में शामिल की गई भारत की अन्य सड़कों का विकास करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं।

एशियाई राजपथ प्रणाली में शामिल किये गये भारत अन्तर्राष्ट्रीय राजपथ मार्गों की सूची

प्राथमिकता प्राप्त मार्ग	एशियाई राजपथ प्रणाली के अन्तर्गत मार्ग संख्या
(1) पाकिस्तान सीमा (अमृतसर के समीप)—अम्बाला—दिल्ली—कानपुर—इलाहाबाद—बाड़ी—कलकत्ता—बारासत [पूर्व-पाकिस्तान]—डाबकी—शिलांग—जोरबाट—पालेल—भारत/बर्मा सीमा।	क—1
(2) पाकिस्तान सीमा (फीरोजपुर के समीप)—हिसार—दिल्ली—मुरादाबाद—रुद्रपुर—टणकपुर [नेपाल]—गलगलिया—नक्सल-बाड़ी—सिलीगुड़ी—पाकिस्तान सीमा।	क—2
(3) आगरा—ग्वालियर—झांसी—सागर—लखनादन—नागपुर—हैदराबाद—बंगलौर—मदुराई—धनुष्कोडि।	क—4
(4) बाढ़ी—मोकामेह—मुजफ्फरपुर—रक्सौल—नेपाल सीमा।	क—5
(5) इम्फाल—सिल्चर—करीमगंज—(पाकिस्तान सीमा)।	क—40
(6) मोकामेह—पूर्णिया—किशनगंज—सिवाक—कूच बिहार—उत्तर सालामार—रंगिया—गोहाटी—जोरबाट।	क—41
अन्य मार्ग	
(7) डालकोला—रायगंज—माल्दा—बारासत।	क—42
(8) मुजफ्फरपुर—जनकपुर।	क—43
(9) दिल्ली—अलीगढ़—कानपुर—लखनऊ—फैजाबाद—गोरखपुर—कासिया—पिपरा (मुजफ्फरपुर—रक्सौल सड़क पर)।	क—44
(10) कलकत्ता—खड़गपुर—बांगरीपोसी—कटक—विशाखापटनम्—विजयवाड़ा—मद्रास—डिंडीगुल।	क—45
(11) धूलिया (बम्बई—ग्वालियर मार्ग पर)—नागपुर—रायपुर—सम्बलपुर—बाराकोट—बांगरी पोसी।	क—46
(12) ग्वालियर—शिवपुरी—इन्दौर—धूलिया—बम्बई—पूना—बेल-गांव—चित्रदुर्ग—बंगलौर—मद्रास।	क—47

Shri Shiva Chandra Jha : Mr. Speaker, I would like to know as to how much portion of the Asian highway, which will pass through India, has been completed and how much contribution of India has been in the shape of money for the portion passing through India ? Further I would like to know whether any portion of it passes through Bihar also and if so, how much portion of it has been completed and how much remains to be completed ?

Shri Iqbal Singh : The portion of India is given in the statement. So far as the portion of Bihar is concerned, I shall have to find out. But I can say that it passes through Bihar. National Highway Route No. I goes from Agra to Calcutta and it passes through Bihar. When Route No. A (2) comes from Kathmandu to India, it comes from Tripura to Tanakpur in Bihar. But I can not tell its mileage.

Shri Shiva Chandra Jha : It has not been stated as to how much total expenditure incurred on the whole on its construction and how much expenditure incurred on the portion of Bihar.

Mr. Speaker : Has the Honourable Member not received the written statement ?

Shri Shiva Chandra Jha : The thing is that the portion passing through Bihar would pass through Dagmara near Nepal Border. I want to know that so far as the construction of Dagmara bridge is concerned, whether that portion comes under National Highway or not ?

Mr. Speaker : Where are such details ?

Shri Shiva Chandra Jha : Why do you protect him ? He is not telling that the portion, where Dagmara bridge would be constructed, would be on National Highway or not.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संगत है या नहीं, मैं इस बात का निर्णय करने के लिये यहां बैठा हूं । आप सड़कों के पुलों के बारे में भी पूछ रहे हैं । मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । पुल तो सैकड़ों हो सकते हैं ।

Shri Shiva Chandra Jha : Bridge is there. It is in connection with the construction of bridge on the road connecting the Asian Highway.

श्री पीलु मोडी : क्या आप विनिर्णय दे रहे हैं कि पुल राजपथ का एक संगत भाग नहीं है ?

Shri Iqbal Singh : The Karara route out of all the routes in India is 4901 miles.

अध्यक्ष महोदय : वह किसी विशेष पुल के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री इकबाल सिंह : कौन-सा पुल ?

Shri Shiva Chandra Jha : There is a Dagmara bridge on the portion of Bihar near Nepal border.

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक पृथक् प्रश्न पूछिये । इसका इससे सम्बन्ध नहीं है ।

श्री इकबाल सिंह : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : वह पुलों के बारे में भी कैसे जान सकते हैं ?

Shri Ishaq Sambhali : A list has been attached in reply to a question. I would like to know from the Honourable Minister (1) how much construction work has been completed on priority list routes and when it would be completed ? (2) It is a good thing that roads are being constructed on the borders. It may be stated whether there is any scheme to extend

that road by constructing a bridge on the river Brahmaputra at Gwalpara in Assam, because it is a demand of the public of Assam and it is also necessary as it is a border area ?

Shri Iqbal Singh : So far as the Karara route, which is in our country, is concerned, the road is complete except 8 kilometres and according to ECAFE standard it is complete. We are trying to complete the alternative route from Silchar to Imphal. But the other routes are complete. So far as this bridge is concerned, if Honourable Member writes to me, I can tell about it that it is a bridge of Asian Highway or of National Highway.

Shri Ishaq Sambhali : He did not give reply to my question. I say that it is a Asian Highway (**interruption**). Thanks for inclusion of borders. The area of Assam which is within the Gwalpara District near river Brahmaputra, is also included in this border area. This is a borber area and if any incident take place there, it is very difficult for you to move there because of rains and muddy lands. I would like to know whether Government would see to it and if it is not included, whether they would include it ?

Shri Iqbal Singh : So far as the conception of Asian Highway is concerned that is thus that a road may be constructed **via** Turkey to Indonesia on the one side and **via** Iran to Vietnam on the other side and they had given only two priority routes to each country and in that country that will pass through the place where facility of International traffic would be provided. This is the conception of the Asian Highway. There is no such conception that the road might extend right upto our borders. We have fixed only those routes which had been advised by the Government of India. Of them one Karara route is a priority route. So far as priority routes are concerned, those are complete. Only 8 kilometres from Vanvasa to Nepalganj is to be completed and that is only for this that the moment the road of Nepal is completed, we would complete that. The Asian Highway has declared only these roads. This is their conception and accordingly I replied to.

पश्चिम बंगाल के उपमुख्य मंत्री का वक्तव्य

*430. **श्री रामगोपाल शालवाले :** **श्री सूरज भान :**
श्री जगन्नाथराव जोशी : **श्री शारदानन्द :**
श्री अटलबिहारी वाजपेयी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के उपमुख्य मंत्री, श्री ज्योति बसु ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण में गत अगस्त में अपने भाषण में यह कहा था कि भारत का संविधान पूंजीपति पोषक है और वे उसको समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं;

(ख) क्या उक्त वक्तव्य से पहले एक साम्ययादी संसद्-सदस्य श्री अ० कु० गोपालन तथा केरल के मुख्य मंत्री श्री नम्बूदिरिपाद ने भी ऐसे ही वक्तव्य दिये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अगस्त, 1969 में दिल्ली विश्वविद्यालय में श्री ज्योति बसु ने अपने भाषण में संविधान की "बूर्जुआ प्रवृत्ति" के बारे में बात की और कहा कि इसमें मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है ।

(ख) और (ग). इस विषय में 24 जुलाई, 1969 को लोक सभा में गृह मंत्रालय में मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य और उसी दिन बाद में सदन में हुई बहस के दौरान सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया गया था ।

Shri Ram Gopal Shalwale : Whether Government would take steps to dislodge the persons who do not have faith in the Constitution and who declare that they would try to wreck this Constitution ?

Shri Vidya Charan Shukla : We have officially received the information from the Government of West Bengal that the Deputy Chief Minister of West Bengal did not say that he wanted to break the Constitution. He stated that in his idea the existing Constitution was in that form that could not bring about any progress there. Therefore it needed fundamental change. They have given this information and according to them he did not say that that should be broken down.

Shri Ram Gopal Shalwale : The question is based on the information published in the newspapers. Whether Government have asked from Shri Jyoti Basu the reason for giving such speech or the news published in the newspapers is wrong and whether Government made any enquiry into this matter ?

Shri Vidya Charan Shukla : Hon. Member should know that we have given the reply after making an enquiry.

Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Jyoti Basu or Members of Parliament have said something but what is their faith in the Constitution is clear from the incidents of West Bengal during the last five months. Within this year more than 400 political murders have been committed. When the case is got registered in the police, it is not taken. According to his statement regarding breaking of the Constitution, Constitution is broken down. It is the responsibility of the Central Government under Section 355 of the Constitution. There is not only external aggression but there are internal disturbances also. I would like to know whether it is not your responsibility ? Whether any information regarding the situation prevailing there has been asked for from the Governor also ? What reply has been received thereof ? Is it not the duty of the Centre ? According to the law everybody has got a right to live in but they are deprived of it. The Centre cannot keep quiet. They say that they do not depend on the Constitution.

वास्तव में तथ्य यह है संविधान तोड़ा गया है और केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर रही है।

According to the Section 355 of the Constitution it is the duty of the Centre to ask for a report from the Governor and take action thereon. I would like to know whether the Central Government would shoulder their responsibility ?

Shri Vidya Charan Shukla : There is no doubt that it is the responsibility of the Central Government that the administration run in each State according to the Constitution and law and the responsibility of the Central Government is to look after it. So far as the present situation is concerned, it has been discussed in the House.

श्री नम्बियार : स्थिति से निपटने के लिये पश्चिम बंगाल में राज्य का विधान मण्डल है ।

Shri Vidya Charan Shukla : On behalf of the Government the Minister of Home Affairs has stated his view point. When we shall understand that it is necessary to intervene, we would intervene. We should not intervene before that.

Shri Jagannath Rao Joshi : Without asking for any report from the Governor how it would be known that we can intervene or not ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

किसानों के लिये मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान

*422. **श्री मयावन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि किसानी को तीन से दस दिन पहले मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान की जानकारी दे दी जाये तो भारत को प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या हमारा मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान प्रायः गलत तथा अप्रभावी पाया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान को अधिक सही बताने में सहायता के लिये अमरीका तथा रूस की सरकारों से परामर्श करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) किसानों के लिये मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमानों में फिलहाल अगले 36 घंटों के लिये प्रचलित एवं प्रत्याशित मौसम की परिस्थितियां बताई जाती हैं तथा उसके बाद के दो दिनों के लिये मौसम की संभावनाओं का भी निर्देश किया जाता है । यदि मौसम संबन्धी पूर्वानुमान और अधिक लम्बी अवधि के लिये हो सके तो किसानों को निःसन्देह उससे सहायता मिलेगी । परन्तु लाभ का सही-सही धन के रूप में मूल्यांकन कर सकना कठिन है ।

(ख) और (घ). विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा तैयार की गई विश्व मौसम निगरानी योजना के भाग के रूप में एक स्कीम का भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चालू योजना को अवधि में क्रियान्वयन के लिए अनुमोदन कर दिया है । इस प्रायोजना का उद्देश्य, तीव्र गति वाले इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटरों जैसे आधुनिकतम अभ्युन्नत तकनीकी उपकरणों को प्रयोग करते हुए उसे एक सहकारी विश्व प्रेक्षण एवं पूर्व कथन तंत्र के रूप में सम्पन्न करना है । इस योजना में वाशिंगटन, मास्को तथा मेलबोर्न में तीन विश्व मौसम विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और क्षेत्रीय दूर संचार हवा और क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र मुख्य ट्रंक सर्किट के महत्व पूर्ण स्थानों पर, जिनमें दिल्ली भी एक होगा, स्थित होंगे । क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र का एक मुख्य काम सारी दुनिया से वृहत मात्रा में एकत्रित किये गये मौसम सम्बन्धी आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा कम्प्यूटर की सहायता से मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान तैयार करना होगा जिससे और अधिक सही मौसम पूर्वानुमान देना तथा प्रामाणिकता अवधि को बढ़ा कर उसे 3 से 5 दिन तक करना सम्भव हो सकेगा । अधिक अनुसंधान के बाद, यह संभव हो सकता है कि पूर्वानुमानों की अवधि को 10 दिन तक भी बढ़ाया जा सके ।

(ग) पिछले 30 वर्षों के दौरान जारी किये गये मौसम पूर्वानुमानों की जांच से पता चलता है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के लगभग 75% पूर्वानुमान पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हुये हैं और 15% आंशिक रूप से सत्य सिद्ध हुये हैं। पूर्वानुमानों की सफलता किसानों द्वारा इनके सही सही उपयोग पर निर्भर करती है।

कार्मिक संघ (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक

*423. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिये कार्मिक संघ (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक केन्द्र को कब भेजा था;

(ख) क्या सरकार ने इस दस्तावेज की प्राप्ति सूचना भेजी है और यदि हां, तो कब ; और

(ग) राष्ट्रपति की अनुमति आज तक प्राप्त न करने तथा उसे पश्चिम बंगाल सरकार को न भेजने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विधेयक 10 नवम्बर को भेजा गया था और गृह मंत्रालय में 13 नवम्बर, 1969 को प्राप्त हुआ था।

(ख) जी हां श्रीमान्, 14 नवम्बर, 1969 को।

(ग) विधेयक संबंधित मंत्रालयों को, उनके विचार जानने के लिये, 15 नवम्बर, 1969 को भेजा गया था और अब उनके विचाराधीन है। सभी संबंधित मंत्रालयों में जांच पूरी होने के बाद ही कोई निर्णय संभव होगा।

Establishment and Development of Language Laboratories

*424. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Committee appointed by the National Council of Educational Research and Training, Government of India, under the Chairmanship of Shri S. V. C. Aiya has recommended for the establishment and the development of language laboratories for teaching language to the children and the adults ;

(b) whether it is also a fact that a good deal of time and money would be saved by setting up language laboratories ;

(c) whether more time would be available for teaching science and mathematics if lesser time is allotted for language teaching ; and

(d) if so, the time by which Government propose to start these language-laboratories ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Yes, Sir ; in so far as time is concerned. But additional funds will be necessary to establish and maintain the language laboratories.

(d) The matter is at present under consideration.

वन्य पशु पर्यटन का विकास

*427. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन्य पशु पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कोई योजनाएं बनाई हैं ताकि देश को अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). विभाग पर्यटन के इस रूप को बड़ा महत्व प्रदान करता है, तथा चौथी योजना की अवधि में इसके लिये 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इससे सम्बन्धित स्कीमों में चुने हुये वन्य पशु शरण स्थानों में आवास तथा परिवहन की व्यवस्था का आयोजन सम्मिलित है। पहले दौर में चुने गये स्थान कान्हा किसली और कार्बेट नेशनल पार्क, भरतपुर वन्य पक्षी शरण स्थान तथा गिर और काजीरंगा के वन्य पशु शरण स्थान हैं। वन्य पशु पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विभाग में उपमहानिदेशक के स्तर का एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है।

न्यूनतम और अधिकतम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियां

*428. **श्री हरदयाल देवगुण :**

श्री जय सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के न्यूनतम वेतन पाने वाले तथा अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को क्रमशः वेतन तथा भतों के रूप में कितनी राशि दी जाती है ;

(ख) क्या न्यूनतम वेतन पाने वाले तथा अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को परिलब्धियों के बीच एक अनुपात निर्धारित करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन उच्चतम व न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

(i) भारत सरकार के सचिवों के लिये 3500 रुपये मासिक (भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों के लिये 4000 रुपये मासिक वेतन)।

(ii) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 141 रुपये।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Measures for Improvement of Delhi Transport Undertaking

*431 **Shri Brij Bhushan Lal :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the details of the measures adopted for the improvement and expansion of the Delhi Transport Undertaking during and after the Third Five Year Plan ; and

(b) the details of the measures proposed to be taken during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) and (b). During the Third Five Year Plan period 498 buses and 22 auxiliary vehicles were added to the fleet of the Delhi Transport Undertaking at a total cost of Rs. 322.78 lakhs. In addition to this, 171 over-aged buses were renovated and construction work of Hari Nagar and Kalkaji Depots was completed.

During the Fourth Five Year Plan period it is proposed to purchase 1156 buses at an estimated cost of Rs. 956.25 lakhs. Besides Rs. 43.75 lakhs are likely to be spent on the purchase of auxiliary vehicles, plant and machinery, construction of depots, sub-depots, bus stations and furniture and fixture, during the Plan period.

राजनैतिक हत्याएं

*432. **श्री जे० के० चौधरी :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू वर्ष में कोई राजनीतिक हत्याएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन हत्याओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) देश में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). दलों के परस्पर झगड़ों तथा मार्क्सवादी साम्यवादी दल (वामपंथी) तथा अन्य उग्रवादियों की गतिविधियों से उत्पन्न ऐसी हत्याओं के दृष्टान्त हमारे ध्यान में आये हैं। केन्द्रीय सरकार को अपने अभिकरणों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी हत्याएं आन्ध्र प्रदेश में (31), बिहार में (10), केरल में (25), उड़ीसा में (2), पंजाब में (5) और पश्चिम बंगाल में (101) हुईं। नागालैण्ड सरकार को सन्देह है कि दो हत्याएं राजनीतिक उद्देश्य से की गईं। मनीपुर में विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ों के परिणामस्वरूप हुई मौतें भी इसी श्रेणी की हैं।

(ग) ऐसी सभी हत्याओं की शीघ्र तथा पूरी जांच-पड़ताल करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है, ताकि ऐसे जघन्य अपराध करने के लिये संदिग्ध व्यक्तियों के साथ तदनुसार निपटा जा सके। इन समस्याओं से निपटने में सरकारों को सभी उचित सहायता का आश्वासन दिया गया है।

स्वर्गीय सरदार दर्शन सिंह के फेरूमान तथा प्रधान मंत्री के बीच चण्डीगढ़ के बारे में पत्र-व्यवहार

*433. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री चं० चु० देसाई :
श्री अजमल खां :
श्री दे० अमात :
श्री रा० की० अमीन :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय सरदार दर्शन सिंह फेरूमान, जो चण्डीगढ़ के प्रश्न के बारे में भूख हड़ताल कर रहे थे, और प्रधान मंत्री के बीच कोई पत्र-व्यवहार हुआ था ; और

(ख) क्या उनके बीच हुये पत्र-व्यवहार को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रधान मंत्री के स्वर्गीय सरदार दर्शन सिंह फेरूमान को भेजे गये 30 अगस्त, 5 सितम्बर तथा 13 अक्टूबर, 1969 के पत्रों तथा स्वर्गीय सरदार दर्शन सिंह फेरूमान के प्रधान मंत्री को भेजे गये 20 सितम्बर, 9 अक्टूबर, तथा 15 अक्टूबर, 1969 के पत्रों की एक-एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी जाती है। **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-2242/69.]** ।

भारत में तकनीकी प्रशिक्षण के विस्तार सम्बन्धी भारत और ब्रिटेन की समिति

*434. **श्री कं० हाल्दर :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री न० कु० सांघी :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री सीताराम केसरी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक मिश्रित पाठ्यक्रमों (सैंडविच कोसज) के द्वारा भारत में तकनीकी प्रशिक्षण के विस्तार के बारे में सरकार को सलाह देने के लिये भारत और ब्रिटेन की एक समिति की स्थापना करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि तकनीकी शिक्षा को शामिल करते हुये, शिक्षा की एक संयुक्त भारतीय ब्रिटिश समिति का गठन किया जाये जो दोनों देशों के बीच निकट संपर्क बनाये रखे और इस क्षेत्र में सूचना और विचारों का आदान-प्रदान करे । ब्योरे अभी तैयार किये जाने हैं ।

हमारे देश में पोलिटेक्निक शिक्षा की मौजूदा स्थित की जांच और इसके पुनर्गठन तथा विकास के हेतु, जिसमें अन्तर्निष्ठ (सैंडविच) पाठ्यक्रम भी शामिल हैं, दस वर्षीय आयोजना तैयार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का प्रस्ताव भी है। हमारा विचार है कि समिति में सलाहकार के रूप में, ब्रिटेन को शामिल करते हुये उन्नत देशों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाए ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का बटवारा

*435. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न भागों में कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी काम कर रहे हैं और उनके बटवारे के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ;

(ख) क्या पदोन्नति तथा सीधी भर्ती के माध्यम से चयन के लिये कोई प्रतिशतता निर्धारित की गई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इस संवर्ग के लिये पदोन्नति के अनुपात में वृद्धि करने का सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). 1-1-1969 को देश के विभिन्न भागों में काम करने वाले भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की कुल संख्या 2626 है। अधिक से अधिक 25 प्रतिशत वरिष्ठ पद राज्य सिविल सेवा और अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा नियुक्त करके भरे जाते हैं। शेष पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरने होते हैं। राज्य आवंटन के बारे में नीति यह है कि किसी राज्य में रिक्तियों की अधिक से अधिक आधी संख्या सम्बन्धित राज्य के सीधे भरती किये गये व्यक्तियों को दी जाती है। शेष रिक्तियां अन्य राज्यों के उन उम्मीदवारों से भरी जाती है जिन्हें एक निश्चित सूत्र के अनुसार विभिन्न राज्यों को आवंटित किया जाता है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के मामले में उनको उपलब्ध रिक्तियों की सीमा के भीतर अपने राज्यों अथवा पड़ोसी राज्यों में खपाने के प्रयास किये जाते हैं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ललित कला अकादमी में दलगत राजनीति और गुटबन्दी

*436. **श्री धीरेश्वर कलिता :**

श्री क० मि० मधुकर :

श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललित कला अकादमी में दलगत राजनीति और गुटबन्दी के बारे में

12नवम्बर, 1969 के "पेट्रियट" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समाचार में कोई सार है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो ; तो अकादमी में दलगत राजनीति और गुटबन्दी को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). ललित कला अकादमी से प्राप्त सूचना के अनुसार जब कि कुछ मामलों में राय में मतभेद है, ये दलगत राजनीति या गुटबन्दी की प्रकृति के नहीं हैं । फिर भी, इस अकादमी और दूसरी अकादमियों के कार्यों की जांच के लिये निरीक्षण समिति नियुक्त की जा रही है । समिति के गठन पर विचार किया जा रहा है ।

1970 के लिये सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा

*437. **श्री मीठा लाल मीना** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा घोषित 1970 की सार्वजनिक छुट्टियों की सूची में होली, दीवाली, जन्माष्टमी तथा रामनवमी जैसे हिन्दू पर्वों को शामिल नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । ये सब पर्व दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के सम्बन्ध में 1970 की सार्वजनिक छुट्टियों की सूची में शामिल किये गये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Use of Hindi in Offices and Publishing Textbooks in Hindi

*438. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to the Short Notice Question No. 25 on the 13th May, 1969 and state :

(a) the steps taken by his Ministry for direct use of Hindi as an Official language without the assistance of translation in official work ;

(b) the time by which at least one text book would be made available for each examination paper, as a result of the efforts made by his Ministry ;

(c) the time by which English language will be confined to libraries only ; and

(d) the time by which guidance and advisory service would be made available to the students at the time of getting admission to the Universities ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Members of staff of this Ministry who do not have adequate knowledge of Hindi are receiving training in Hindi under an arrangement made by the Ministry of Home Affairs who are responsible for progressive use of Hindi for official purposes.

(b) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the availability of textbooks in Hindi at University level, because books at school level examination for each subject are already available. This Ministry has agreed to make available Rs. one crore to each of the five Hindi-speaking States for production of University level books in Hindi at the first degree stage. In the guideline circulated to the State Governments, it has been laid down that an attempt should be made to ensure that textbooks to be written should be directly linked with the syllabus content of the respective paper. It is too early to estimate the time by which at least one text-book for each paper would be available.

(c) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the necessity of using English as language of comprehension at collegiate level. The Central Institute of English, Hyderabad, in collaboration with universities and the University Grants Commission have taken a number of steps especially through the Summer Institutes to re-orient college teachers in functional teaching of English. As this is a continuing process, no time limit could be set for such teaching of English in all universities uniformly.

(d) The Government have not set up guidance and advisory services at the universities. Many universities have already set up Student Advisory Bureaux/University Information Bureaux to provide guidance to students. As this is an activity which the universities will develop, Government is not in a position to set a time limit regarding the implementation of the scheme uniformly.

गुजरात के भूतपूर्व पुलिस इंसपेक्टर जनरल की बहाली के बारे में निर्णय

*439. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार से गुजरात पुलिस भूतपूर्व इन्सपेक्टर जनरल श्री जे० डी० नागरवाला को, जिन्हें भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों पर 1963 में नौकरी से मुअत्तिल किया गया था, बहाल करने को कहा है ;

(ख) श्री नागरवाला के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय आयोग के जांच-परिणाम क्या हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने किन कारणों से अब उन्हें बहाल करने के लिये कहा है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग ने श्री जे० डी० नागरवाला के विरुद्ध लगाये गये 18 आरोपों में से 13 को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सही पाया था। इन दोषारोपों का सम्बन्ध मुख्यत: तथाकथित कदाचार, सरकार को गुमराह करने, अभिलेखों में जालसाजी, अनधिकृत रूप से चन्दा मांगने, सरकार को हानि पहुंचाने आदि के कार्यों से है।

किन्तु संघ लोक सेवा आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 10 आरोप आंशिक रूप से सिद्ध हुये हैं और यह कि अवैध परितोषण को स्वीकार करने, अभिलेखों की जालसाजी, निधि का

दुर्विनियोग और भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप सिद्ध नहीं हुये । अतः उन्होंने सिफारिश की कि श्री नागरवाला का वेतन तीन वर्ष की अवधि के लिये घटाकर 2500.00 रुपये प्रति मास कर दिया जाये ।

यथोचित विचार के बाद केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश को मानने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियमों के अन्तर्गत, इस मामले में आवश्यक आदेश पास करने का आग्रह किया । किन्तु गुजरात सरकार संघ लोक सेवा आयोग के निष्कर्षों से सहमत नहीं हुई । इन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार को इस मामले में नियमों के अनुसार अन्तिम निर्णय लेना पड़ा । तदनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के अनुसार 3 दिसम्बर, 1969 को आदेश जारी किये गये । अधिकारी के निलम्बन के आदेश भी समाप्त कर दिये गये हैं ।

सहायक मार्गों (फीडर रूट्स) पर गैर-सरकारी व्यक्तियों को विमान सेवायें चलाने की अनुमति देने का प्रस्ताव

*440. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहायक मार्गों पर गैर-सरकारी व्यक्तियों को विमान सेवायें चलाने की अनुमति देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गैर-सरकारी सेवाओं के लिये किन सहायक मार्गों के आरक्षित किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर कारपोरेशन अधिनियम, 1953, की धारा 18 (ई) में प्राइवेट पार्टियों को नियमित आधार पर यात्रियों तथा माल के वहन के लिये अनुसूचित सेवाएं परिचालित करने के लिये अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था की गई है । जब कभी इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट आवेदन प्राप्त होगा तो सरकार स्थिति की जांच करेगी ।

(ख) इसका उद्देश्य उन स्थानों पर विमान सेवाओं की व्यवस्था को अवकाश प्रदान करना है, जहां कि इंडियन एयरलाइंस अपनी सेवाएं परिचालन करने की स्थिति में नहीं है ।

(ग) उक्त अधिनियम के विनियमों के अनुसार एक प्राइवेट परिचालक को किसी भी ऐसे मार्ग पर परिचालन की अनुमति दी जा सकती है जहां कि इंडियन एयरलाइन्स की अनुसूचित सेवा का परिचालन न होता हो ।

नेपाल द्वारा ट्राम्वे परियोजना आरम्भ करना

*441. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल ने काठमांडू घाटी के लिये ट्राम्वे परियोजना स्थापित करने के लिये भारत से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस परियोजना की स्थापना के लिये नेपाल को कितनी सहायता दी जायेगी ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

महाराजा जयपुर के संग्रहालय से चोरी हुई वस्तुओं की बरामदगी

*442. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधीन एक जांच-पड़ताल दल ने महाराजा जयपुर के संग्रहालय के भूतपूर्व निदेशक कुंवर संग्राम सिंह के घर की तलाशी ली थी ;

(ख) क्या तलाशी में 2000 दुर्लभ प्राचीन चित्र बरामद हुये थे ;

(ग) क्या राजस्थान पुलिस द्वारा, जिसने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के दल की सहायता की थी, उसी स्थान से 150 प्राचीन मूर्तियां भी बरामद की गई हैं ; और

(घ) क्या इन सबको चोरी का माल माना गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जयपुर में श्री संग्राम सिंह के मकान की तलाशी के दौरान 2008 रंग चित्र पकड़े गये।

(ग) पत्थर, पीतल, कांसा तथा पक्की मिट्टी की 229 मूर्तियां भी तलाशी के दौरान पाई गईं और राजस्थान पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई।

(घ) चूंकि इन सभी वस्तुओं की अभी पहचान की जानी है, अतः इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि क्या वे सब अथवा उनमें से कोई चुराई गई हैं अथवा नहीं।

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य मंत्रिमण्डलों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारण की सिफारिश

*443. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

श्री वासुदेवन नायर :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा केन्द्र और राज्यों के मंत्रिमंडलों के आकारों के बारे में की गई सिफारिशों पर विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार इस सिफारिश से सहमत है और यदि हां, तो इसको कब तक और कैसे क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) से (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा केन्द्र के मंत्रि-परिषद् के आकार के बारे में सिफारिश भारत सरकार के शासनतंत्र तथा उसकी कार्य प्रणाली सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन तथा राज्यों के मंत्रि-परिषदों के बारे में राज्य प्रशासन सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में की गई है। इन प्रतिवेदनों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है। दल-बदल सम्बन्धी समिति ने भी मंत्रि-परिषदों के आकार को सीमित करने के प्रश्न की जांच की थी। इस समिति द्वारा व्यक्त किये गये विचारों तथा संसद् में उन पर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस विधान को पुरःस्थापित करने का है।

इम्फाल में प्रधान मंत्री के दौरे के समय दंगे

*444. **श्री पीलू मोदी :**

श्री नन्द कुमार सोमानी :

श्री रामसेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब प्रधान मंत्री ने इस वर्ष सितम्बर में इम्फाल का दौरा किया था तो वहां दंगे हुए थे ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक व्यक्ति मारे गये थे और लाखों रुपये के मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या इन उपद्रवों के कारणों के सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल की गई है और अपराधियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). प्रधान मंत्री की हाल की मनीपुर यात्रा के दौरान, थोड़े से लोगों तथा कतिपय संगठनों ने नारे लगाने तथा काला-झण्डा

प्रदर्शन करने के लिए उकसाया था। उस स्थान को जाने वाली सड़क को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया जहां 23 सितम्बर को प्रधान मंत्री द्वारा एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया जाना था। जब मार्ग साफ किया गया और प्रधान मंत्री ने सभा में भाषण देना आरम्भ किया तो कुछ व्यक्तियों ने प्रधान मंत्री को सुनने के लिये एकत्रित श्रोताओं पर पत्थर फेंकना आरम्भ किया। पुलिस ने एक हल्के लाठी चार्ज द्वारा उपद्रवकारियों को तितर-बितर करने का प्रयत्न किया किन्तु उन्होंने सभा-मैदान के दोनों तरफ घने बसे हुए क्षेत्र में शरण ली। उन्होंने राज्य परिवहन के दो ट्रकों, एक दमकल वाहिनी तथा एक एम्बुलेन्स गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस की एक अन्य गाड़ी को रोका गया और पुलिस अधिकारियों पर प्रहार किया जिसके फलस्वरूप दो पुलिस उप-अधीक्षकों समेत अनेक पुलिस कर्मचारी घायल हुए। जख्मों के परिणामस्वरूप पुलिस गाड़ी का चालक मर गया और गाड़ी को क्षति पहुंचाई गई और उसे नदी में धकेल दिया गया। 50 पुलिस कर्मचारी घायल हुए और 13 सरकारी गाड़ियों को क्षति पहुंची या नष्ट कर दी गई। कुछ मकानों से पुलिस दल की ओर गोली चलाये जाने की आवाज भी सुनाई दीं। धन-जन को आसन्न खतरे के कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप जनता के तीन व्यक्ति मारे गये। गोली तथा पथराव के कारण 56 अन्य व्यक्ति घायल हुए जिनमें से एक बाद में मर गया।

तत्पश्चात् उपद्रवकारियों ने नेहरू नृत्य अकादमी में मंच को आग लगा दी और विधान-सभा, थंगल बाजार की एक दुकान तथा एक पेट्रोल पम्प को आग लगाने का प्रयास किया। इसलिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। पुलिस तथा सेना द्वारा कड़ी गश्त लगाकर स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया। पुलिस का एक मामला दर्ज कर लिया गया है और 32 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। जांच-पड़ताल जारी है।

लद्दाख के बौद्धों द्वारा आन्दोलन की धमकी

*445. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के बौद्धों ने धमकी दी है कि यदि काश्मीर सरकार और संघर्ष समिति के अध्यक्ष के बीच हुए सप्त-सूत्री समझौते को काश्मीर सरकार क्रियान्वित नहीं करती है तो वे पुन: आन्दोलन आरम्भ कर देंगे ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने का है ताकि संघर्ष न हो ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार काश्मीर सरकार से समझौते को क्रियान्वित न करने के कारण पूछेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार को ऐसी मांगों के किये जाने की सूचना है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा लद्दाख के बौद्धों को दिये गये आश्वासनों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाय।

(ख) से (घ). जम्मू तथा काश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वह अपने द्वारा दिये गये आश्वासनों को कार्यान्वित करने के लिए आवाश्यक कार्यवाही कर रही है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष की विमान यात्राएं

*446. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 1 अगस्त 1960 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1746 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा विमान से की गई यात्राओं से सम्बन्धित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). मैं इंडियन एयरलाइंस के चेयरमैन द्वारा 1.4.1966 से 31.3.1969 तक की अवधि के दौरान की गयी विदेश यात्राओं के ब्योरों को दिखलाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2243/69]**

आसाम के भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों के विरुद्ध जांच

*447. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार में काम करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों ने पायनियर मिशन जो कि मनीपुर तथा आसाम के कुछ भागों में काम करता है, के साथ काम करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार उक्त अधिकारियों के आचरण की जांच करने का अनुरोध किया है ; और

(ग) क्या जांच पूरी हो गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक अधिकारी श्री सी० एल० रेमा ने पूर्णतया धार्मिक और सामाजिक सेवाओं में स्वयं को रत करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्याग-पत्र दिया उसका त्याग-पत्र 1-1-69 से स्वीकार किया गया। ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि वह पायनियर मिशन में कार्य कर रहा है। असम के अन्य किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने त्याग पत्र नहीं दिया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

*448. **Shri Ram Charan :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of meetings held so far by the Highpower Committee appointed by his Ministry in regard to the problem of employment of Scheduled Castes/Tribes and what are the recommendations made by the Committee ; and

(b) the nature of recommendations implemented or proposed to be implemented therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affair (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b). Two meetings of the High Power Committee have been held so far.

A statement showing the recommendations made by the Committee and the action taken/proposed to be taken thereon is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L.T.-2244/69]**

Expenditure Incurred on Laboratories under C. S. I. R. in Excess of Allocation

*449. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the expenditure incurred by each of the laboratories under Council of Scientific and Industrial Research has been many times more than the allocation;

(b) if so, the details in respect of each during the last three years, year-wise ;

(c) whether Government have conducted an inquiry to ascertain whether the amounts spent by these laboratories in excess of their allocations were properly utilized;

(d) if so, the findings of the inquiry ;

(e) whether any procedure has been evolved to check expenditure indiscriminately in excess of the allocation ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). In the case of some laboratories, there have been noticeable variations involving excess or savings in expenditure with reference to the sanctioned budget estimates. However, with reference to revised estimates, there was excess exceeding Rs. 5.00 lakhs in the case of a few laboratories in the year 1966-67. In other cases, the variation (excess or saving) has not been significant.

A statemnt showing the original budget estimates, the revised estimates and the actual expenditure incurred by each of the National Laboratory/Institute during the three years 1966-67, 1967-68 and 1968-69 is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L.T.-2245/69]**

(c) and (d). The accounts of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) and its National Laboratories/Institutes are audited annually by the Comptroller and Auditor-General of India and the Public Accounts Committee of the Parliament also scrutinises the

expenditure of the CSIR and its National Laboratories/Institutes while examining the Audit Report of the CSIR every year. The question of conducting an inquiry separately does not arise.

(e) The Government of India provides funds to the CSIR in instalments on the basis of proportionate needs for 2 months each time. The progress of expenditure of the National Laboratories/Institutes is watched on the basis of progress statements received each month and taking into account cash balance, funds are released to the laboratories on monthly basis.

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में परिवहन सेवा

*450. **श्री चेंगल राया नायडू :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में परिवहन सेवा खराब हो गई है और यदि केन्द्र द्वारा दिल्ली परिवहन उपक्रम को और धन न दिया गया तो यह और भी खराब हो जायगी ;

(ख) परिवहन सेवा के खराब होने के अन्य कारण क्या हैं ;

(ग) सरकार का किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ;

(घ) क्या राजधानी में परिवहन सेवा में सुधार करने के लिये केन्द्र का विचार दिल्ली परिवहन उपक्रम के प्रबन्ध को दिल्ली प्रशासन से अपने नियंत्रण में लेने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) दिल्ली परिवहन उपक्रम के अनुसार यह सच नहीं है कि दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में परिवहन सेवा बिगड़ गई है । परन्तु दिल्ली परिवहन उपक्रम का विचार है कि चालू वित्त वर्ष में बिना ऋण सहायता के दिल्ली परिवहन के बेड़े को बढ़ाना संभव नहीं होगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उपक्रम को अपने बेड़े के विस्तार के लिये और ऋण देने का प्रश्न सक्रिय विचाराधीन है ।

(घ) जी, नहीं । परन्तु दिल्ली परिवहन उपक्रम को सांविधिक निगम में बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

अहमदाबाद में कैमरों तथा उनकी फ्लैशगनों सहित पकड़े गये व्यक्ति

2801. **श्री न० रा० देवघरे :**
श्री बेणीशंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 सितम्बर, 1969 को अहमदाबाद में पांच व्यक्ति पकड़े गये थे जो कि टैक्सी में, जिस पर प्रेस का जाली पास लगा हुआ था, कैमरों तथा उनकी फ्लैश गनों के साथ नगर में घूम रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन थे और कहां से आये थे ; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उनमें से दो महाराष्ट्र के तथा तीन अहमदाबाद के निवासी थे ।

(ग) चूंकि वे सन्देहात्मक परिस्थितियों में पाए गए थे अतः उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क के अधीन एक मामला दर्ज किया गया । मामले की जांच की जा रही है ।

एजल टाउन में बम विस्फोट

2802. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत अक्तूबर में किसी समय मिजो पर्वती जिले के मुख्यालय एजल टाउन के मध्य में बम विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो विस्फोट से हुई क्षति का ब्योरा क्या है ; और

(ग) वहां पर बम किस प्रकार रखा गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 2 अक्टूबर, 1969 को रात्रि के लगभग 11 बजे एक बम विस्फोट से एजल स्थित जिला परिषद् न्यायालय भवन के एक भाग को हानि पहुंची । 11,000 रु० की हानि का अनुमान है । पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल की जा रही है ।

कलकत्ता में ब्रिटिश पत्रकार की गिरफ्तारी

2803. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कलकत्ता में एक ब्रिटिश पत्रकार आर० ए० कनिंग

को जिसके बारे में कहा जाता है कि वह नीदरलैण्ड के एक अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी संगठन के परिचय-पत्र बेच रहा था, गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) क्या भारत यात्रा करने वाले विद्यार्थियों को रेलवे तथा हवाई कम्पनियों से रियायती भाड़े की सुविधा प्राप्त करने हेतु प्रायः ऐसे परिचय पत्र जारी किये जाते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार मिस्टर पौल ऐन्टोनी कनिंग नामक एक ब्रिटिश नागरिक को 50 रिक्त अन्तर्राष्ट्रीय छात्र पहचान-पत्रों तथा एक रबड़ की मुहर, जिन पर जाली तथा नकली होने का उचित सन्देह था, उसके कब्जे में होने के कारण कलकत्ता पुलिस द्वारा 30 सितम्बर, 1969 को गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420,467 तथा 471 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और वह अब न्यायालय की जमानत पर है। बताया जाता है कि वह भारत आने से पहले एक फोटोग्राफिक तकनीशियन के रूप में कार्य करता था।

(ख) भारतीय रेलवे तथा भारतीय एयरलाइन्स द्वारा शैक्षिक प्रयोजनों के लिये यात्रा करने वाले वास्तविक विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालयों या अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों या उसके दूतावासों द्वारा उनको दिये गये प्रमाण-पत्रों या पहचान-पत्रों यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने पर किराये में रियायतें दी जाती हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सड़क परिवहन से राजस्व

2804. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन से लगभग 3800 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होने की संभावना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि साधनों की कमी के कारण केन्द्रीय राज्य क्षेत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिये कुल मिला कर 829 करोड़ रुपये रखे गये हैं ;

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार के विचार में रेलवे बोर्ड की भांति ही सड़क बोर्ड बनाने का जिसका अपना बजट हो स्पष्ट मामला है ; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) सन् 1968-69 में सड़क परिवहन से प्राप्त राजस्व (केन्द्र और राज्य दोनों) लगभग 537 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह राशि मोटर गाड़ियों. स्पेयर पार्ट्स, पेट्रोल, आदि

से प्राप्त बिक्रीकर तथा लुब्रिकेटिंग तेल पर के कर से प्राप्त हुई राशि के अतिरिक्त है। चतुर्थ योजना काल में सड़क परिवहन से प्राप्त होने वाला राजस्व के बारे में कोई भविष्य वाणी करना कठिन है क्योंकि यह उस योजना काल में वर्ष प्रति वर्ष के दौरान केन्द्र और राज्य के कराधान के स्तर पर आधारित होगा।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे में केन्द्र और राज्य क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार के कार्य-क्रमों के लिये 829 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। यह व्यवस्था सड़कों के साथ-साथ दूसरे क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता और कुल साधनों को ध्यान में रखते हुये की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सड़क परिवहन का रेलवे से समानता करना स्वीकार नहीं किया जाता है जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है जहां राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण केन्द्र की जिम्मेदारी है वहां अधिकांश सड़कों का विकास राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा मोटर गाड़ियों पर सीधा टैक्स लगाया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सड़क परिवहन पर कराधान केवल आंशिक और अपरोक्ष है।

पुस्तकों की खरीद के लिये विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुदान

2805. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय-वार कितना-कितना वार्षिक अनुदान दिया गया ;

(ख) क्या ऐसे अनुदानों को वास्तव में पुस्तकों की खरीद के लिये ही उपयोग किया जाता है ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में अनुदान के दुरुपयोग का कोई विशेष उदाहरण विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में लाये गये हैं ;

(घ) क्या सरकार को दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के उप-कुलपति प्रोफेसर सी० एन० वकील द्वारा 1 अक्तूबर, 1969 को सूरत में दिये गये उस वक्तव्य के बारे में पता है जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि गुजरात में प्रत्येक कालेज में पुस्तकालय है परन्तु विद्यार्थी इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते क्योंकि वहां पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं ;

(ङ) अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों के खरीदे जाने के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या इस स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुस्तकों के लिए अनुदान देना बन्द कर देगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को पुस्तकालय हेतु दिये गये अनुदानों के बारे में जानकारी दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए। संख्या एल० टी०-2246/69]**

(ख) विश्वविद्यालयों को अधिकार दिया गया है कि वे अनुदान का कुछ भाग, 10 प्रतिशत से अधिक नहीं, पुस्तकालय के उपस्कर तथा प्राप्त अनुदान से खरीदी गई पुस्तकों की प्रोसैसिंग तथा 'कैटालोगिंग' के लिए अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती के लिए कर सकते हैं शेष राशि का उपयोग पुस्तकालय की पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिये करना होता है और विश्वविद्यालय को इस आशय हेतु प्रयोग सम्बन्धी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रो० सी० एन० वकील ने 28 सितम्बर, 1969 को लाइब्रेरी प्रशिक्षण सम्बन्धी सेमिनार का उद्घाटन करते समय यह कहा था कि विद्यार्थी, कालेज के पुस्तकालयों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी की पर्याप्त जानकारी नहीं है।

(ङ) और (च). विश्वविद्यालयों को इस बात का अधिकार है कि वे जिस भाषा में चाहे पुस्तकें क्रय कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय ने कोई शर्तें नहीं लगाई हैं अतः अनुदान बन्द करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के निष्कर्ष

2806. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स के कैप्टन हुइलगोल जिसके डी० सी० 9 एस० विमानों की खरीद सम्बन्धी सौदे में कमीशन लेने का कथित आरोप था, के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स के एक वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन टी० के० ललित को सेवा से निलम्बित करने के क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं;

(ग) निलम्बन से तुरन्त पूर्व कैप्टन हुइलगोल और ललित की मासिक उपलब्धियां कितनी थीं और उनके पदनाम क्या थे और क्या उनको भविष्य निधि और उपदान की राशि निकालने की अनुमति दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितनी राशि निकालने की अनुमति दी गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) ने जांच कार्य पूरा कर लिया है और उनका जांच परिणाम है कि

कैप्टेन आर० पी० हुइलगोल के विरुद्ध एक 'प्राइमाफेसी' केस है । तद्नुसार उनके विरुद्ध अदालत में एक आरोप-पत्र (चार्ज-सीट) दायर कर दिया गया है ।

(ख) कारपोरेशन को कैप्टेन टी० के० ललित के विरुद्ध कुछ आरोप प्राप्त हुए थे । प्रारम्भिक जांच से यह पता चला कि उनके विरुद्ध निम्नलिखित आधारों पर एक 'प्राइमा फेसी' केस था :

(i) कर्जदारी का आदी होना ।

(ii) अपने आचरण से कारपोरेशन की बदनामी कराना ।

(iii) सरकारी पद का दुरुपयोग ।

इसीलिये उसको मुअत्तिल कर दिया गया था ।

(ग) नाम और पद	मासिक उपलब्धियां	
1. कैप्टेन आर० पी० हुइलगोल, परिचालन निदेशक (छुट्टी पर जाने से पूर्व)	वेतन :	3000/—रुपये
	मकान किराया उपदान	300/—रुपये
	कुल—	3300/—रुपये
2. कैप्टेन टी० के० ललित परिचालन प्रबन्धक (प्रशिक्षण) हैदराबाद (मुअत्तिल होने से पूर्व)	वेतन :	2400/—रुपये
	महंगाई भत्ता :	125/—रुपये
	कुल—	2525/—रुपये

'प्राविडेंट फंड' तथा 'ग्रेचुइटी' का भुगतान कैप्टेन हुइलगोल अथवा कैप्टेन ललित किसी को भी नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में विभिन्न पर्यटन स्थानों में कम व्यय में रहने का प्रबंध

2807. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम की सिफारिशों को देखते हुए उनके मंत्रालय ने

गुजरात में विभिन्न पर्यटन केन्द्रों में मध्य आय वर्ग के पर्यटकों के लिए कम व्यय में ठहरने का प्रबन्ध करने के हेतु योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना का ब्योरा क्या है ;

(ग) इनको कब और कैसे क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(घ) यदि ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). माननीय सदस्य का निर्देश सम्भवत: पर्यटन विकास परिषद् की 12 वीं बैठक में की गई इस सिफारिश की ओर है कि तीर्थ स्थानों और उन स्थानों को जाने वाले मार्गों में पड़ने वाले पड़ावों पर मध्य आय वर्ग के तीर्थ-यात्रियों के लिये उपयुक्त साधारण मेस की तरह के आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उसकी सहायता से गुजरात में मध्य आय वर्ग के पर्यटकों के लिये निम्नलिखित आवास की व्यवस्था की गई है।

1. लोथल में केन्टीन-व-विश्रामकक्ष।

2. पोरबन्दर में निम्न आय वर्ग विश्राम-गृह।

3. चोरवाड़ में अवकाश-गृह (होलिडे होम)।

साबरमती में दस कमरों वाले एक पर्यटक बंगले का निर्माण किया जा रहा है, और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर वन में तीन ऐसी इकाइयों की व्यवस्था की जायेगी जिन में से प्रत्येक में सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त चार-चार डबल रूम होंगे।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, गुजरात सरकार का 12 लाख रुपये की लागत से हजरा, उभरथ, तिथल, शुक्लतीर्थ, उकई, द्वारका और शामलाजी आदि पर विश्राम-घर बनाने का प्रस्ताव है।

ग्राम सड़क समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति

2808. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना बनाते समय ग्राम्य सड़क समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखें ;

(ख) क्या उन्होंने इस सिफारिशों को क्रियान्वित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्रियान्वित की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली परिवहन की बसों के बोर्डों पर रूट नम्बर

2809. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में दिल्ली परिवहन की जो बसें चलती हैं, उनमें से अधिकतर बसों के बोर्डों पर या तो रूट नम्बर लिखा ही नहीं होता या वह सफेद चाक से ऐसा लिखा होता है, जिसको कठिनाई से ही पढ़ा जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों को इस असुविधा से बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) दिल्ली परिवहन उपक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सही नहीं है कि उपक्रम की बसें पट्ट पर बिना किसी रूट नम्बर के लिखे अथवा चाक से लिखे हुए नम्बर के चलती हैं यातायात की आकस्मिक आवश्यकता के कारण कुछ बसों को उनके सामान्य रास्ते (रूट) से दूसरे रास्ते (रूट) पर मोड़ना पड़ता है। अतः अस्थायी रूट पट्ट जिस पर चाक से रूट नम्बर लिखा जाता है, की व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ती है।

(ख) बसों का प्रबन्ध जब किसी प्रकार के गन्तव्य स्थान-पट्ट के लगाये बिना चलने वाली बसों को, देखता है तो वह इस बात की गम्भीर आलोचना करता है और सम्बन्धित कंडक्टरों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है। जांच और पर्यवेक्षक कर्मचारियों पर गन्तव्य स्थान पट्टों की गहरी जांच के अनुदेशों के बारे में बल दिया गया है।

हिंदी के प्रचार पर व्यय हुई धनराशि

2810. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिये अब तक प्रत्येक पद पर पृथक-पृथक कितनी धनराशि व्यय की गई है ; और

(ख) हिन्दी के प्रचार के लिए आगामी पांच वर्षों में कुल कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जहां तक शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय का सम्बन्ध है, हिन्दी के प्रचार व प्रसार के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से, अर्थात सन् 1961-62 से

1968-69 के अन्त तक, प्रत्येक योजना पर हुए खर्च की राशि प्रत्येक योजना के सामने दी गई है ।

		रुपये (लाखों में)
(i)	हिन्दीतर भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति	527.53
(ii)	हिन्दीतर भाषी राज्यों में हिन्दी-शिक्षक प्रशिक्षण कालिजों की स्थापना	45.68
(iii)	हिन्दी विश्वकोष तथा अन्य कोषों का निर्माण	19.18
(iv)	स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को अनुदान	70.15
(v)	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा में हिन्दी शिक्षकों का प्रशिक्षण	38.05
(vi)	मैट्रिक से ऊपर के स्तर पर हिन्दी पढ़ने के लिए हिन्दीतर भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	70.13
(vii)	हिन्दी के विकास के लिए हिन्दी-भाषी राज्यों को अनुदान	15.00
(viii)	विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रंथों का हिन्दी अनुवाद	65.38
(ix)	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा कार्यान्वित विविध योजनाएं, जैसे हिन्दीतर भाषी राज्यों में स्थित सार्वजनिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को हिन्दी पुस्तकों का उपहार, प्राइवेट प्रकाशकों के सहयोग से लोकप्रिय पुस्तकों का हिन्दी में प्रकाशन, सर्व संग्रहों और रीडरों का प्रकाशन, हिन्दी विस्तार कार्यक्रम, देवनागरी लिपि का विकास, भाषा और समाचार जगत का प्रकाशन आदि ।	11.61
(x)	हिन्दी में पत्राचार पाठ्यक्रम	1.60
(xi)	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का स्थापन खर्च	126.00
(xii)	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का स्थापन खर्च	62.05
	जोड़ :	1052.36

अर्थात, दस करोड़ बावन लाख और छत्तीस हजार रुपए ।

इस मंत्रालय द्वारा किए गए उपर्युक्त खर्चों के अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना के हेतु 162.51 लाख रुपए खर्च किये हैं।

सन् 1961-62 से पूर्व की जानकारी प्राप्य नहीं है क्योंकि अधिकांश सम्बद्ध रिकार्ड नष्ट किए जा चुके हैं।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, अर्थात् 1969-70 से 1973-74 की अवधि में हिन्दी प्रसार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 14 करोड़ रुपए का योजनागत प्रावधान किया गया है। 14 करोड़ रुपए के उक्त प्रावधान के अलावा गृह मंत्रालय द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना के लिए चतुर्थ योजना की अवधि में 1.40 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

2811. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के मंत्रालय तथा विभागों में कार्यालय प्रक्रिया में हिन्दी भाषा के प्रयोग और उसकी क्रियान्विति के लिए प्रत्येक मंत्रालय में कितने संयुक्त सचिव तथा इसी स्तर के अन्य अधिकारी तथा कार्य संचालन हेतु कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में काम की छपाई तथा टाइप आदि के रूप में दुहरा कार्य करने पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राजभाषा अधिनियम, 1963, यथासंशोधित, के अधिनियम के पश्चात् संयुक्त सचिव के दर्जे का एक वरिष्ठ अधिकारी, अधिमानतः प्रशासन का कार्य प्रभारी, संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग के बारे में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का कार्यन्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। गृह मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त राजभाषा सम्बन्धी कार्य को भी देखता है। विभिन्न मंत्रालयों में अनुवाद के प्रयोजनों के लिए 30 जून, 1969 को काम करने वाले कर्मचारी वर्ग की संख्या 180 थी। बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ऐसे कोई सांख्यकीय आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं और न ऐसा करना व्यवहार्य ही है। सूचना को एकत्रित करने में लगने वाला श्रम तथा समय प्राप्त होने वाले परिणामों के तुल्य नहीं होगा।

विशेष विषय के रूप में मैट्रिक तथा इसके बराबर की परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति

2812. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने लोगों ने विशेष विषय के रूप में हिन्दी लेकर (हिन्दी माध्यम सहित) मैट्रिक अथवा इसके बराबर की परीक्षाएं पास की हैं ; और

(ख) कितने लोग अंग्रेजी माध्यम से इन्टरमीडिएट अथवा इसके बराबर की परीक्षाएं पास की हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है। क्योंकि केन्द्र द्वारा कहीं भी ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, इसलिए, आंकड़े एकत्र करने में जो समय तथा श्रम लगेगा, वह प्राप्त परिणामों के समानरूप न होगा।

दिल्ली महानगरपरिषद में स्थानों के आरक्षण की प्रणाली

2813. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए महानगर-परिषद में स्थानों के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के मामले में अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सकें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत की राजधानी दिल्ली / नई दिल्ली स्वयं एक राज्य है जहां विभिन्न प्रयोजनों से सभी भारतीय राज्यों के लोग आकर बस गये हैं और वे अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सके ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली की महानगर परिषद में प्रतिनिधित्व के लिए क्या तरीके तथा प्रणालियां अपनाये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली की महानगर परिषद में 56 व्यक्ति हैं जो क्षेत्रीय चुनाव-क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गये हैं और अधिक से अधिक 5 व्यक्ति सरकार द्वारा मनोनीत किये गये हैं। जहां तक चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों के लिये जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण किया गया है। विभिन्न सांस्कृतिक हितों को परिषद में विशिष्ट प्रतिनिधित्व देने के लिये ऐसा कोई आरक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). यह सच है कि भारत के सभी भागों के लोग दिल्ली में रहते हैं जो एक संघ राज्य क्षेत्र है किन्तु उनमें से किसी के भी महानगर परिषद के लिये चुने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है बशर्ते वे सामान्य निर्वाचन अर्हताओं को पूरा करते हों। तथापि, यदि समुदाय का कोई विशेष वर्ग चुनाव द्वारा परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं पाता है और सरकार यह महसूस करे कि उस वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाय तो यह उद्देश्य यथासम्भव सीमा तक मनोनयन द्वारा प्राप्त किया जाता है।

ग्रेट एशियाटिक लाइन्स लिमिटेड, दिल्ली द्वारा जहाजों का लिया जाना

2814. **श्री पन्नालाल बारुपाल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की ग्रेट एशियाटिक लाइन्स लिमिटेड को जहाज खरीदने की सरकार की ओर से अनुमति है ;

(ख) दिसम्बर, 1966, 1967, 1968 में तथा 15 अगस्त, 1969 को कंपनी की प्राधिकृत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी क्रमशः कितनी थी ; और

(ग) 15 अगस्त, 1969 को कंपनी के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या थे, उनके सेवा तथा वाणिज्यिक पृष्ठभूमि का ब्योरा क्या है और प्रत्येक व्यक्ति का 1966, 1967 और 1968 के लिये आयकर निर्धारण सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) वर्तमान समय में इस कम्पनी के पास जहाजों के प्राप्त करने के लिए सरकारी वैध स्वीकृत नहीं है ।

सैद्धान्तिकरूप में इस कम्पनी को दो वरते हुए जहाजों को प्राप्त करने की स्वीकृति जून सन् 1967 तक केवल एक साल के लिये वैध थी । इस स्वीकृति को 6 महीने के लिये और बढ़ा दिया गया था किन्तु इस काल के अन्तर्गत भी कम्पनी जहाज न खरीद सकी इसलिए और अधिक समय की स्वीकृति नहीं दी गई और जहाज प्राप्त करने की स्वीकृति समाप्त हो गई ।

(ख) कम्पनी के मामलों के विभाग में प्राप्त हुई आवश्यक सूचना निम्न प्रकार है :

तिथि को	अधिकृत धनराशि	अभिदत्त धनराशि	प्रदत्त धनराशि
31-12-1966	25,00,000	...	...
31-12-1967	25,00,000	70	70
31-12-1968	25,00,000	70	70
27-3-1969	25,00,000	3,34,070	1,13,570
15-9-1969	25,00,000	9,44,070	उपलब्ध नहीं

(ग) दिनांक 21-5-1969 को डाइरेक्टरों के बोर्ड के सदस्यों के नाम (निकटतम तिथि जब तक सूचना प्राप्त है) निम्न प्रकार है :

(1)	श्री एम० एम० एल० सहगल	..	व्यवसायी
(2)	श्री एन० एन० सहगल	..	व्यवसायी
(3)	श्री ए० के० मुखर्जी	..	अवकाश प्राप्त नौ-अधिकारी
(4)	श्री आर० एस० यादव	..	अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी और कृषि विशेषज्ञ

(ग) नौवहन और परिवहन मंत्रालय कम्पनी के डाइरेक्टरों पर लगाए गए आय-कर से सम्बन्धित नहीं हैं फिर भी राजस्व और वीमा विभाग को इस बारे में लिखा गया था और उन्होंने देहली के आयकर आयुक्त से पूछताछ की और आयकर आयुक्त ने सूचित किया कि दिल्ली में न तो कम्पनी से और न उसके डाइरेक्टरों से आय कर लिया जाता है।

गया (बिहार) में धारा 144 के लागू होने के कारण खानों के ठेकेदारों के पट्टेदारी के अधिकार पर प्रभाव

2815. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गया (बिहार) में अक्तूबर, 1969 में राम शिला पहाड़ के आसपास के क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने धारा 144 लगा दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच है कि धारा 144 के लगाये जाने से खदानों के ठेकेदारों के पट्टे के अधिकारों पर, जोकि 1970 में समाप्त होने वाले हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप पत्थर तोड़ने वाले 5000 मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो खदान ठेकेदारों को उनके अधिकार वापिस देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कुछ लोग राम शिला पहाड़ में किये जा रहे उत्खनन कार्य के विरुद्ध इस आधार पर आन्दोलन कर रहे थे कि उस पहाड़ पर एक पवित्र मंदिर था। शान्ति भंग होने की आशंका के कारण उस क्षेत्र में अधिकारियों ने धारा 144 लगा दी ।

(ग) उक्त आदेश के अनुसार उत्खनन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इससे पट्टे की निरन्तरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

(घ) उत्खनन को पुनः चालू करने की सम्भावनाओं की जांच की जा रही है ।

गुजरात के बड़ौदा जिले में पर्यटकों की रुचि के स्थानों का विकास

2816. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में चंडोड के निकट करौली तथा व्यास जैसे विभिन्न तीर्थ स्थानों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, जहां प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री जाते हैं, सरकार का विचार इन स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इन स्थानों का तीर्थ-यात्रा केन्द्रों के रूप में महत्व होने के बावजूद भी, केन्द्रीय सरकार, साधनों के सीमित होने के कारण, इनका पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने में समर्थ नहीं है ।

Damage Caused to Central and State Property in Telengana

2817. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the details of damage caused to the Central Government, State Governments and private properties in the Telengana agitation since its start till now ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : According to the information furnished by the Government of Andhra Pradesh, Central Government property worth Rs. 12 lakhs, State Government property worth Rs. 35 lakhs, and private property worth Rs. 19 lakhs have been damaged in the agitation.

अहमदाबाद में दंगों के दौरान हरिजनों की जान-माल की हानि

2818. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान विभिन्न चोलों में रह रहे अनेक हरिजनों की जान और माल की हानि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हरिजनों को देश के सभी भागों में अस्पृश्यता के आधार पर सदा जलाया जाता है तथा उन्हें उनकी सम्पत्ति से वंचित कर दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कभी यह सोचा है कि उनके मकान भी बनाये जायें तथा उनकी सहायता की जाये जैसी कि हाल ही के दंगों में मुसलमानों के लिये किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि हाल के दंगों में किसी भी हरिजन की जान नहीं गई है किन्तु कुछ हरिजनों को अपनी सम्पति से हाथ धोना पड़ा है और वे दूसरों की तरह राज्य सरकार द्वारा घोषित राहत और पुनर्वास के सभी लाभों के भागी होंगे ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, असम, जम्मू व कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैण्ड, उड़ीसा पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों और अण्डमान व निकोबार दीपसूमह, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा व नागर हवेली, गोवा, दमन व दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव, मिनिकाय व अमिनदीवी द्वीप समूह, मनीपुर, नेफा, पांडिचेरी और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसा नहीं है । असम, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से सूचना प्रतीक्षित है ।

संसद सदस्यों का नेताजी जी मृत्यु के बारे में जांच के लिए सुझाव

2819. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :
श्री अदिचन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री स० कुन्दू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु की परिस्थितियों की पुनः जांच के बारे में संसद् सदस्यों के अभ्यावेदन पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार न्यायिक जांच अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच करायेगी ; और

(ग) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). इस मामले के समस्त पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और यह पता चला है कि कोई नई जांच को कराने में अनेक कठिनाइयां होंगी। तथापि, चूंकि कई संसत्सदस्यों ने एक पत्र में प्रधान मंत्री को नई जांच कराने का सुझाव दिया है, अतः इस मामले पर 6 दिसम्बर, 1969 को गृह मंत्री का उनके साथ बात-चीत करने का विचार है।

झरिया की न्यू स्टैंडर्ड लोदना कोयला खान में एक खनक की मृत्यु

2820. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री भगवान दास : **श्री उमानाथ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद में, झरिया की न्यू स्टैंडर्ड कोयला खान में 18 मार्च, 1969 को एक खनक मृत पाया गया था जिसके शरीर पर कई चोटें थीं; और

(ख) क्या सरकार इस घटना की पुनः जांच करेगी ताकि अपराधी का पता लगाकर उसे दण्ड दिया जा सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :(क) और (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

अपीलकर्त्ताओं की विमुक्ति

2821. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्रीविश्वनाथ मेनन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय की, जो केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 1968 की फौजदारी अपील संख्या 81 में दिया गया था और जिसमें अपीलकर्त्ताओं को विमुक्त कर दिया गया था, क्रियान्विति में हुई असाधारण देरी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केरल सरकार ने, जिनसे सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था, शीघ्र ही उक्त सूचना एकत्रित करने और भेजने का वायदा किया है। प्राप्त होने पर उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

सरकारी उपक्रमों तथा सांविधिक बोर्डों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के स्थान सुरक्षित करने के निदेश

2822. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों तथा सांविधिक बोर्डों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करने के निर्देश दे दिये गये हैं, जैसाकि सरकारी सेवाओं में किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह देखने के लिये कि इस निदेश का पूर्णतया पालन किया जाता है, कोई सामाजिक जांच की जाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सरकारी उपक्रमों तथा सांविधिक निकायों को सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा उनके अधीन पदों में सरकारी सेवाओं की भांति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रिक्तियां आरक्षित करने की सलाह दी गई है ।

(ख) निदेशक मंडलों / उपक्रमों के शासी निकायों / सांविधिक निकायों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आशा की जाती है । इसके अतिरिक्त, प्रोफार्मा भी निर्धारित किये गये हैं जिनमें सरकारी उपक्रमों / सांविधिक निकायों को एक वर्ष में भरी गई रिक्तियों की संख्या, सेवा की प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तथा वास्तव में नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की संख्या के बारे में सूचना देनी पड़ती है । इससे प्रशासनिक मंत्रालय नियंत्रण को प्रयोग करने में समर्थ होंगे ।

States visited by Prime Minister and other Ministers

2823. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the States visited by her and by each Central Minister and Deputy Minister since September, 1969 ;

(b) the purpose of the visit ; and

(c) the total expenditure incurred on these visits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तारी

2824. **श्री रा० बरुआ :** **श्री मयावन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में बहुत से पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968 और 1969 में कुल कितने पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किये गये और कितने मारे गये ; और

(ग) क्या उनसे कोई दस्तावेज बरामद हुए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एम० रामास्वामी) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्वालियर राजघराने की निजी थैली का साम्प्रदायिक तथा समाज-विरोधी गतिविधियों के लिये कथित उपयोग

2825. **श्री भगवान दास :**
श्री कं० हाल्दर :
श्री बदरुद्जा :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर राजघराने को निजी थैली के रूप में कितनी धन-राशि मिलती है ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्वालियर राजघराने को दी जाने वाली निजी थैलो की धन-राशि का कुछ साम्प्रदायिक गति-विधियों तथा समाज-विरोधी तत्वों के लिये उपयोग किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ग्वालियर के वर्तमान नरेश को 10 लाख रुपये वार्षिक की निजी थैली मिलती है ।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Burnt and Torn Pages of Gita found at Aligarh University

2826. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some burnt and torn pages of the religious scripture of the Hindus Geeta were found in Aligarh University in the month of September, 1969 ;

(b) whether Government have made any enquiries in this regard ; and

(c) if so, the action taken by Government against the persons responsible for the act ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to information received from the State Government on October 4, 1969 a few half burnt pages of the Gita were found scattered in the Aligarh University campus.

(b) and (c). A case has been registered and is being investigated according to law.

Tours of Prime Minister in India

2827. **Shari Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the places in India where the Prime Minister had gone on trips by air during the last two years together with the dates of her trips to those places ;

(b) the expenditure borne by Government in that connection ;

(c) the names and addresses of the persons, others than Press representatives and Government officials, who travelled in those aeroplanes with the Prime Minister ; and

(d) the number of official and private trips out of the aforesaid trips of the Prime Minister ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) A statement is attached (Annexure-I). **[Placed in Library. See No. LT.-2247/69]**

(b) No payments are required to be made on account of the Prime Minister's use of Air Force Planes for her journeys, except where such journeys are un-official, as on accasions like Elections and party sessions.

(c) The names of the persons other than the Central or State Government officials or Press Representatives, who accompanied the Prime Minister are given in the statement at Annexure-II. **[Placed in Library. See No. L.T.-2247/69]**. The addresses wherever available have also been given. On many occasions, Members of Parliament and State Legislatures, accompany the Prime Minister on tours of their respective States. Whenever they did so, in connection with unofficial journeys during the period in question, charges at the prescribed rates were recovered from them. In other cases, subject to the availability of seats, and precedence being given to official requirements, occasional air-lifts were provided on request, in accodance with the rules, which allow the Prime Minister the necessary discretion in the matter.

(d) The unofficial tours have been marked with asterisks (*) in the statement at Annexure-1

Countries visited by the Prime Minister and other Ministers during 1967—69.

2828. **Shri Mrityunjay Prasad :**
Shri Beni Shankar Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of Ministers including the Prime Ministers along with the names of countries which they visited during the period from April, 1967 to 31st October, 1969 ;

(b) the purpose of each visits and the number of reporters, their sons, daughters, wives and husbands and the non-official persons, the names and numbers of Government officials, Assistants, Secretaries, Advisers, Doctors, Photographers and Personal Attendants who went with the Prime Minister and other Ministers on each visit and the expenditure incurred on each visit ; and

(c) whether the other Ministers submit to the Prime Minister a report in regard to achievement of objects of the visit after the completion of each visit and whether the Prime Minister has received all such reports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बिहार में गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा राइफलें बनाना

2829. **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राइफलें बनाने का कार्य बिहार में गैर-सरकारी निर्माताओं को सौंप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल आवश्यकता का कितना भाग इन गैर-सरकारी निर्माताओं को निर्माण के लिये सौंपा गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि कोटे में कमी किये जाने के कारण बहुत से गैर-सरकारी निर्माताओं के कारखाने बन्द हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो बन्द हुए इन कारखानों से छंटनी किये गये श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बिहार में किसी वैध लाइसेन्सधारक के बन्दूक बनाने के कोटे में अब तक कोई कमी नहीं की गई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Development of Hotels in Collaboration with Foreign Countries

2830. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received some suggestions for the development and extension of hotels in collaboration with foreign countries ;

(b) if so, the nature of these suggestions ;

(c) the number of suggestions which have been accepted ; and

(d) the names of the hotels in respect of which foreign collaboration has been assured ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d). Government have approved four hotel projects to be constructed/operated with foreign collaboration. One of these, the Oberoi-Intercontinental Hotel in New Delhi constructed by East India Hotels Ltd. in collaboration with Intercontinental Hotels Corporation, U.S.A., has been functioning since 1965. The other three collaboration proposals are for the setting up of luxury hotel complex in Bombay, and the collaborating parties are :

(i) Indian Hotels Co. Ltd. (Tatas) with Intercontinental Hotels Corporation, U.S.A.

(ii) East India Hotels Limited (Oberois) with Sheraton International Inc., U.S.A.

(iii) Metropolitan Hotels Ltd. (Shiv Sagar Estates) with Hilton Hotels, International, U.S.A.

No further applications for the setting up of hotels with foreign collaboration are pending with the Government at present.

अन्दमान में राजस्व का वसूल किया जाना

2831. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक अन्दमान में प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत वर्षवार कितना राजस्व वसूल किया गया तथा कितना खर्च किया गया ;

(ख) वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक किये गये विकास खर्च का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में विकास कार्यों, विशेषतया कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों में की गई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बारे में वसूल किये गये राजस्व की राशि तथा खर्च की गई राशि और 1969-70 के लिये बजट में आय-व्यय की राशियां अनुलग्नक (क) तथा (ख) पर विवरणों में बताई गई हैं। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2248/69]**

(ख) 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की योजनागत परियोजनाओं पर किये गये व्यय के ब्योरे और 1969-70 के लिये योजना विनियोजन अनुलग्नक (ग) पर विवरण में बताये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2248/69]**

(ग) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में गत तीन वर्षों, 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में कृषि तथा कृषिपर आधारित उद्योगों के सम्बन्ध में विकास कार्यों की प्रगति बताने वाली टिप्पणियां संलग्न हैं अनुलग्नक (घ), (ङ) और (च)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2248/69]**

Proposals to Construct a Bridge over River Jamuna on the Borders of Haryana and Uttar Pradesh

2833. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in the absence of a bridge over river Jamuna on the borders of Haryana and Uttar Pradesh 50 miles north of Delhi, the farmers and traders of this area are facing great difficulty ;

(b) if so, whether Government have under consideration any proposal for constructing a bridge there ; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) to (c). The required information is being collected from the State Government concerned and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is available.

कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण

2834. **श्री मधु लिमये :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायापालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की दिशा में गत दो वर्षों में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सम्बद्ध राज्यों में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पृथक्करण के काम को शीघ्र कराने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सूचना बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2249/69]**

(ग) जहां योजना को कार्य रूप नहीं दिया गया है या आंशिक रूप से कार्य-रूप दिया गया है, वहां शीघ्र कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकारों को स्मरण कराया जाता है।

उच्च न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हुए मामलों की संख्या में वृद्धि

2835. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्णयाधीन पड़े मामलों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है, यद्यपि सरकार ने उनकी संख्या कम करने का प्रयास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उच्च न्यायालयों में निर्णयाधीन पड़े मामलों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पिछले वर्षों की तुलना में निर्णयाधीन पड़े मामलों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है किन्तु संस्थापनों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

(ख) उच्च न्यायालयों में बकाया काम की समस्या की जांच करने तथा आगे उपचारीय उपायों का सुझाव देने के लिये तीन न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया गया है जिनमें भारत के प्रधान न्यायाधीश उसके अध्यक्ष हैं ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में औद्योगिक सुरक्षा दल

2836. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने में औद्योगिक सुरक्षा दल कब तेक स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) उसके कार्य का स्वरूप और उसका कार्य-क्षेत्र क्या होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये औद्योगिक सुरक्षा दल का एक एकक पहले ही स्थापित किया जा चुका है ।

(ख) उसके कार्य का स्वरूप और उसका कार्य-क्षेत्र वही होगा जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 में परिभाषित है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इम्फाल में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाना

2837. **श्री एम० मेघचन्द :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 सितम्बर, 1969 को इम्फाल में पोलोग्राउण्ड में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से कितने व्यक्ति मरे और मरने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उनके परिवारों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त काण्ड में जो लोग घायल हुये थे उन पर अब कई प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 23 सितम्बर, 1969 को पुलिस के गोली चलाने से पूर्व पुलिस की ओर गोली चलाये जाने की आवाज भी सुनी गई थी । कुल मिलाकर चार व्यक्ति नामतः सर्वश्री (1) सनसम जयचन्द्र सिंह, (2) आर० के० देबेन सिंह, (3) लैशराम नीलकण्ठ सिंह और (4) युमनाम शामू सिंह गोली के जख्मों के परिणामस्वरूप मारे गये ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) और (घ). भारतीय दण्ड संहिता, शस्त्र अधिनियम और पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत इस सिलसिले में दर्ज पुलिस मामले के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये 32 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों को भीड़ द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही या पुलिस कार्यवाही के कारण चोटें आयीं । जांच-पड़ताल हो रही है ।

Irregularities in Provident Fund of Employees of Delhi Administration

2838. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that irregularity to the tune of 24 lakhs of rupees has been detected in respect of Provident Fund of the employees of the Delhi Administration ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) if no action has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) . Fraudulent drawals of G. P. F. in Government Schools at Moti Nagar and Punjabi Bagh amounting to 3325.00 and 7540.00 respectively have been reported. The case is under police investigation.

आंध्र प्रदेश में हरिजन बालक का बलिदान

2839. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल : **श्री मयाबन :**
श्री ओंकारलाल बेरवा : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को 29 अक्तूबर, 1969 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे इस समाचार की जानकारी है जिसमें यह बताया गया है कि दो-तीन महीने पहले हैदराबाद राज्य में चंगोल गांव में एक धनी व्यक्ति ने अपने देवता को प्रसन्न करने के लिये एक हरिजन बालक का बलिदान दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार यह नरबलि का मामला नहीं है । इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये प्रेस वक्तव्य की एक प्रति संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-2250/69]**

अमरीकी गुप्तचर विभाग तथा विदेशी धर्म-प्रचारकों की गतिविधियों में वृद्धि

2840. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी गुप्तचर विभाग तथा विदेशी धर्म-प्रचारकों की गतिविधियां समूचे देश में बढ़ती जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अमरीकी गुप्तचर विभाग की बढ़ी हुई गतिविधि को बताने वाली कोई सूचना नहीं है। अब तक सरकारों से प्राप्त उत्तरों से भी ऐसी सूचना नहीं मिलती है।

तथापि विदेशी धर्म-प्रचारकों की गतिविधियों के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि वे बढ़ रही हैं और बल अथवा प्रलोभन द्वारा धर्म-परिवर्तन को रोकने के लिये एक नया विधान उनके विचाराधीन है। नेफा प्रशासन ने भी सूचित किया है कि नेफा के बाहर निवास करने वाले विदेशी धर्म-प्रचारकों की धर्म सम्बन्धी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मैसूर, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान निकोबार, चण्डीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली, गोवा दमन और दीव, लक्कादीव और अमीन दीवी द्वीप समूह, मनीपुर और पांडिचेरी के पास विदेशी धर्म-प्रचारकों की ऐसी बढ़ी गतिविधियों के बारे में कोई सूचना नहीं है। अन्य राज्यों से उत्तर प्रत्याशित हैं।

शिक्षा का राष्ट्रीयकरण

2841. **श्री किकर सिंह :**
श्री एस० कुन्दू :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :
श्री पी० एम० मेहता :
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री देवेन सेन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री चंद्रिका प्रसाद :
श्री ओमप्रकाश त्यागी :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री मीठालाल मीना :
श्री रा० की० अमीन :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कानपुर में एक सभा में प्रधान मंत्री द्वारा शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के बारे में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यदि कोई ऐसी योजना है तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख) जी. हां। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समाचार-पत्रों में प्रधान मंत्री के वक्तव्य को सही ढंग से वर्णित नहीं किया गया। उनका सही वक्तव्य, जो मूलत: हिन्दी में था, निम्नलिखित है :

"किसी ने कहा कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। कुछ लोग कहते हैं कि ये वहां कहा गया कि जैसे जिसके शहर में बहुत से कई घर हों या जमीन हो तो उसमें कुछ रुकावट डालनी चाहिये इन सब बहुत-सी चीजों पर विचार हो रहा है।"

बेरोजगार इंजीनियर

2842. **श्री बेणीशंकर शर्मा :** **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री गाडिलिंगन गौड़ : **श्री सेझियान :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार इंजीनियरों की सहायता करने की योजना का राज्यों ने समुचित स्वागत नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने उक्त योजना का स्वागत किया है;

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों ने क्या-क्या विचार प्रकट किये हैं; और

(घ) जो योजना लगभग एक वर्ष पूर्व परिचालित की गई थी उसे क्रियान्वित कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों की सहायता के लिये आरम्भ किये गये उपायों का आमतौर पर राज्यों द्वारा अच्छा स्वागत हुआ है ।

(घ) आरम्भ किये गये विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन को राज्यों और सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा प्रवृत्त किया जा रहा है ।

Scheme to Preserve Vedas Through Study and Recitation

2843. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Maharashtra Government has formulated a scheme to preserve Vedas through their study and recitation ;

(b) whether it is also a fact that for this purpose Maharashtra State will be divided into four parts and one teacher and two pupils appointed in each part ;

(c) whether it is also a fact that the Central Government have agreed to bear the expenses in this connection ; and

(d) if so, whether Government would give insentive to the State Governments to start this useful work in their States also so that the Vedas—the treasure of India's ancient culture—could be preserved ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) . Yes, Sir.

(d) An assistance has also been given for similar purpose to the Government of Bihar. Requests from other State Governments when received, will also be duly considered.

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति

2844. **श्री देवेन सेन :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री स० कुण्डू :
श्री द० रा० परमार :
श्री किकर सिंह :
श्री क० लकप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा चण्डीगढ़ में कानून और व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ी है जैसा कि समाचार-पत्रों की खबर से सिद्ध होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार हाल के दंगों के परिणामस्वरूप गुजरात में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही की गई और अब स्थिति सामान्य है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि गत कुछ महीनों के दौरान राज्य में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति में ह्रास नहीं हुआ है किन्तु मुख्य मंत्री श्री अजय मुखर्जी और बंगला कांग्रेस द्वारा किया सत्याग्रह राज्य में विधि तथा व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर उनकी गहरी चिन्ता का संकेतक है। हरियाणा, मैसूर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोवा, दमन तथा दीव, लक्कादीव मिनीकाय तथा अमीन-दीवी द्वीप समूह, मणिपुर, नेफा और पांडिचेरी की राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान विधि तथा व्यवस्था की स्थिति में कोई ह्रास नहीं हुआ है। शेष राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशें

2845. **श्री इ० के० नायनार** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय परिषद् की पुनर्विलोकन समिति ने केन्द्र और प्रत्येक राज्य के बीच सम्पर्क-कार्य के लिए प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की है और केन्द्र सरकार ने भी इस कार्य को आवश्यक माना है क्योंकि स्कूल-स्तर की शिक्षा राज्य का विषय है; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को क्रियान्वित कराने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से कहा गया है कि इस सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों की जांच करे और उन पर निर्णय लिया जाए। यह मामला परिषद के विचाराधीन है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों में परिवर्तन

2847. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के उच्च अधिकारियों में हाल ही में अनेक परिवर्तन किये गये हैं ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि इन परिवर्तनों के दौरान अनेक विशेषज्ञ निदेशकों को ऐसे विभागों में भेज दिया गया है जिनमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है कि इन परिवर्तनों के बावजूद भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय के काम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). सामान्य प्रशासकीय कारणों से निदेशकों के स्तर पर केवल कुछ तबादले किए गए हैं। क्योंकि सभा निदेशक एक सामान्य संवर्ग (केडर) के हैं, इसलिए उनका तबादला, भारत के सर्वेक्षण के एक एकक से दूसरे एकक में किया जा सकता है। विभाग में किसी भी निदेशक को किसी विशिष्ट कार्य क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से भर्ती नहीं किया गया है किन्तु विभाग के सभी एककों की कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् में कार्य करने वाले कर्मचारी

2848. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 को भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) कितने कर्मचारी अभी तक अस्थायी हैं; और

(ग) उनको स्थायी बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहां आरा जयपाल सिंह) : (क) 93

(ख) 21

(ग) वित्त मंत्रालय के स्टाफ इन्सपैक्शन यूनिट ने सांस्कृतिक सम्बन्धों सम्बन्धी भारतीय परिषद् के कर्मचारियों की स्थिति का पुनर्विलोकन किया है और उसकी सिफारिशें परिषद् के विचाराधीन हैं। सिफारशों पर निर्णय किये जाने के पश्चात् परिषद् द्वारा कर्मचारियों को स्थायी बनाये जाने संबंधी मामलों पर विचार किया जायेगा।

Pak Nationals in Jabalpur

2849. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukum Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2828 on the 8th August, 1969 and state :

(a) the dates on which the 10 Pakistani nationals living at present underground in Jabalpur District of Madhya Pradesh had got themselves registered ;

(b) the places which they had been authorised to visit on the basis of their passports ;

(c) the dates on which they had applied for extension of their visas and the period for which they were extended ; and

(d) the names of the persons living underground ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pak Nationals in Seoni, Raisen, Bilaspur Districts

2850. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukum Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2828 on the 8th August, 1969 and state :

(a) the dates on which Pakistani nationals, referred to therein; and at present living underground in Seoni, Raisen and Bilaspur Districts of Madhya Pradesh respectively, had got their names registered in the respective Districts ;

(b) the number of times for which the term of their visa was extended and the period thereof ;

(c) the places for which their passports were valid in addition to the said districts ; and

(d) the names of each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pak Nationals in Bhopal

2851. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukum Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2828 on the 8th August, 1969 and state :

(a) the date when the 54 Pak Nationals got themselves registered who were stealthily living in Bhopal, (Madhya Pradesh) ;

(b) the places other than Bhopal to which each of the above persons was authorised to go ;

(c) the number of times each person got his visa extended and when the last extension expired in each case ; and

(d) the names of all the above persons ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

संसद् सदस्यों की क्रिकेट टीम का इंग्लैंड का दौरा

2852. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों की एक क्रिकेट-टीम निकट भविष्य में इंग्लैंड में क्रिकेट मैच खेलने जा रही है; और

(ख) इस टीम को इंग्लैंड में किन शर्तों पर भेजा जा रहा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इस मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अधिक जहाजों के लिए क्रयादेश

2853. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारिक जहाजी बेड़े को बढ़ाने के लिए अधिक जहाजों को खरीदने के लिये क्रयादेश दिये गये हैं और यदि हां, तो ये क्रयादेश किन-किन देशों को दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां । अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2251/69]**

युवजन फेडरेशन द्वारा केरल में फालतू भूमि पर कब्जा किया जाना

2854. **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्क्सवादी नियंत्रणाधीन सोशलिस्ट युवजन फेडरेशन ने हाल ही

में अपना यह निर्णय घोषित किया है कि केरल में जमींदारों की फालतू भूमि पर कब्जा करके उस भूमि को भूमिहीनों में वितरित किया जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस फेडरेशन के अध्यक्ष श्री सी० के० चक्रपाणि ने कहा है कि यह केरल में कृषि क्रांति का प्रारम्भ होगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस फेडरेशन ने अपने पास 10,000 स्वयंसेवक होने का दावा किया है; और

(घ) सरकार ने उनकी ऐसी अवैध कार्यवाही को विफल करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

अवर सचिव और ऊपर के स्तर के हिन्दी जानने वाले अधिकारी

2855. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अवर सचिव और ऊपर के स्तर के कितने अधिकारी हैं, कितने लोगों को हिन्दी का ज्ञान है और कितने लोग सरकारी कामकाज में हिन्दी का उपयोग करते हैं; और

(ख) जिन अधिकारियों ने अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का उपयोग अभी आरम्भ नहीं किया है, उनको यह समझाने के लिए कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने की गति को तेज करने के लिए ऊपर के स्तर से हिन्दी का उपयोग करने की आवश्यकता है, क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गृह-कार्य मंत्रालय में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2252/69]**

(ख) गृह मंत्रालय में पहले ही ऐसे अनुदेश है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को आरम्भ करने के लिये कर्मचारी वर्ग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वे अधिकारी जो हिन्दी जानते हैं, हिन्दी में छोटी टिप्पणियां और आदेश लिखना आरम्भ कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिये सामान्य पदावली की एक सूची भी परिचालित की गई है। अन्य मंत्रालयों / विभागों से भी इस प्रकार के आदेश जारी किये गये हैं अथवा किए जा रहे हैं।

भारत विकास दल

2856. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भारत विकास दल जैसा संगठन स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन का स्वरूप और ढांचा क्या होगा ; और

(ग) इस संगठन को क्या कार्य सौंपा जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). इस विषय पर एक प्रस्ताव बन रहा है । अभी तक ब्यौरे को अंतिमरूप नहीं दिया गया है ।

Protection of Rights of Linguistic Minority in Punjab

2857. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the Resolutions adopted by the All Party Hindi Conference of Punjab, in which a demand for protecting constitutional rights of 44 percent of linguistic minority of Punjab has been made ;

(b) whether it is a fact that Hindi medium of education in Government schools of Punjab has been changed and 'Gurmukhi' has been declared as the medium of instruction ;

(c) whether it is also a fact that Government of Punjab have rejected the Sachar Formula contrary to the assurances given in Parliament ; and

(d) if so, the action taken by Central Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . In all Government managed schools the Sachchar Formula has been replaced by the Three-Languages Formula in the following manner :

(1) For both primary and secondary education, Punjabi has been made the first compulsory language and the medium of instruction ;

(2) Hindi has been made second compulsory language from the 4th Primary school class ; and

(3) English has been made the third compulsory language from the 6th class.

In private schools **status quo** is to continue.

(d) Under Article 350-B of the Constitution, the Commissioner for Linguistic Minorities is required to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution and to submit annual reports to the President. These reports are placed before Parliament and copies thereof are also sent to the State Governments. At the instance of the Commissioner for Linguistic Minorities, this matter was discussed at the last meeting of the Northern Zonal Council held at Srinagar on 4-10-1969.

Statehood for Delhi

2858. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri N. Shivappa :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri D. N. Patodia :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri Beni Shanker Sharma :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri N. R. Laskar :**
Shri V. Narasimha Rao : **Shri Chengalraya Naidu :**
Shri Kanwar Lal Gupta : **Shri R. Barua :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi public and the Administration feel that there should be a separate Government for Delhi like other States ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) . Attention is invited to the reply given to unstarred question No. 2110 in the House on 7th March, 1969. The 11 Member Committee of the Metropolitan Council nominated by the Chairman of this Council gave a report in September, 1969 recommending that with a view to providing a unified and powerful set up there should be a Legislative Assembly for Delhi as a whole having full financial and legislative powers in respect of all subjects including law and order like any other State in India.

This matter will be considered after the views of the Administrator on the recommendations of the Metropolitan Council are available.

Opening of Centrally Run Colleges in States for Children of Central Government Employees

2859. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Ranjeet Singh :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government propose to open Centrally run Colleges in the States to impart education to the children of Central Government employees who belong to different language groups ;

(b) if so, the outline of the scheme ;

(c) the places where these colleges are proposed to be opened ;

(d) whether any State is opposed to this scheme ; and

(e) if so, the name of the State and reasons for opposing the scheme ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) . A proposal to establish Kendriya Mahavidyalayas for transferable Central Government employees and other floating population has recently been mooted, but no decision has been taken and no details formulated yet.

(c) to (e) . Do not arise.

Recommendations of Hindi Adviser

2860. **Shri J. Sundar Lal :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4555 on the 28th March, 1969 and state :

(a) the total number of recommendations made by the Hindi Adviser to the Govern-

ment of India during his term of office about expansion and disposal of any work and the number of recommendations out of them which were accepted ;

(b) whether it is a fact that Government do not give any importance to the recommendations/advice of the Hindi Adviser ; and

(c) if so, the justification for continuing such a post ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No separate record of recommendations made by the Hindi Adviser is maintained. In so far as Ministry of Home Affairs is concerned, he does not function in isolation. He is associated with all the work involving recommendations, suggestions, discussions, decisions etc. in regard to the use of Hindi for official purposes of the Union for which the responsibility rests with this Ministry.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

हवाई अड्डों पर भोजन और भोज्य पदार्थों के लिए सस्ती कैंटीनों की स्थापना

2861. **श्री कं० हाल्दर :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री बरुद्दुजा :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, मनीपुर, त्रिपुरा, कोचीन तथा दमदम हवाई अड्डों पर यात्रियों तथा कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भोजन और भोज्य पदार्थों की व्यवस्था करने हेतु सस्ती कैंटीन स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). गोहाटी, अगरतला और कलकत्ता में अल्प वेतन कर्मचारियों की खान-पान व्यवस्था के लिये पहले ही सस्ती कैन्टीने मौजूद हैं। दमदम पर यात्रियों के लिये कम दरों वाले स्नैक बार कांउटर उपलब्ध हैं। कोचीन विमान क्षेत्र पर खान-पान ठेकेदार कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए घटी दरों पर भोज्य पदार्थों स्नैक्स की व्यवस्था करता है। गौहाटी, मोहनबाड़ी, कुंभीग्राम, अगरतला, कलकत्ता तथा कोचीन विमान क्षेत्रों पर नियमित रेस्टोरेन्ट विद्यमान हैं। सहकारी आधार पर परिचालित स्टाफ कैन्टीनों के लिए कुछ शर्तों के अधीन उपदान प्रदान करने के विषय में सरकारी आदेश विद्यमान है। जब कभी स्टाप के सदस्यों सहकारी कैंटीनें बनाई जाती हैं तो विभाग उन्हें सुविधाएं प्रदान करता है।

अमेरिका में अध्ययन यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति

2862. **श्री कं० हाल्दर :**
श्री गणेष घोष :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में अमेरिका में अध्ययन यात्रा पर गए व्यक्तियों के नाम और अन्य ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अल्पसंख्यक समुदायों के लिये दंगा जोखिम बीमा योजना

2863. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के लिये कामकाज में प्रीमियम पर "दंगा जोखिम बीमा योजना" को लागू करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसी योजनाओं की परीक्षा राज्य सरकारों द्वारा की जानी आवश्यक होगी जो सार्वजनिक व्यवस्था से प्रधानत: सम्बन्धित है ।

केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों के आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ाना

2864. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों के आरक्षण की प्रतिशतता का आधार क्या है ;

(ख) क्या सरकार इस प्रतिशतता को बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने के सुझाव पर विचार कर रही है जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). केन्द्र के अधीन सेवाओं की सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण के प्रतिशत भारत सरकार के संकल्प संख्या 42/21/49-एन० जी० एस० दिनांक 13 सितम्बर 1950 में देश की समस्त जन-संख्या में उनके आनुपातिक प्रतिनिधित्व को मूलत: ध्यान में रख कर नियत किये गये हैं । श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों की सीधी भर्ती में, जो आम तौर पर स्थानीय अथवा उस क्षेत्र के उम्मीदवारों को आकर्षित करती हैं, आरक्षण का प्रतिशत साधारणतया संबंधित राज्यों / क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों को जन संख्या के अनुपात में नियत किया जाता है किन्तु अनुसूचित आदिम जातियों के लिये वह कम से कम 5 प्रतिशत अवश्य होना चाहिये । अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण के वर्तमान प्रतिशतों के पुनरीक्षण का प्रश्न 1961 में जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुये सरकार के विचाराधीन है ।

प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय

2865. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने और कौन-कौन से विश्वविद्यालय प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा दे रहे हैं;

(ख) क्या शेष विश्वविद्यालयों का भी प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने इसके लिये कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(घ) क्या कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जो प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा देने के विचार से सहमत नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन्होंने इसके लिये क्या कारण बताए हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें उन विश्वविद्यालयों के नाम बताये गये हैं जो उनके समक्ष दिये गये पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2253/69]

(ख) और (ग). इस मामले पर प्रत्येक विश्वविद्यालय को स्वयं निर्णय करना होता है । फिर भी क्षेत्रीय भाषा में विश्वविद्यालय पुस्तकों के प्रकाशन के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत तथा सम्भव तरीकों से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम डिग्री स्तर तक पुस्तकों के प्रकाशन के लिये भारत सरकार राज्य सरकारों की सहायता कर रही है ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने में सुविधा हो सके । ऐसी कोई बात सरकार के ध्यान में नहीं है कि इन विश्वविद्यालयों ने क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने के लिये कोई पद्धतिबद्ध कार्यक्रम बनाया है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम के सेनानी

2866. **श्री अब्दुल गनीदार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, जनरल बख्त खां, तातिया टोपे, सैयद अहमद शाह बरेलवी, बाबा ज्वाला सिंह, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, हकीम अजमल खां, डा० अन्सारी अली भाइयों, श्री सी० आर० दास, श्री शेख-उल-हिन्द मौलाना, मुहम्मद-उल-हुसैन, टीपू सुल्तान, शहीद-ए-आजम, भगत सिंह, शहीद मुहम्मद यामीन दार, सरकार करतार सिंह सराबा, श्री खुदी राम बोस, मजदूर तथा सामाजिक नेता मुन्शी अहमद दीन दन्त, रत्न मास्टर तारा सिंह, मुहम्मद हुसैन अहमद, बाबा खड़ग सिंह, सरदार अजित सिंह, श्री हिफजुर रहमान, राजा नाहर सिंह, नवाब झज्झर, डा० किचलू, सैयद अताउल्ला शाह

बुखारी तथा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के अन्य सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिये लाल किले के सामने एक स्मारक खड़ा करने का प्रस्ताव है जो 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता-संग्राम में शहीद हुये । वर्तमान अनुमान के अनुसार स्मारक अप्रैल, 1972 तक तैयार हो जायेगा ।

केन्द्रीय सचिवालव आशुलिपिक सेवा में आशुलिपिकों के रिक्त पद

2867. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सेवा आदि प्रत्येक सेवा में कितने-कितने आशुलिपिकों के पद रिक्त हैं, और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1968 में ली गई आशुलिपिकों की परीक्षा के परिणाम के आधार पर इन में कितने पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं और इसमें कितना समय लगने का अनुमान है;

(ख) क्या खाली स्थान भरने के लिये वैदेशिक कार्य मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड आदि द्वारा बताये गये अतिरिक्त रिक्त पदों को भी ध्यान में रखा जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां करते समय ऐसे रिक्त पदों को भी अब तक ध्यान में रखा जाता रहा है जो परिणाम घोषित होने के बाद रिक्त हुये; और

(घ) यदि हां, तो क्या 1968 की परीक्षा के सम्बन्ध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आशुलिपिकों की 1968 की परीक्षा के अर्हतावान उम्मीदवारों के नामांकन सूचित मांगों के आधार पर पहले ही कर दिये गये हैं जो इस प्रकार हैं :—

भारतीय विदेश सेवा (ख)	—	5
रेलवे बोर्ड सचिवाचय		
आशुलिपिकों की सेवा	—	2

जहां तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का सम्बन्ध है 150 रिक्तियों (83 पूर्वानुमानित रिक्तियों समेत) को सूचित की गई मांगों में 111 उम्मीदवारों का पहले ही नामांकन कर दिया गया है । शेष उम्मीदवारों का नामांकन जहां तक सम्भव होगा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भविष्य में होने वाली रिक्तियों में किया जायेगा जब तक संघ लोक सेवा

आयोग द्वारा 1970 के आरम्भ में आशुलिपिकों को 1969 की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है।

(ख) से (घ). जी नहीं, श्रीमान्। परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद सूचित की गई अतिरिक्त मांगे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सामान्यतः स्वीकार नहीं की जाती है। अतीत में हुये कम मामलों में वे लोक हित में ऐसा करने को सहमत हुये थे। 1968 की परीक्षा के लिये सूचित की गई अतिरिक्त मांगे सामान्य नीति के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकार नहीं की गई थीं।

पर्यटकों को उपलब्ध की गई सुविधायें

2868. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, पर्यटकों को कितनी सुविधाएं दी गई तथा उपलब्ध सुविधाओं में क्या सुधार किये गये और इनमें से प्रत्येक वर्ष में कितना-कितना धन व्यय किया गया ; और

(ख) इन वर्षों के दौरान कितने नए बंगले, विश्राम गृह और क्लब खोले गये और उन पर कितना धन व्यय हुआ ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). नये बंगलों तथा विश्रामगृहों के निर्माण सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन सुविधाओं में वृद्धि तथा सुधारों और उन पर वर्षवार खर्च की गई धन-राशि को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2254/69]**

विदेशी पर्यटक यातायात की वृद्धि तथा विकास के लिये आयोजित की जाने वाली अन्य सुविधाओं में ये बातें सम्मिलित हैं :

(1) कई देशों के साथ पारस्परिक आधार पर विजा फीस को समाप्त करना।

(2) 90 दिन तक की अवधि के लिये ठहरने के लिये विजाओं के समाप्त करने हेतु पश्चिमी जर्मनी तथा नार्डिक देशों के साथ द्विपक्षीय करार।

(3) हवाई अड्डों पर सरलीकरण प्रक्रियाओं में सुधार।

(4) अस्थायी लैंडिंग परमिट की वैधता की अवधि को 7 दिन से बढ़ाकर 21 दिन किया जाना।

(5) राज्य व्यापार निगम द्वारा अभिगृहीत आयातित कारों का पर्यटन की वृद्धि करने वाली उन पार्टियों में बंटन जोकि विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर विभाग की अनुमोदित सूची पर हैं।

(6) जयपुर, उदयपुर, पटना, मद्रास और श्रीनगर में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिवहन यूनिटों का खोला जाना तथा दिल्ली की यूनिट का विस्तार ।

(7) पालम, दमदम और सान्ताक्रुज हवाई अड्डों पर शुल्क-मुक्त दुकानों का स्थापित किया जाना ।

घरेलू नौकरों द्वारा हत्यायें

2869. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत दो वर्षों में घरेलू नौकरों ने कितने व्यक्तियों की हत्याएं कीं ;

(ख) कितने अपराधियों को पकड़ा जा सका है और इस अवधि में कितने ऐसे लोगों को दण्ड दिया गया और क्या दण्ड दिया गया ;

(ग) दिल्ली में इस अवधि में कितनी लड़कियों और महिलाओं का अपहरण किया गया ; और

(घ) इस संबंध में कितने अपहरण-कर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उनको क्या दण्ड दिये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 16-11-67 से 15-11-69 तक की अवधि में दिल्ली में 3 व्यक्तियों की कथित मृत्यु घरेलू नौकरों द्वारा तथाकथित हत्या द्वारा हुई थीं ।

(ख) चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । इनमें से एक को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी । एक की न्यायालयी जांच की जा रही है तथा शेष 2 व्यक्तियों के विरुद्ध तफतीश हो रही है ।

(ग) 16-11-67 से 15-11-69 तक की अवधि में बताया गया कि 466 लड़कियों/औरतों का हरण/अपहरण किया गया ।

(घ) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2255/69]**

Award to Bharat Kesri Shri Chandgi Ram

2870. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central and various State Governments had made arrangements to give prizes directly or indirectly and in cash or in immovable property to the Bharat Kesri Shri Chandgi Ram ;

(b) if so, the details thereof separately ;

(c) whether it is a fact that Government have not so far given the announced prizes to Shri Chandgi Ram ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) to (d). The Central Government had not announced any prizes directly or indirectly and in cash or in immovable property for Shri Chandgi Ram. As far the prizes announced, if any, by the State Governments, information will be collected and laid on the Table of the House.

Pension to Freedom Fighters

2871. **Shri Meetha Lal Meena:** **Shri Lakhan Lal Kapoor:**
Shri P. Viswambharan: **Shri D. N. Tiwary:**
Shri K. Lakappa:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a final decision to give pension to the freedom fighters;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). A note giving the salient features of the scheme formulated by Government of India is attached.

(c) Does not arise.

Note

The Government of India have decided to implement from 2nd October, 1969 a scheme for grant of pensions in deserving cases to those freedom fighters who had suffered imprisonment in the Andaman and Nicobar Islands for a period of not less than five years and also to their families where the freedom fighters themselves are no longer alive. The pension, which will be for the life times of the recipient, will be sanctioned after taking into consideration the financial condition of the freedom fighters and/or their families, and the payments or benefits received by them from any State Government. The amount of pension sanctioned to a freedom fighter will not be less than Rs. 200/- per month, and in the case of families it would vary from Rs. 100/- to Rs. 200/- per month. Only one member of the family will be eligible for pension. "Family" will include widow, unmarried daughters and mother of the freedom fighter and sons in exceptional cases where it is proved that they were unable to establish themselves on account of the imprisonment of their father.

शिक्षण के माध्यम में परिवर्तन

2872. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 13, मई 1969 के अल्पसूचना प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षण के माध्यम में परिवर्तन किये बिना ही पाठ्य-पुस्तकों की काफी मांग हो सकती है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या भारतीय विश्वविद्यालयों में भी यह अनिवार्य किया जायेगा कि प्राध्यापकगण पुस्तकों को अंग्रेजी में अध्ययन करने के बाद भाषण स्थानीय भाषाओं में दें, जैसाकि इण्डोनेशिया तथा बर्मा के विद्यालयों में होता है ;

(ग) क्या अंग्रेजी माध्यम होने के कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है जैसाकि इस तथ्य से सिद्ध होता है कि स्नातक स्तर तक असफल होने वाले छात्र केवल अंग्रेजी में ही असफल होते हैं क्योंकि वे अंग्रेजी में दिये गये लैक्चरों को समझने में असमर्थ होते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शिक्षण के माध्यम में परिवर्तन करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 86 विश्वविद्यालयों में से (जिनमें ऐसे मंत्रालय भी शामिल हैं जिनको विश्वविद्यालय समझा जाता है) 52 विश्वविद्यालयों ने क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू कर दिया है। इन विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों की पर्याप्त मांग है और क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा भी क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने में सहायक होगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) असफलता के अनेक कारण हैं जिनमें अंग्रेजी की अपर्याप्त जानकारी भी निःसन्देह एक कारण है।

(घ) यद्यपि शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन करना सरकार की नीति है तथापि सरकार ने इसको पूरा करने के लिये कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। फिर भी सरकार क्षेत्रीय भाषाओं के आवश्यक पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये कार्यवाही कर रही है ताकि परिवर्तन का कार्य यथा सम्भव शीघ्र पूरा हो सके।

Telugu as State Language in Andhra Pradesh

2873. **Shri Narain Swarup Sharma:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 145 on the 25th July, 1969 and state :

(a) the name of Official Language, Court Language, Judicial Language and the medium of instruction in Osmania University in the erstwhile Hyderabad State ;

(b) whether it is a fact that a major cause of discontent among people in Telengana region is their inadequate knowledge of English and their demand to make Telugu, the State language of Andhra has constantly been ignored ; and

(c) if so, whether Government propose to advise the State Government to make Telugu, the State language and revert the medium of instruction in Osmania University to the same as before ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) According to the information furnished by the Government of Andhra Pradesh the English language was used for all these purposes in the earstwhile Hyderabad State.

(b) State Government are not aware of any such discontentment as the demand to make Telugu as a state language of Andhra Pradesh has not been ignored.

(c) Does not arise as under Andhra Pradesh Official Languages Act, 1966, Telegu has already been made the State Official language. Telugu has also been introduced as medium of instruction in the Two year's Intermediate Course to begin with.

Policy regarding Admission to Public and other Schools

2874. **Shri Narain Swarup Sharma:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply givern to Short Notice Question No. 25 on the 13th May, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that Government are duty bound to follow and implement the National Education Policy ;

(b) if so, whether Government are considering to nationalise the Public and all other such schools so that admission could be secured on the basis of merit and not on the basis of money ;

(c) in case nationalisation is not possible, whether Government propose not to recognise the Higher Secondary Examination of such schools as equal to that of the Central Higher Secondary Board ; and

(d) if not, whether Government want to maintain dual educational policy in the matter of providing education to the rich and the poor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Yes, Sir.

(b) The National Policy Statement does not contain any proposal to nationalize the Public and similar schools. What it does envisage in this connection is : "All special schools like Public Schools should be required to admit students on the basis of merit and also to provide a prescribed proportion of free studentships to prevent segregation of social classes. This will not, however, affect the rights of minorities under Article 30 of the Constitution." Steps towards this end are being taken.

(c) The Public and similar schools do not conduct any Higher Secondary Examination of their own. They prepare their students either for the Higher Secondary Examination conducted by the Central Board of Secondary Education or for the Indian School Certificate Examination which are all recognized by Government.

(d) Government stands by the policy laid down on this subject in paragraph 4 (4) (b) in the Government Resolution on the National Policy on Education which has been referred to under (b) above.

Hindi or Modern Indian Languages as Medium of Instruction

2875. **Shri Narain Swarup Sharma:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Short Notice Question No. 25 on the 13th May, 1969 and state :

(a) whether Government propose to make Hindi or any other modern Indian language the medium of instruction in all those Central Universities where the mother tongue or medium of 80/90 per cent boys and girls is Hindi or any other modern Indian language ;

(b) if not whether it is due to the fact that the Professors and Vice-Chancellors do not know Hindi and they deliver lectures in English ;

(c) whether it is also a fact that the policy decision of Government in this regard is that instructions should be imparted to students in regional language only where they opt for regional language as the medium of instruction ;

(d) whether he himself is of the view that National integration cannot be achieved with English as the medium of instruction ; and

(e) if so, whether Government proposes to fix any definite time limit for replacing English by modern Indian languages or Hindi as the medium of instruction; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) and (b). There is no such proposal at present. The absence of such a proposal is not particularly related to the linguistic abilities of the Professors and Vice-Chancellors of Central Universities, though it would certainly be a relevant factor if such a proposal comes under consideration.

(c) No, Sir. The policy of the Government in regard to adoption of regional language as medium of instruction at the university level is incorporated in the "National Policy on Education", a copy of which is available in Parliament library.

(d) In the opinion of the Education Minister, English as a medium of instruction is not conductive to national integration from the point of view of bringing about adequate communication and integration between the classes and the masses.

(e) It is not possible to fix a definite time limit, as the universities are autonomous bodies established either by Central or State legislations and it is also essential to see that the changeover takes place without any adverse effect on academic standards.

यूनेस्को द्वारा भाषा पुस्तकालयों की स्थापना

2876. **डा० रानेन सेन :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री झारखण्डे राय :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को ने भारत में शिक्षा संस्थाओं में भाषा पुस्तकालयों की स्थापना करने में सहायता देने का वचन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो जो सहायता देने का वचन दिया गया है उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने शिक्षा संस्थाओं में भाषा पुस्तकालय स्थापित करने के लिये विस्तृत योजना तैयार कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). यूनेस्को के महानिदेशक के दिल्ली के हाल ही के दौरे के दौरान, भाषा प्रयोगशालाएं (पुस्तकालय नहीं) स्थापित करने के प्रश्न पर प्रारम्भिक तौर से विचार किया गया था। महानिदेशक ने बताया था कि यूनेस्को सम्भवत: इस कार्यकलाप से सम्बद्ध हो सकता है और मदद कर सकता है। चूंकि बातें प्रारम्भिक स्तर पर ही थीं किन्हीं ब्योरों पर विचार नहीं किया गया था।

(ग) और (घ). भाषा प्रयोगशालाओं सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उपनियम बनाना

2877. **श्री पी० एंथनी रेड्डी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने अभी तक अपने उप-नियम नहीं बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक अपने उप-नियम बना लेगी ; और

(ग) अपने कार्य के संचालन के लिये यह इस समय किन नियमों का पालन कर रही है तथा कब से ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि के नियमों को पहले से ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है। सेवा शर्तों से सम्बन्धित अन्य नियमों का मसौदा बन चुका है और 18 दिसम्बर को होने वाली परिषद् की अगली बैठक में उन पर विचार किया जायेगा।

(ग) फिलहाल भारत सरकार के नियमों और विनियमों को, शासी निकाय के निर्णय द्वारा पूरा करके, पालन किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना

2878. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के आरम्भ किये जाने से अब तक प्रतिवर्ष इस योजना के अन्तर्गत दी गई छात्रवृत्तियों का राज्यवार / संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा क्या है तथा नगरीय एवं ग्रामीण स्कूलों के कितने-कितने छात्रों को ये छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2256/69]** नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रवृत्तिधारकों के विवरण के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

रूसी विज्ञान-पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद

2879. **श्री रा० बरुआ** : **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री मयावन : **श्री नि० रं० लास्कर** :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से वापस आने के बाद उन्होंने भारतीय छात्रों के इस्तेमाल के लिये रूसी विज्ञान पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद कराने के लिये अविलम्बनीय कार्यवाही करने के निदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रूसी विज्ञान-पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराने का भी है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या रूसी विशेषज्ञ इस सम्बन्ध में भारत की सहायता करने को सहमत हो गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारत में विश्व-विद्यालय के विद्यार्थियों के प्रयोग के लिये भारत-रूस पाठ्यपुस्तक बोर्ड के तत्वाधान के अन्तर्गत रूसी विज्ञान पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद हो रहा है। इस बात पर सहमति हो गई है कि इस कार्यक्रम को यथासम्भव तेज किया जाये।

(ख) कुछ रूसी विज्ञान पुस्तकों को हिन्दी में अनुवाद के लिये भी चुना गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) रूस इस बात की जांच करने के लिये सहमत हो गया है कि वह रूस में भारतीय भाषाओं के अनुवाद में क्या सहायता कर सकता है।

बिहार में सतर्कता आयोग की नियुक्ति

2880. **श्री रा० बरुआ :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उन मामलों का शीघ्र निबटारा करने के लिये, जिनमें आरोपों को सिद्ध किया गया है और आगे कार्यवाही करने की सिफारिश की है, बिहार सरकार को एक सतर्कता आयोग नियुक्त करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इससे कितने अधिकारी सम्बद्ध हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). बिहार सरकार से हाल में एक सतर्कता आयोग नियुक्त करने के लिये कोई सुझाव नहीं दिया गया है। किन्तु 1964 में तत्कालीन गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को अपने-अपने राज्यों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नमूने पर एक निकाय स्थापित करने के लिये एक सुझाव दिया था। बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया कि उन्होंने 1963 में बिहार भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड पहले ही स्थापित कर रखा है। राज्य सरकार द्वारा 1967 में यह निश्चय किया गया है कि भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड समेत सभी बोर्डों को समाप्त कर दिया जाय। केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार के पास लम्बित पड़े सतर्कता मामलों के बारे में कोई सूचना नहीं है। इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

एक नये पर्वतीय विश्वविद्यालय के लिये स्थान

2881. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक नये पर्वतीय विश्वविद्यालय के लिये स्थान का चयन करने के लिये योजना आयोग तथा गृह-कार्य और शिक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मण्डल शिलांग गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) विश्वविद्यालय के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। फिर भी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों (नागालैण्ड, नेफा, मनीपुर तथा आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों) के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की वांछनीयता की जांच हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त की गई समिति ने जनवरी तथा मार्च, 1964 में शिलांग तथा कुछ अन्य स्थानों का दौरा किया था।

(ख) समिति ने 1964 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। समिति का मुख्य सिफारिशें दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2257/69]**

(ग) विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय अभी किया जाना है। उक्त क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का केन्द्र खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है।

कालेज खोलने के लिये त्रिपुरा को सहायता

2882. **श्री भगवान दास :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री गणेश घोष : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में धर्मानोगुर, खोवाई तथा उदयपुर में कालेज खोलने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सहायता दी जायेगी तथा इसके लिये आगामी वित्तीय वर्ष में व्यवस्था की जायेगी ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इन कालेजों को खोलने के लिये अभिभावक तथा छात्र, जो कि अधिकांश विस्थापित तथा आदिम जातीय व्यक्ति हैं, लगातार मांग करते रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) त्रिपुरा प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है ।

Arrest of Pak Spices in Boats

2883. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government in respect of the 124 spices apprehended in the eight Pakistani boats in the second week of November ; and

(b) the steps being taken by Government to keep a strict watch on such espionage in the coastal areas of India ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) During the period from 29th October, 1969, to 13th November, 1969, 9 fishing boats of Pakistani origin with their crew numbering 159 were seized in our territorial waters off the Kutch coast. According to the enquiries made so far, it would appear that these Pakistani boats were engaged in clandestine fishing in our territorial waters. Necessary action has been taken against them under the law.

(b) Vigilance along this coastal line has been stepped up and more intensive patrolling has been taken up.

पर्यटन का विकास

2884. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले अधिकांश स्थानों के आस पास गंदगी रहती है और पर्यटकों को झुँझलाहट होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय प्राधिकार, राज्य प्राधिकारों, स्थानीय निकायों तथा अन्य अभिकरणों के बीच समन्वय की कमी के कारण पर्यटन का विकास नहीं हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पर्यटन के आर्थिक पहलू तथा विभिन्न प्राधिकारों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रश्न पर पूर्ण विचार करने और जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिये आधार नियत करने तथा इस समस्या को हल करने के लिये उपाय सुझाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क)देश में पर्यटन आकर्षणों की संख्या बहुत अधिक है, और इनमें से बहुत से स्थानों के आस-पास के वातावरण में सुधार के लिये निःसंदेह काफी गुंजाइश है।

(ख) पर्यटन वस्तुतः एक सहकारी उद्यम है जिसमें केन्द्र, राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थाओं, यात्रा व्यवसाय के विभिन्न अंगों एवं साधारण जनता का महत्वपूर्ण योग दान अपेक्षित है। पर्यटन के विकास से सम्बद्ध विभिन्न तत्वों के क्रियाकलापों में अपेक्षित समन्वय स्थापित करने का केन्द्र निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। परन्तु पर्यटन की उन्नति से होने वाले लाभों के विषय में पूर्ण चेतना अभी हाल ही में उत्पन्न हुई है जिसमें अधिक सद्भाव और समन्वय की भावना को जन्म दिया है।

(ग) फिलहाल ऐसी संयुक्त नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया है। जब कभी आवश्यकता होती है तो पर्यटन के विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सलाह ले ली जाती है।

कलाकृतियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

2885. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री बासुदेवन नायर :
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि 100 वर्ष से कम पुरानी कलाकृतियों का निर्यात करने अथवा उन्हें विदेशियों को बेचने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कानून में इस कमी के कारण बहुत बड़ी संख्या में बहुमूल्य कलाकृतियां देश से बाहर जा रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने हानि का अनुमान लगा लिया है और कानून में कोई संशोधन करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). निर्यात वे प्रयोजन हेतु कलाकृतियां, जिनका परिणाम विद्यमान पुरातत्व वस्तुओं (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम 1947 में की गई है, और जो 100 वर्ष से कम की हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती। इस बात का विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि पुरातत्व शब्दावली की वर्तमान परिभाषा से अधिनियम में कोई कमी है।

(ग) और (घ). कोई भी व्यक्ति अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली कलाकृतियों का निर्यात केन्द्रीय सरकार से निर्यात लाइसेन्स प्राप्त किये बिना नहीं कर सकता इसलिए हानि का अनुमान लगाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। कलाकृतियों के मामले में विद्यमान अधिनियम में उल्लिखित 100 वर्ष की अवधि को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है कि अधिनियम को कठोरता से पाला है।

राष्ट्रीय राजपथों का सर्वेक्षण

2886. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में देश के राष्ट्रीय राजपथों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रणाली में किन-किन ऐसी कमियों का पता लगाया गया है जिनके कारण देश के छोटे पथों पर आवागमन भी रुक जाता है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ;

(घ) सरकार द्वारा किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है तथा उनके कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ; और

(ङ) क्या कोई कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ङ). यथासंभव पूरे आंकड़े संकलित करने की दृष्टि से 1968 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कमियों का सर्वेक्षण किया गया था। संकलित आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में जो कमियां देखी गई हैं उनके बारे में एक विवरण संलग्न है। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2258/69]** चौथी योजना में इन कमियों में से अधिकांश कमियों को यथासंभव शीघ्र दूर करने की दृष्टि से धन उपलब्ध की हद तक योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।

त्रिपुरा में मिजों लोगों द्वारा हमले

2887. **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री उमानाथ :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार से सांठ-गांठ करके मिजो लोगों ने हाल में त्रिपुरा में बुलोंगबाशा तथा गंडाचेरा पर हमले किये थे :

(ख) यदि हां, तो इन हमलों का ब्योरा क्या है और इन स्थानों के लोगों को क्या हानि हुई ;

(ग) क्या प्रभावित व्यक्तियों को कोई सहायता दी गई है और यदि हां, तो क्या सहायता दी गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार बिना किसी विलम्ब के इन हमलों से पीड़ित व्यक्तियों को ऋण देने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 29-8-69 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5435 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें घटनाओं के ब्योरे दिये गये हैं।

(ग) और (घ). पीड़ितों की नकद धन, अन्न और वस्त्र दे कर शीघ्र सहायता की गई थी। अग्रेतर सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे

2888. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

श्री जय सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 1 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1744 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में शेष राज्यों से जानकारी इस बीच प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये किन-किन राज्यों के विभिन्न स्तरों पर नागरिक समितियां गठित नहीं की हैं ; और

(घ) सभी राज्यों में ऐसी समितियां कब तक गठित की जायेंगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। अपेक्षित सूचना आश्वासन की पूर्ति करते हुए निर्धारित प्रोफार्मा में भी भेजी गई हैं। तथापि, उक्त सूचना संलग्न विवरण संख्या 1 में है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2259/69]**

(ग) और (घ). राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण संख्या 2 में हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-2259/69]**

कर्मचारियों के प्रशासन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

2889. **श्री हेमराज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री, अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 430 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने कर्मचारियों के प्रशासन के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन दिया है, क्या उस पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अभी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Ghalib Centenary Celebrations

2890. **Shri Ram Charan :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred so far and likely to be incurred during the current financial year on the celebrations of Ghalib Centenary ;

(b) the names of the social and cultural societies and the names of States which have been given grants from the Ghalib Centenary Fund and the amount thereof ; and

(c) the full details thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The Government of India sanctioned a grant of Rs. 20 lakhs to the All India Ghalib Centenary Committee, out of which Rs. 15 lakhs was released during 1968-69, and the balance of Rs. 5 lakhs would be released during the current financial year.

(b) and (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Delegation sent abroad by Education Ministry

2891. **Shri Ram Charan :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of delegations sent abroad by his Ministry or on the basis of grant given by his Ministry during the last two years ;

(b) the amount spent on them and the specific mission for which they were sent abroad ; and

(c) the number of delegations sent on religious missions during the last two years ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Representations from Harijans on Police and other Excesses

2892. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of representations received from Harijans by his Ministry during the last one year regarding police and other excesses ; and

(b) the number of representations on which action has been taken and the number of those on which action is still pending ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b). Information is being gathered.

Dilapidated Condition of Grand Trunk Road passing Through Uttar Pradesh

2893. **Shri Ram Charan :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Grand Trunk Road passing through Uttar Pradesh is in a dilapidated condition ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the amount allocated in the Fourth Five Year Plan to Uttar Pradesh for the development of the said road ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). The Grand Trunk Road in Uttar Pradesh consists of a State Highway from Delhi border to Kanpur **via** Aligarh and a National Highway from Kanpur to Bihar border. The National Highway portion of the road is in good condition. Besides earmarking a sum of Rs. 288 lacs for completion of continuing works, provisions of about Rs. 740 lacs in respect of proposals for further improvement of this portion are under consideration for the draft 4th Five Year Plan. Information regarding State Highway is being collected and will be laid on the Tabe of the House as soon as possible.

C. B. I. Enquiry Against Civil Engineer of Kasimpur

2894. **Shri Ram Charan :**
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Qureshi, a Civil Engineer, of Kasimpur Power House had recently sent certain important documents to Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that certain important documents were seized due to the vigilance of the Central Intelligence Bureau and whether certain other engineers were also involved therein ;

(c) the amount of damage likely to be caused as a result thereof ;

(d) if so, the names of these Engineers and the action taken against them so far ;

(e) if no action has been taken against them, the reasons therefor ; and

(f) whether certain foreign countries are putting pressure on the Government of India not to take any action against these persons and if so, the names of those countries ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (f). Facts are being ascertained.

Discussion on report of U. G. C. in Parliament

2895. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the reports of the University Grants Commission could not be discussed in Parliament during the past many years ;

(b) whether it is also a fact that Government have received complaints against some senior officials of the U. G. C. also ;

(c) if so, the nature thereof ; whether Government have looked into them and if so, the result thereof ; and

(d) whether Government propose to have a discussion on the last few reports of the U. G. C. in Parliament ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The Annual Reports of the University Grants Commission for the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 could not be discussed in the Lok Sabha due to want of time.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Yes, Sir. This item is already included in the Lok Sabha Bulletin-Part II dated the 7th November, 1969 under section III—Other Business.

Internal Situation in Manipur

2896. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the internal situation in Manipur is becoming more explosive ;

(b) whether it is also a fact that some foreign nationals of the neighbouring countries have also an indirect hand in it ; and

(c) if so, the action being taken to control the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Government have no such information. However, continuous vigilance is maintained against activities of unlawful elements.

केरल में बिम्बानाडू (कायाल) पुल

2897. **श्री मंगलाथुमाडोम :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन जांच समिति ने अपना काम आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा केरल राज्य में बिम्बानाडू (कायाल) पुल को शामिल करने के किसी प्रस्ताव का अध्ययन किया गया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) केरल सरकार ने सूचना दी है कि साल्ट वाटर बेरियर के निर्माण सम्बन्धी योजना जिसमें थन्नीरमुक्कोम में वेम्बानाद कायाल के ऊपर पुल और अन्य सुविधाएं शामिल हैं । कृषि सेक्टर के अन्तर्गत भूमि सुधार कार्यों में एक मद के रूप में पहले ही मंजूर हो चुका है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाना

2898. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों का अन्य राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार के अधीन उनकी प्रतिनियुक्ति के दौरान सामान्यता सेवाकाल नहीं बढ़ाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारी निर्दिष्ट सेवाकाल के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किये जाते हैं और सेवाकाल की समाप्ति पर सम्बन्धित राज्य सरकार को वापस भेज दिये जाते हैं । इसी प्रकार संवर्ग अधिकारियों की एक राज्य सरकार से दूसरी राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति का भी एक निश्चित अवधि के लिए प्रबन्ध किया जाता है । उन विशिष्ट मामलों में, जहां लोक-हित में ऐसा आवश्यक होता है, किसी अधिकारी के सेवाकाल में कमी या वृद्धि उधार देने वाले राज्य सरकार की अनुमति से की जाती है ।

डा० हो० चि० मिन्ह की मृत्यु पर पश्चिम बंगाल तथा केरल सरकार द्वारा छुट्टी मनायी जाना

2899. **श्री रा० की० अमीन :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर वियतनाम के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० हो० चि० मिन्ह के सम्मान में पश्चिम बंगाल तथा केरल की राज्य सरकारों द्वारा राजकीय शोक की घोषणा की गई तथा छुट्टी मनायी गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों के इतिहास में ऐसे पूर्वोदाहरण हैं कि विदेशियों की मृत्यु पर छुट्टियां मनाई गई हों ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने क्रमशः 4 और 6 सितम्बर, 1969 को स्व० डा० हो० चि० मिन्ह की याद में सम्मानार्थ छुट्टी की घोषणा की थी । 1952-63 तक के वर्षों में तीन चार ऐसे अवसर हुए थे कि सरकारी कार्यालयों को विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु के सम्मान में बन्द किया गया । चूंकि राज्य सरकारें अपने कार्यालयों को बन्द करने से पहले केन्द्र सरकार से सलाह-मशविरा नहीं करती हैं, सरकार के पास सूचना नहीं है कि क्या दो उल्लिखित हाल के अवसरों को छोड़कर अन्य किसी मामले ऐसे अवसरों पर किसी राज्य सरकार ने छुट्टी घोषित की थी ।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षा व्यवस्था

2900. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय संग्रहालय जनपथ, नई दिल्ली से प्राचीन आभूषणों तथा सोने के सिक्कों की चोरी हुए एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है, तथापि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी अपर्याप्त है ;

(ख) क्या यह सच है कि अभी तक सेंध चोर की सूचना देने वाला प्रस्तावित उपकरण नहीं लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सुरक्षा व्यवस्था को विशेषकर रात्रि के समय सुदृढ़ बनाने के लिये क्या उपाय ढूंढ़े गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी,नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) हम इस सम्बन्ध में केन्द्रीय संग्रहालय समीक्षा समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(घ) राष्ट्रीय संग्रहालय के सुरक्षा प्रबन्ध के इन्चार्ज अधिकारियों को अब रात की ड्यूटी पर लगाया जा रहा है ताकि वे पहरे और निगरानी के स्टाफ पर प्रभावशाली पर्यवेक्षण रख सकें । रात के समय ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा स्टाफ की चैकिंग के लिये वरिष्ठ अधिकारी भी आकस्मात् भ्रमण करते हैं । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संग्रहालय के चारों ओर चौबीसों घंटे सशस्त्र पुलिस गार्ड लगाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। केन्द्रीय संग्रहालय समीक्षा समिति की सिफारिशें सरकार के पास होने के बाद ही इस सम्बन्ध में कदम उठाये जायेंगे ।

हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देना

2901. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** **डा० प० मण्डल :**
श्री हेमराज : **श्री विक्रम चन्द महाजन :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त आयोग द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त निधि के आवंटन को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के मामले का केन्द्र सरकार ने अध्ययन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ हाल में विचार-विमर्श हुआ था किन्तु किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले और अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी।

Pakistani Spies in Kashmir Distributing Hand-Bills

2902. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Pakistani spies have become active in different parts of Kashmir and are distributing hand-bills and thus provoking the people to indulge in sabotage and other violent activities ;

(b) whether Government have collected information from the State Government in this regard ; and

(c) if so, the details thereof and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The Government of Jammu and Kashmir have reported the unearthing of six spy rings in the last few months. They have also intimated that some anti-national and prejudicial hand-bills had come to their notice but the source or authorship of these hand-bills has not so far been trace. Government are vigilant.

Handicap in Protection of Ancient Art Pieces by the Archaeological Department

2903. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the editorial in the 'Indian Express' dated the 8th August, 1969 wherein it is stated that the archaeological department does not have the means to protect pieces of ancient historical art or to publish in time, books about them ;

(b) if so, the steps being taken by Government to remove this handicap ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) and (b). Yes, Sir. The Government is aware of the situation and have already taken some steps and is planning to take further steps in the matter as indicated below :—

(i) The State Governments have been requested to help in safeguarding the monuments from vandalism and thefts.

(ii) Loose sculptures in and around the protected monuments which could not be adequately safeguarded **in situ** are being collected and stores in sculpture sheds specially constructed for the purpose.

(iii) Watch and ward staff are being augmented. They have also been alerted to be more vigilant. Strict measures of supervision are being enforced.

(iv) Cases of thefts are promptly reported with description and photographs to the local police and also are taken up with the State Governments.

(v) Cases of thefts are also reported promptly to the Export Advisory Committee and the Customs authorities. The question of amending the provisions of the Antiquities (Export Control) Act 1947 is also under consideration.

The Archaeological Survey has already published a number of books both scholarly and popular on the monuments of India. Steps are also being taken to strengthen the publication work of the Survey by setting up a separate Publication Branch.

Polytechnic Schools in various States

2904. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Polytechnic Schools being run in the various States ;

(b) the number out of them of those which are meant for women ;

(c) the action being taken by Government to open polytechnic schools for women in the States in which such schools have not so far been opened ;

(d) the subjects in which training is being imparted to women now-a-days ; and

(e) whether Government propose to open more such schools for women keeping in view their proportion in our population ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). There are 300 polytechnics/institutions conducting diploma courses. Twentyone of these polytechnics are meant for women.

(c) and (e). The Central Government has agreed to give financial assistance to all State Governments which wish to start women's polytechnics under their Five Year Plans. The States which do not have women's polytechnics at present are : Jammu and Kashmir, Haryana, Punjab, Rajasthan, Bihar and Nagaland. The Chandigarh Women's Polytechnic started by the old composite State is catering for both Haryana and Punjab and Bihar States have included the starting of women's polytechnics in their Five-Year Plans. Andhra, Maharashtra, Gujarat and Mysore also have made provision for additional women's polytechnics in their Plans.

(d) The subject fields in which training is given include : Civil Engineering and Draughtsmanship ; Electronics and Radio Engineering ; Architectural assistantship ; Secretarial Practice and Stenography ; Costume Design and Dress Making ; Medical Laboratory Technology ; Commercial Art ; Interior decoration ; Library Science and Pharmacy.

Construction Work on Dumaria Bridge over River Gandak, Bihar

2905. **Skri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5463 on the 29th August, 1969 and state ;

(a) the target-date fixed for the completion of the construction work of Dumaria bridge and the additional time its construction is likely to take ;

(b) whether any penalty has been imposed on the contractors who delayed their construction work and if so, details thereof and the number of contractors on whom such penalty has been imposed ; and

(c) the additional expenditure likely to be incurred due to this delay ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Shingh): (a) to (c). Information is being collected from State Government and will be laid on the table of the Sabha as soon as available.

Construction Work on National Highway No. 28

2906. **Shri D. N. Tiwary**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the work on National Highway No. 28 has been suspended for the last 3-4 years and the employees who were working there were drawing pay without doing any work;

(b) if so, the expenditure incurred on pay, allowance etc. from 1966 to 1968-69; and

(c) whether Government are aware of the fact that the Sub-Divisional Officer and other employees of Sub-Division Gopal Ganj District Saran (Bihar) took an active part openly in the mid-term election in 1969 because they had no work?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A complaint received by Government of Bihar against Sub-Divisional Officer is being inquired into by it. It is not a fact that Sub-Divisional Officer and other employees of Gopalganj office had no work.

विदेशी जहाज कम्पनियों को देय भाड़ा

2907. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी जहाज़ कम्पनियां भारत को कुल कितने टन भार के लिये कितनी राशि भाड़े के रूप में देनी पड़ती है और हमारे कुल विदेश व्यापार से उनका क्या अनुपात है;

(ख) किन-किन जहाज कम्पनियों को हमें किस-किस विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है; और

(ग) विदेशी मुद्रा के व्यय को ध्यान में रखते हुये जहाजरानी में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में क्या अड़चने हैं ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) विदेशी जहाजी कम्पनियों को भारतीय निर्यात और आयात माल लाने ले जाने के लिये चुकाये गये भाड़े का कोई ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तथापि यदि यह मान लें कि भारत के समुद्रपार-व्यापार का औसतन 10 प्रतिशत भाड़ा भुगतान राशि है तो कुल भाड़ा-भुगतान में से भारतीय कम्पनियों की भाड़ा आय को कम करने से 1967-68 में विदेशी कम्पनियों की भुगतान की गई भाड़ा राशि लगभग 210 करोड़ रुपये होती है। 1968-69 के संबंधित आंकड़े अभी उपलब्ध

नहीं है । गत दो वर्षों में भारत के समुद्रपार व्यापार की कुल मात्रा और भारतीय जहाजों द्वारा लगाई गई मात्रा निम्न प्रकार थी :

वर्ष	कुल मात्रा (मिलियन टन)	भारतीय जहाजों में लगाई गई मात्रा (मिलियन टन)	प्रतिशत
1967-68	49.79	7.73	15.6
1968-69	52.34	9.57	18.29

(ख) ब्योरेवार सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि यू० एस० ए० और यू०के०का अधिकांश भाग रहा ।

(ग) भारतीय जहाजों को भारत के समुद्रपार व्यापार का और अधिक भाग ले जाने लायक बनाने के लिये की गई सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही भारत के समुद्रपार के जहाजी टनभार का विस्तार करना है । इस अर्जन की गति संतोषजनक रही है क्योंकि समुद्रपार टनभार जो तीसरी योजना के शुरू में 1-4-1961 को 5.65 लाख जी० आर० टी० था । वह अब 19.14 लाख जी० आर० टी० है । इस दिशा में सरकार द्वारा की गई कुछ अन्य कार्यवाही इस प्रकार है :

(1) भारतीय जहाजी कम्पनियों को विदेशी लाइनर सम्मेलनों और दर समझौते में प्रवेश करने के लिये सहायता देना ।

(2) यू० एस० एस० आर०, पोलैण्ड, यू० ए० आर० और जी० डी० आर० जैसे विदेशी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करना ।

(3) भारतीय जहाजों को सरकारी माल और सरकार द्वारा नियंत्रित माल प्राप्त करने में सहायता देना ।

(4) भारतीय जहाजी कम्पनियों को नये जहाजी रास्तों में प्रवेश के लिये प्रोत्साहित करना । आयात / निर्यात माल ले जाने के मामले में आत्मनिर्भरता का सामान्यतया अर्थ लगभग 50 प्रतिशत ऐसे माल को राष्ट्रीय जहाजों में ले जाना होगा । इस स्थिति तक पहुंचने में मुख्य कठिनाई हमारे जहाजी टनभार की अपर्याप्तता है । यदि चौथी योजना का 4.00 मिलियन जी० आर० टी० का लक्ष्य प्राप्त हो जाये तो भारतीय जहाज समुद्रपार व्यापार का लगभग 40 प्रतिशत ले जाने की स्थिति में होंगे ।

प्रशासनिक सुधार आयोग का राज्य प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन

2908. **श्री शिवचन्द्र झा :**

श्री रविराय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य प्रशासन संबंधी अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन सिफारिशों के स्वीकार करने का है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ग) प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

द्वारिका तथा ओखा के निकट पाकिस्तानी घुसपैठियों का पकड़ा जाना

2909. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत दो मासों में द्वारिका तथा ओखा के निकट भारत में आये पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उनके विरुद्ध भारत सरकार ने क्या अगली कार्यवाही की है;

(ग) गत दो वर्षों में जो पाकिस्तानी घुसपैठिये पकड़े गये हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है तथा वे किन-किन स्थानों पर पकड़े गये थे; तथा उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) विदेशियों द्वारा ऐसी घुसपैठ न की जाये, इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा इस संबंध में कितनी सफलता मिली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 29 अक्तूबर, 1969 से 13 नवम्बर, 1969 तक की अवधि में मछली पकड़ने वाली पाकिस्तानी मूलक नौ नावें उनके 159 चालकगण सहित कच्छ तट से दूर हमारे जल प्रांगण में पकड़ी गई । विधि के अन्तर्गत उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई है ।

(ग) गुजरात सरकार से प्राप्त आख्या के अनुसार राज्य में विभिन्न स्थानों पर 1 जनवरी, 1968 से 1 अक्तूबर, 1969 तक की अवधि में 605 पाकिस्तानी घुसपैठिये गिरफ्तार किये गये । क़ानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई ।

(घ) संबंधित सीमा/तट क्षेत्रों में कड़ी गश्त समेत निरोधक उपायों को और अधिक दृढ़ किया गया है ।

भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे विदेशी विद्यार्थी

2910. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय या संस्थान में कितने विदेशी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और वे किन देशों के हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन विद्यार्थियों के सामने कई कठिनाइयां हैं, यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) इन समस्याओं का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिये विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई के दौरान कोई असुविधा न हो, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारत में लगभग 7,000 विदेशी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय तथा देशवार इन विद्यार्थियों का 196 7-68 के वर्ष का ब्योरा दो संलग्न विवरण पत्रों में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2260/69]**

(ख) विदेशी विद्यार्थियों की मुख्य कठिनाई भोजन तथा सामाजिक मामलों के बारे में है।

(ग) विदेशी विद्यार्थियों की ऊपर बताई गई कठिनाइयों को भारतीय विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों के ध्यान में लाया गया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे छात्रों में अधिक मैत्री पूर्ण दिलचस्पी लें और वह सभी कुछ करें जो जरूरी है, जिससे उनकी संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विदेशी विद्यार्थियों के लिये अधिक अनुकूल वातावरण बन सके।

विदेशी यात्रियों के लिये 'नाइट क्लब'

2911. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी यात्रियों ने भारत में 'नाइट क्लबों' के प्रति अपनी रुचि प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशेषकर विदेशी यात्रियों के लिये 'नाइट क्लबों' की स्थापना करने का है, जिससे ये यात्री अधिकतम संख्या में आकर्षित हों;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशी यात्रियों का साथ देने के लिये अनुरक्षकों अथवा सहायकों की व्यवस्था करने वाले समवायों को मान्यता देने का है, जैसा कुछ विदेशों में प्रचलन है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). यह सम्भव है कि कुछ विदेशी पर्यटक भारत में 'नाइट क्लबों' में जाना पसन्द करें। परन्तु, सरकार को ऐसी क्लबें स्थापित करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। सरकार की धारणा है कि अधिकांश विदेशी पर्यटक हमारी स्वाभाविक प्रतिभा एवं संस्कृति पर प्रकाश डालने वाले भारतीय मनोरंजनों को देखने के इच्छुक होते हैं। ऐसे मनोरंजन का कुछ होटलों में पहले ही आयोजन किया जा रहा है। विदेशी पर्यटकों की रुचि के लिये होटलों से बाहर भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा कमाने का एक अच्छा उद्योग

2912. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को एक उद्योग घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष में पर्यटन उद्योग से वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(ग) विदेशी मुद्रा कमाने की दिशा में इस उद्योग की वर्तमान स्थिति कैसी है, क्या उसमें वृद्धि हो रही है अथवा ह्रास;

(घ) क्या यह सच है कि विकासशील देशों में पर्यटन उद्योग को विदेशी मुद्रा कमानेवाला सबसे अच्छा उद्योग माना जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो हमारे देश में इस उद्योग को अत्यधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये, पर्यटन को एक उद्योग समझा जाता है, और एक परिपत्र जारी किया गया है कि पर्यटन उद्योग के विभिन्न उपादानों यथा, होटलों, यात्रा अभिकरणों, शिकार साज-सामान आयोजकों (शिकार आउट फिटर्स) और पर्यटक कार परिचालकों के साथ व्यवहार में उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाये ।

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्षों में रुपयों में मूल्यांकन करते हुये अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्योरा इस प्रकार है :

वर्ष	रु० (करोड़ों में)
1966	22.61
1967	25.23
1968	26.54

(घ) यह सच है कि बहुत से विकासोन्मुख देशों में पर्यटन विदेशी मुद्रा कमाने का मुख्य साधन है ।

(ङ) पर्यटन द्वारा विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाने के लिये बहुत से कदम उठाये जा रहे हैं, जिनमें कि होटल प्रायोजनाओं के लिये उदार प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता, पर्यटक कार परिचालकों को ऋण, अवकाशकालीन सैरगाहों का निर्माण, चार्टर और वीजा विनियमों का उदारीकरण और विदेशों में और अधिक व्यापक प्रचार करना शामिल है ।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये टेन पिन बाउलिंग खेल का विकास

2913. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अमरीका के अलावा दक्षिण पूर्वीय

एशियाई देशों में 'टेन पिन बाउलिंग' खेल अति लोकप्रिय होता जा रहा है और हमारे देश की यात्रा करने वाले पर्यटकों में भी काफी लोकप्रिय है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि हमारे देश में 'टेन पिन बाउलिंग' खेल की व्यवस्था न होने से पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या किसी पार्टी ने इस खेल के विकास करने के लिये लाइसेंस के लिये सरकार को लिखा है;

(घ) क्या उस पार्टी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वे इस खेल के विकास के लिये कोई विदेशी मुद्रा नहीं मांगेगी; और

(ङ) क्या उस पार्टी को लाइसेंस देना अस्वीकृत कर दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पर्यटकों द्वारा की गई नैमित्तिक पूछताछ के अतिरिक्त कि क्या भारत में इस खेल की सुविधा उपलब्ध है, सरकार के पास ऐसी जानकारी नहीं है कि इस खेल की सुविधा न होने पर पर्यटकों ने रोष प्रकट किया हो।

(ग) से (ङ). इस बात की जानकारी के बिना कि किस प्रकार के लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिया गया है, कोई जानकारी देना सम्भव नहीं है।

रेडियो तथा इलैक्ट्रोनिक उद्योग द्वारा नये उत्पादनों का विकास

2914. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने हाल ही में रेडियो तथा इलैक्ट्रोनिक उद्योग के हित के कतिपय नये उत्पादनों तथा प्रक्रमों का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या रेडियो तथा इलैक्ट्रोनिक उद्योग ने इन उत्पादनों और प्रक्रमों का प्रयोग किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) सूची संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2261/69]**

(ग) भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के जरिए 25 फ़र्मों को लाइसेंस दिया गया है।

भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारियों की उपलब्धियां

2915. **श्री तुलसी दास जाधव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अर्थ सेवा की श्रेणी प्रथम में श्रेणी द्वितीय से भर्ती

किये गये कुछ अधिकारी उच्च पदों पर पहुंचने पर भी अपने निम्न पदों पर पाने वाले वेतन से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा अब तक इस विषमता को दूर करने के क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) यदि इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक उपचारी कार्यवाही की जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). भारतीय अर्थ सेवा, जो केन्द्रीय सेवा की प्रथम श्रेणी है, की भर्ती पर द्वितीय श्रेणी में काम करने वाले अधिकारियों का वेतन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये सामान्य नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इन नियमों के अधीन अधिकारी द्वारा लिया गया मूल वेतन, यदि कोई हो, सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार, वेतन के मामले में, प्रारम्भिक हानि के कुछ उदाहरण हुए हैं।

(ग) इस विषय में वर्तमान नियमों में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के मिडिल स्कूलों को दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

2916. **श्री तुलसी दास जाधव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने सब मिडिल स्कूलों का नियंत्रण दिल्ली नगर निगम से अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अधिग्रहण की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या अब गैर-सरकारी स्कूलों को मान्यता पत्र दिल्ली नगर निगम के स्थान पर दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये जायेंगे ; और

(घ) ऐसे स्कूलों को मान्यता प्रदान करने की क्या कसौटी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में प्रधान मंत्री

2917. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री को नेहरू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अभी तक किसी भी प्रधान मंत्री को उनके कार्यकाल में किसी भी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं बनाया गया है ;

(ग) यह विश्वविद्यालय कब से कार्य करना आरम्भ करेगा ; और

(घ) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 के उपबन्धों के अनुसार प्रथम कुलाधिपति का नाम निर्देशन कुलाध्यक्ष द्वारा किया जाना है। भारत के राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष की हैसियत से श्रीमती इन्दिरा गांधी को उनकी व्यक्तिगत हैसियत में विश्वविद्यालय का प्रथम कुलाधिपति नियुक्त किया है ।

(ख) जी नहीं, स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू, स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी को उनके प्रधान मंत्री के कार्यकाल के दौरान विश्व भारती विश्वविद्यालय के कोर्ट द्वारा उनकी व्यक्तिगत हैसियत में कुलाधिपति निर्वाचित किया जा चुका है।

(ग) और (घ). विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् तथा शैक्षिक सलाहकार समिति ने काम करना आरम्भ कर दिया है। विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा घोषित संस्थान के रूप में इन्स्टीट्यूट आफ रशयन स्टीडीज को अपने अधिकार में ले लिया है। विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन 14 नवम्बर, 1969 को किया गया था तथा इन्स्टीट्यूट आफ रशयन स्डीज से परीक्षा पास करने वाले छात्रों को डिग्रियां देने के लिये प्रथम दीक्षांत समारोह भी उसी दिन किया गया था ।

Appointment of an Official to look after International Airports

2918. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint some high official to look after International airports ; and

(b) the work which would be done by that officer ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). It is proposed to appoint a senior officer in this Ministry to deal with the matters relating to the establishment of a statutory corporation for the management of the four international airports at Delhi, Calcutta, Bombay and Madras and ensure speedy implementation of the recommendations of the International airports committee.

Entry Fee Charged at Air Ports

2919. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the entry fee charged at the International air ports ; and

(b) the earnings therefrom during the year 1968-69 ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) Re. 1.00 per head.

(b) Rs. 20,94,828.00 for the financial year 1st April, 1968 to 31st March, 1969.

Children of Central Government Employees Studying in Central School, Kota (Rajasthan)

2920. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) the number of the children of the Central Government employees studying in the Central School at Kota, Rajasthan;

(b) the number of children admitted during the last two years;

(c) whether the existing capacity of the School is sufficient; if not, the steps being taken by Government to increase the number of Teachers and to remove the shortage of seats in the School; and

(d) whether the pay-scales of the Teachers are at par with those of the Central Government employees; if not, the reasons therefor?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):

(a) 209 as on 1-12-1969.

(b) 1968....337
1969....186

(c) The existing capacity of the school is sufficient. The strength of teachers is also adequate for the needs of the school.

(d) Pay Scales of teachers in Kendriya Vidyalyas including the Kendriya Vidyalaya at Kota, are the same as have been sanctioned by the Government for corresponding posts of teachers under Delhi Administration.

विदेशी धर्म प्रचारकों को बीजा देने से इन्कार करने सम्बन्धी नियम

2921. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन ईसाई धर्म-प्रचारकों को जो कि अनेक वर्षों से इस देश में हैं तथा जिनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है, और यदि है भी, तो उसका खण्डन करने के लिए उन्हें अनुमति नहीं दी गई, को बीजा देने से इन्कार करना ईसाइयों के अपनी इच्छा के धर्म-प्रचारकों के साथ अपने धर्म के पालन करने के मूलभूत अधिकार के अनुरूप है ;

(ख) क्या नागरिकता प्राप्त करने के लिये दिये गये आवेदन-पत्रों को अघोषित नीतियों के आधार पर तथा बिना किसी अधिनियम के उपबन्धों का हवाला दिये अस्वीकार किया जा सकता है ; और

(ग) क्या विदेशी वक्ताओं को इस आधार पर बीजा देने से इन्कार करने का कोई नियम है कि वे किसी धार्मिक संस्थान की ओर से भेजे गये अथवा उनसे सम्बन्धित हैं, यदि अनौपचारिक रूप से ऐसा कोई नियम है तो संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता से किस प्रकार संगत है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) धर्म का स्वतंत्रतापूर्वक पालन करने के लिए सभी व्यक्तियों का अधिकार उन निर्णयों से किसी भी भांति प्रभावित नहीं होता है कि क्या किसी विदेशी व्यक्ति को देश में रहने की अनुमति दी जाय अथवा नहीं ।

(ख) नागरिकता प्रदान करने के लिये आवेदन-पत्रों पर पूरी तरह भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

सतर्कता आयोग को मिली शिकायतें

2922. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में सतर्कता आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में कमी के क्या कारण हैं ;

(ख) भ्रष्टाचार के तरीकों के बारे में क्या अध्ययन किये गये हैं और बताई गई सुविधाओं और अवसरों को दूर करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ;

(ग) विभाग के नाम का औचित्य सिद्ध करने के लिये कौन से सतर्कता कार्य किये जाते हैं ; और

(घ) भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिये जनता से क्या सहयोग मांगा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) शिकायतों में कमी के लिये कोई निश्चित कारण बताना सम्भव नहीं है ।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने समय-समय पर अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में भ्रष्टाचार के विभिन्न तरीकों को बताया है और इस बुराई को रोकने के लिये कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी परिवर्तन के सुझाव दिये हैं । भ्रष्टाचार-विरोधी कार्य के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान तरीकों के प्रश्न पर विभागीय अधिकारियों के साथ परामर्श करके केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा भी जांच की जाती है ।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग मंत्रालयों में सतर्कता तथा भ्रष्टाचार-विरोधी कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण करता है और मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो का मार्ग-दर्शन करता है तथा उनको सहायता देता है ।

(घ) भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों तथा जनता के सदस्यों से समय-समय पर मिले हैं ।

मंगलौर बन्दरगाह परियोजना क्षेत्र से परिवारों को काटीपिला पुनर्वास केन्द्र में ले जाना

2923. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर बन्दरगाह क्षेत्र से कितने परिवारों को काटीपिला पुनर्वास केन्द्र में ले जाया

गया है और उनमें से कितने व्यक्तियों को उनके अपने खेतों में काम के स्थान पर बन्दरगाह परियोजना अथवा कहीं अन्य रोजगार मिला है ;

(ख) क्या पुनर्वास केन्द्र में रोजगार के लिये केन्द्र की कोई योजनायें थीं और क्या उन्होंने इस प्रयोजन के लिये भूमि दी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है ;

(घ) पुनर्वास केन्द्र द्वारा एक औद्योगिक बस्ती स्थापित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या पानमबूर के लिये, होसविटू और जोगकोट्ट होकर लाघव सड़कों (शार्ट कट) की ब्लैक टोपिंग, जिसके लिये ताल्लुक बोर्ड के पास धन नहीं है, केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिया जायेगा क्योंकि बन्दरगाह में रोजगार इसका विकास होने पर ही मिलेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ङ). विस्थापितों के पुनर्वास सम्बन्धी-कार्य और काटिपिला पुनर्वास केन्द्र का प्रबन्ध मैसूर सरकार से सम्बन्ध रखता है। उस सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

छात्रों की यात्रायें

2924. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्रों की यात्राओं के कार्यक्रमों में, विशेषत: आवास तथा भोजन व्यवस्था के मामले में, विश्वविद्यालयों से सहयोग देने के लिये कहने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को क्या आपत्ति है ;

(ख) छात्रों तथा संस्थाओं की जानकारी के लिये ऐसे कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध सुविधाओं का विवरण एक पुस्तिका में प्रकाशित क्यों नहीं किया जाता ; और

(ग) ऐसी यात्राओं के लिये रेलवे की क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या इनके बारे में प्रचार भी किया जा सकता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1969-70 से एक छात्र यात्रा योजना बनाई गई है ताकि छात्रों को राष्ट्रीय विकास, संस्कृति, इतिहास तथा शिक्षा आदि के महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा करके देश को जानने में सहायता मिल सके। इस योजना के अन्तर्गत आयोग 50 छात्रों की एक यात्रा के लिये एक विश्वविद्यालय को 5,000 रुपये तक की सहायता देता है। आयोग ने विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि यात्रा करने वाले छात्रों के लिये भुगतान के आधार पर भोजन और रहने की व्यवस्था की जाये।

(ख) इस योजना के उद्देश्यों तथा इसकी क्रियान्विति के लिये बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की ओर आयोग द्वारा पहले ही सब विश्वविद्यालयों का ध्यान दिलाया जा चुका है। इस बात को देखते हुए आयोग इस समय पुस्तक प्रकाशित करना आवश्यक नहीं समझता है।

(ग) रेलवे मान्यता प्रदत्त शैक्षिक संस्थाओं के छात्रों को रियायत देती है, जिसका ब्योरा "आई० आर० सी० ए० कोचिंग टेरिफ नं० 19" नामक प्रकाशन में दिया गया है।

आयोग ने विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि इस योजना के अन्तर्गत आयोजित यात्राओं के लिये छात्रों के लिये उपलब्ध रेलवे रियायत का लाभ उठाया जाये।

यूगोस्लाविया के जहाज निर्माण कारखाने में बनने वाले टैंकर

2925. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया के जहाज निर्माण कारखाने में भारत के लिये टैंकर बनाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके साथ हुए ठेके का ब्योरा क्या है ; और

(ग) कुल कितने टैंकर अब तक दे दिये गये हैं तथा प्रत्येक टैंकर के लिये विदेशी मुद्रा तथा रुपयों में कितनी कीमत दी जा रही है ?

संसद् कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). जी हां। प्रत्येक 88000 डी डब्लू टी के दो टैंकरों के निर्माण के लिये यूगोस्लाविया शिपयार्ड से शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ने निम्न शर्तों पर एक ठेके पर हस्ताक्षर किये :

(1) मूल्य : 6.54 करोड़ रुपये प्रति टैंकर।

(2) **भुगतान की शर्तें** : ठेके पर हस्ताक्षर होने पर मूल्य का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत और प्रत्येक टैंकर की सुपुर्दगी पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत। शेष 85 प्रतिशत 18 बराबर अर्धवार्षिक क्रमिक किस्तों में शेष राशि पर 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से, प्रथम किस्त प्रत्येक टैंकर को सुपुर्दगी की तारीख के 6 मास बाद शुरू होगी।

(ग) एक टैंकर अर्थात एम० टी० जवाहर लाल नेहरू 30 सितम्बर, 1969 को प्राप्त हो गया है। दूसरे टैंकर के फरवरी/मार्च, 1970 में प्राप्त होने की संभावना है।

ठेके की शर्तों के अनुसार प्रत्येक टैंकर की 18.8 प्रतिशत मूल्य (अर्थात 122.95 लाख रुपये) विदेशी मुद्रा में देय हैं और शेष रुपयों में।

उत्तर प्रदेश में साहेत माहेत का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

2926. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में साहेत माहेत नामक प्रसिद्ध स्थान का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). चौथी पंच वर्षीय योजना में साहेत माहेत (श्रावस्ती) सहित चुने हुये बौद्ध केन्द्रों के समेकित विकास की एक योजना का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके लिये 65 लाख रुपये की एक राशि की व्यवस्था की गई है। विस्तृत ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में नक्सलवादियों की गतिविधियां

2928. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहराइच, लखीमपुर खीरी और गोंडा जिलों में (उत्तर प्रदेश) भूमिहीन श्रमिक नक्सलवादी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और उनके द्वारा बहुत से एकड़ भूमि पर बलपूर्वक कब्जा किया जा चुका है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई और गिरफ्तार किये गये नेताओं को छोड़ दिया गया ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके नेताओं को गिरफ्तार करने और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के आयोजन में रुचि रखने वाली एजेन्सियों ने इन नेताओं को बहुत सा धन बांटा है ;

(ङ) क्या सरकार इन नेताओं के वित्त और सम्पत्ति के बारे में जांच करायेगी ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (च). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Seaports and their Capacity

2929. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of seaports in the country at present and their capacity to handle goods ;

(b) the scheme prepared by Government to increase this capacity ; and

(c) the places where Government propose to build new seaports in the near future ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) There are at present 8 major ports and 173 intermediate and minor ports in India with a capacity of about 70 million tonnes per annum.

(b) and (c). A satellite port to Calcutta consisting of an enclosed Dock System and an Oil Jetty is being developed at Haldia. The Oil Jetty has already been commissioned ; the Dock System is expected to be commissioned early in 1971. The Dock Expansion Scheme and Bellard Pier Extension Scheme at Bombay are in progress and are expected to be completed in 1970. The question of constructing a satellite port to Bombay at Nhava-Sheva is under consideration. At Madras, a new outer harbour consisting of an oil berth and an ore berth is under construction. At Visakhapatnam, a new outer harbour is proposed to be built. At Cochin, the question of constructing an oil dock for deep-drafted oil tankers is under consideration. Murmugao is proposed to be developed on modern lines to handle increased iron ore exports. At Kandla, the fifth berth and the new oil jetty are expected to be brought into commission during the Fourth Plan period. At Paradip, the construction of a new general cargo berth has been sanctioned. Two new major ports, one at Mangalore and the other at Tuticorin are under construction.

In addition, during the Fourth Plan period it is proposed to give Central assistance to the maritime State Governments in respect of certain specified and well-defined schemes concerning one port in each State.

Instructions to Trainees of I. A. S. and other Services

2930. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the course prescribed by his Ministry to impart instruction in socialism to the trainees belonging to the Indian Administrative Service and other Services of the Government of India with a view to propagating progressive policies and socialistic programmes of Government ; and

(b) the programme chalked out by Government to bring the training course of the Indian Administrative Service in conformity with the new progressive and democratic pattern ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The syllabi prescribed for the training of I. A. S. and other Services at the National Academy of Administration include subjects on socialism and progressive policies of Government. Extracts from the syllabi for the foundational course as well as the I. A. S. training are given in the enclosed statements. **[Placed in Library. See No. LT-2262/69]**

साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा बर्दवान (पश्चिम बंगाल) में आयोजित किसान सम्मेलन

2932. **श्री समर गुह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में वरशूल में 2 नवम्बर, 1969 को किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें हजारों किसानों ने घातक हथियारों के साथ भाग लिया था ;

(ख) क्या हजारों सशस्त्र किसानों ने भय और हिंसा का वातावरण बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जुलूस निकाला था ;

(ग) क्या उस सम्मेलन में अखिल भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के उच्च स्तरीय नेताओं ने भाषण दिये थे ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाएगी जिससे उन्हें प्रजातांत्रिक आन्दोलनों की परम्परा के विरुद्ध सशस्त्र स्वयंसेवकों को संगठित करने से रोका जा सके ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार राज्य में शान्ति का वातावरण बनाने तथा प्रजातन्त्र के संचालन के लिए क्या कदम उठायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । किसान स्वयं-सेवकों ने बड़ी संख्या में इस सम्मेलन में भाग लिया और वे धनुष, बाणों, लाठियों, भालों इत्यादि से लैस थे ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सशस्त्र किसानों ने सम्मेलन-स्थल के निकट किसी क्षेत्र में भय और हिंसा का वातावरण बनाने के लिये कोई जलूस नहीं निकाला था ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) तथा (ङ). जबकि उचित प्रयोजनों के लिए किसी राजनैतिक दल के अपने स्वयं-सेवक होने में कोई आपत्ति नहीं है फिर भी, सरकार किसी स्वयं-सेवी संगठन की उन गतिविधियों को गहरी चिन्ता की दृष्टि से देखती है जिसके फलस्वरूप असुरक्षा अथवा वैमनस्य अथवा अराजकता की भावना जागृत होती है । ऐसी गतिविधियों पर भी सावधानी से नजर रखी जाती है । गृह मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिये उपयुक्त कानून बनाने के प्रश्न पर उनसे विचार-विमर्श करने के लिये संसद में समस्त राजनैतिक दलों और समूहों के नेताओं को पहले आमंत्रित किया था । किन्तु प्रत्युत्तर उत्साहवर्धक नहीं रहा है ।

पोर्ट ब्लेयर स्थित एक कालेज का पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होना

2933. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित एक कालेज पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के क्षेत्रों से शिक्षा संस्थाओं को अर्हताप्राप्त शिक्षकों की कमी के कारण कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो द्वीपसमूहों में शिक्षा संस्थाओं में काम करने के लिये भारत के मुख्य भूभाग से अर्हताप्राप्त शिक्षकों को आकर्षित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) जब दिल्ली तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया तो वे क्षेत्र सम्बन्धी अपने सीमित क्षेत्राधिकार के कारण उसे सम्बद्ध नहीं कर सके ।

(ग) कुछ श्रेणियों के शिक्षकों की कमी है ।

(घ) निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(i) शिक्षकों को केन्द्रीय वेतनमान तथा केन्द्रीय भत्ते देना ।

(ii) मुख्य भूभाग से आने वाले उम्मीदवारों को दक्षिण अन्दमान में मूल वेतन की 25 प्रतिशत दर पर जो अधिक से अधिक 250 रुपये मासिक हो सकता है, मध्य तथा उत्तर अंदमान में मूल वेतन की 30 प्रतिशत दर पर जो अधिक से अधिक 300 रुपये मासिक हो सकता है तथा निकोबार और छोटे अंदमान में 35 प्रतिशत पर जो अधिक से अधिक 300 रुपये मासिक हो सकता है, विशेष भत्ता देना तथा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत दर पर जो अधिक से अधिक 100 रुपये मासिक हो सकता है, प्रतिकर भत्ता देना ।

(iii) विशेष मामलों में अग्रिम वेतन वृद्धियां देने पर विचार किया जाता है ।

(iv) बिना फर्नीचर के मुफ्त रिहायशी आवास की व्यवस्था ।

(v) घर आने के लिये सामान्य छुट्टी यात्रा रियायत के अतिरिक्त, मुख्य भूभाग से भर्ती हुए व्यक्ति तथा उनके परिवार के सदस्य छुट्टियों के दौरान वर्ष में एक बार मुफ्त समुद्री यात्रा के हकदार हैं ।

कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच जनता विमान सेवा (फ्लाइट) का चलाना

2934. **श्री समर गुह :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान द्वीप समूह में बसे शरणार्थी विमानों में किराये की दरें अधिक होने के कारण विमान भाव करके मुख्य भूमि में नहीं जा सकते ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार डम-डम से पोर्ट ब्लेयर तक जनता विमान सेवा आरम्भ करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ताकि वहां से बसे निर्धन शरणार्थियों को लाभ पहुंच सके ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). कलकत्ता पोर्ट ब्लेयर सेवा पर इंडियन एयरलाइंस 397/रु० के सामान्य किराये के मुकाबले 268/रु० का रियायती किराया ले रही है । उसके लिये यह संभव नहीं है कि वह इस किराये को और अधिक कम कर सके । इस खण्ड पर 'जनता सेवा' परिचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

क्विलोन के निकट पम्बन नदी पर एक पुल का निर्माण

2936. **श्री क० अनिरुद्धन :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलोन के निकट पम्बन नदी पर पुल बनाने के बारे में केरल सरकार की ओर से कोई प्रार्थना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है तथा क्या इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). सम्भावतया माननीय सदस्य वामनापुरम के ऊपर पुल का उल्लेख कर रहे हैं न कि पम्बन पुल का । अटिंगल के पास वामनापुरम के ऊपर वर्तमान पुल को 4,78,000 रु० के अनुमानित लागत पर फिर से डेक करने का प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है । परन्तु राज्य सरकार को पुल के पूरा पुनर्निमाण के लिये परिवर्तित प्रस्ताव भेजने के लिये कहा गया है क्योंकि केवल पुनडेक करना उपयुक्त नहीं समझा गया ।

कार्य को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है ।

प्रशिक्षित पर्यटक मार्ग दर्शक

2937. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष कितने पर्यटक मार्ग-दर्शकों को प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ख) ऐसे कितने प्रशिक्षणार्थियों को उन्नत अध्ययन के लिये अब तक विदेशों में भेजा गया है ; और

(ग) पर्यटक मार्गदर्शकों का चयन कैसे किया जाता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कोई वार्षिक प्रशिक्षण योजना नहीं है । जब कभी भी आवश्यकता होती है, पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रशिक्षण कोर्स संचालित करते हैं ।

(ख) कोई नहीं।

(ग) उचित विज्ञापन के पश्चात् उम्मीदवारों का प्राथमिक चयन यात्रा व्यवसाय, पुरातत्व विभाग तथा पर्यटन विभाग के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा किया जाता है । अंतिम चयन दस सप्ताह के (सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार के) गहन प्रशिक्षण के उपरांत लिखित एवं क्रियात्मक परीक्षाओं के बाद किया जाता है ।

मनीपुर में मध्यावधि चुनाव

2938. **श्री एम० मेघचन्द्र :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रपति का शासन समाप्त करने के लिये 1970 के पहले भाग में मध्यावधि चुनाव करने के लिये कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का स्तर प्रदान करने के बाद चुनाव करायेगी ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो चुनाव कब कराये जायेंगे ; और

(घ) यदि उत्तर नकारात्मक हो, तो चुनाव स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). मनीपुर में मध्यावधि चुनाव किये जाने के लिये कोई तारीख नियत करने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है । उक्त संघ राज्यक्षेत्र का दर्जा बढ़ाकर राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, किन्तु सरकार को आशा है कि उक्त संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति-शासन की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव करा लिये जाएंगे ।

मनीपुर में ग्राम चौकीदारों के वेतन में वृद्धि

2939. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के ग्राम चौकीदारों का वेतन बढ़ाने पर गत कुछ महीनों से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार अनुभव करती है कि ग्राम चौकीदारों का 15 रुपये मासिक वेतन बहुत कम है और उनका वेतन तुरन्त बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). ग्राम चौकीदारों का वेतन बढ़ाने के लिये मनीपुर सरकार के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती में कमी करना

2940. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार निकट भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों की भर्ती में कमी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ ऐसे अधिकारी हैं, जिन्हें अभी तक कहीं नियुक्त नहीं किया जा सका है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती, भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न राज्य काडरों की मांगों के आधार पर की जाती है । ये विद्यमान रिक्तियों और भविष्य की सम्भावित मागों पर निर्भर होने के कारण प्रति वर्ष विभिन्न होती हैं चूंकि इन अधिकारियों की अतिरिक्त मागें अब इतनी अधिक नहीं हैं जितनी गत कुछ वर्षों में रहीं हैं अतः इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या में कुछ कमी हुई ।

(ग) उन अधिकारियों को छोड़ कर जो केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने वाला भारतीय प्रशासनिक सेवा की कोई भी अधिकारी नियुक्ति के बिना नहीं है सिवाय उनके जो छुट्टी पर हैं या निलम्बित हैं ।

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों के अधिक अच्छे परिरक्षण और संधारण के लिये कार्यक्रम

2941. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 22 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 692 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों के अधिक अच्छे परिरक्षण और संधारण के लिये कार्यक्रम तैयार कर सकती है ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के कौन-कौन से स्मारक और मन्दिर आदि शामिल किए गए हैं ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में केवल केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा स्मारकों के संधारण की व्यवस्था की गई है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा संधारण के लिये गत तीन वर्षों में राज्य सरकारों से कौन-कौन से ऐतिहासिक स्मारक अपने अधिकार में लिये गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान के जिन-जिन स्मारकों को वर्ष 1969-70 और 1970-71 के अधिक अच्छे परिरक्षण और संधारण के कार्यक्रम में शामिल किया गया है उनकी एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2263/69]**

(ग) जी हां,

(घ) राज्य सरकार से कोई स्मारक नहीं लिया गया है ।

संसद् सदस्यों के विशेषाधिकारों का संहिताकरण

2943. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसरण में संसद् सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिये कोई अग्रेतर कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या लंका और कुछ अफ्रीकी देशों में विशेषाधिकार कानून को संहिताबद्ध कर दिया गया है ; और

(ग) उनका उदाहरण चरितार्थ करने और विशेषाधिकारों के संहिताकरण के लिये भारत में विधान बनाना संभव नहीं होने के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) यह निर्णय किया गया है कि विशेषाधिकारों को संहिता बद्ध करने के प्रश्न को फिलहाल विलम्बित कर दिया जाय ;

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) को देखते हुये, इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली शोध छात्रवृत्तियां

2944. **श्री जनार्दनन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा अथवा शोध छात्रवृत्तियों के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) विदेशी संगठनों द्वारा भारत में गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली शिक्षा अथवा शोध छात्रवृत्तियों के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) विदेशों में शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भारत सरकार भारतीय छात्रों को, उनके व्यक्तिगत रूप में विदेशी सरकारों तथा संगठनों जिनमें विश्वविद्यालय भी शामिल हैं द्वारा छात्रवृत्तियों / अधिछात्रवृत्तियों तथा अन्य वित्तीय सहायता की सीधी पेशकश को प्रोत्साहन नहीं देती है। उन छात्रों के मामलों पर जिन्हें व्यक्तिगत हैसियत से सीधी पेशकशें प्राप्त हुई हैं, प्रत्येक मामले की वांछनीयता के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) यदि भारत में किसी गैर-सरकारी संगठन को शैक्षिक / अनुसन्धान छात्रवृत्ति की सीधी पेशकश प्राप्त होती है तो उसे यह तथ्य भारत सरकार के ध्यान में लाना होता है और पेशकश को स्वीकार करने के लिये अनुमति लेनी पड़ती है।

बम्बई के हवाई अड्डे का विस्तार

2946. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के हवाई अड्डे का विस्तार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या किन्हीं अन्य हवाई अड्डों का विस्तार किये जाने की भी सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यहां किये जा रहे कार्यों में वर्तमान टर्मिनल इमारत का सुधार एवं विस्तार, मुख्य धावन-पथ और टैक्सी-पथ को मजबूत करना तथा ऐप्रन का विस्तार सम्मिलित है।

(ग) जी, हां। दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिये भी इसी प्रकार के बड़े विकास कार्यों की योजना बनाई गई है। कुछ हवाई अड्डों में छोटे निर्माण कार्य भी प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई महापथ समन्वय समिति

2947. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई महापथ समन्वय समिति की बैठक नवम्बर, 1969 में नई दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या विचार-विमर्श हुआ और क्या निर्णय किये गये ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी हां।

(ख) एशियाई मुख्य मार्ग प्रणाली के विकास से सम्बद्ध विभिन्न मामलों और सहायक सुविधाओं की व्यवस्था करके, सीमा औपचारिकताओं को सरल बना कर, इत्यादि, उस प्रणाली में और अधिक सुधार के लिये आवश्यक अतिरिक्त उपायों पर विचार विमर्श करने के बाद समिति ने इन विषयों पर अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट का अनुमोदन किया। उक्त उपायों से इस प्रणाली में शामिल सड़कों के तैयार टुकड़ों के और अधिक इस्तेमाल की सुविधा होगी और तेहरान से ढाका अथवा काठमांडू तक द्वितीय एशियाई मुख्य मोटर मार्ग रैली के संगठन में भी सुविधा होगी।

नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के विरुद्ध शिकायतें

2948. **श्री क० मि० मधुकर :**

श्री जार्ज फरनेंडीज :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षकों, विद्यार्थियों और प्रशासन द्वारा भी नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के विरुद्ध अनेक शिकायतें की गई थी;

(ख) इस संस्था के विरुद्ध क्या आरोप हैं; और

(ग) उसे सुचारु रूप से चलाने और इसमें शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). शिक्षकों तथा छात्रों से नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के विरुद्ध कोई शिकायतें नहीं आई हैं। फिर भी विद्यार्थियों द्वारा भराये जाने वाले बांड में कुछ खण्डों में पुनरीक्षण करने के विरुद्ध छात्रों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) यह स्कूल संगीत नाटक अकादमी जो कि एक स्वायत्तशासी निकाय है, के प्रशासनाधीन है। संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी मंडल ने बांड की शर्तों में पुनरीक्षण करने की नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

2949. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को उसकी राजनीतिक गतिविधि के कारण नजरबन्द नहीं करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार भी ऐसा निर्णय करने का है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग हाल के महीनों में केवल काला बाजार करने वालों/नफा कमाने वालों जमाखोरों तथा साम्प्रदायिक तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध किया हैं।

(ख) से (घ). निवारक निरोध अधिनियम केन्द्र अथवा राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने का आदेश देने का केवल उसे भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, भारत के विदेशी शक्तियों से सम्बन्ध, राज्य की सुरक्षा अथवा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने अथवा समुदाय के लिये आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा सेवाओं को बनाये रखने के प्रतिकूल किसी ढंग से कार्य को रोकने की दृष्टि से अधिकार देता है। किसी व्यक्ति को कानून के अन्तर्गत उसकी राजनैतिक गतिविधियों के लिए नजरबन्द नहीं किया जा सकता है।

Talks between Assam Governor and U. S. Ambassador

2950. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the talks held between the Governor of Assam and the U. S. Ambassador, Mr. Kenneth B. Keating, during August or September ; and

(b) if so, the details thereof ; and the reaction of Government of India thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The U. S. Ambassador stayed with the Governor of Assam from August 29 to September 1, 1969 as his personal guest. There were no discussions of any political significance.

Hindi as Medium of Instruction for Teaching Law in Universities

2951. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state the progress made so far by his Ministry in making Hindi as a medium of instruction for teaching Law in Universities in view of the decisions taken to replace English by Hindi in the recent Conference of Law Ministers ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) The following Universities provide for teaching of Law subjects in **Hindi** as medium of instruction—(Position as on 1-1-1968)

1. Agra
2. Indore
3. Jiwaji
4. Jodhpur
5. Kanpur
6. Lucknow
7. Meerut
8. Rajasthan
9. Ravi Shankar
10. Udaipur
11. Vikram
12. Gorakhpur
13. Saurashtra
14. South Gujarat
15. Gujarat

In the following Universities, though the medium of instruction is English, students have the option to write the answers in Hindi.

Allahabad, Banaras, Jabalpur and Saugar.

So far as writing of law books at first degree level in Hindi is concerned, the Ministry of Law has taken up this responsibility.

The Ministry of Education and Youth Services have also undertaken a Centrally sponsored Scheme known as "Scheme of Production of literature in regional languages at the first degree level" with a view to facilitating early adoption of regional languages as media of instruction in various subjects **including law.** Under this scheme, a sum of Rs. 1 crore will be made available to each of the five Hindi speaking State Governments who will undertake Production of University level books in association with the Universities situated within their jurisdiction.

Passenger and Cargo Traffic by Indian Ships

2952. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the names of the countries with which passenger and cargo traffic would be handled by our ships during the Fourth Plan period ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : The following liner services at present operated by Indian Shipping Companies are expected to be continued during the IV Plan period :

(1) India/U. K./Continent.

(2) India/U. S. A.

(3) India/U. S. S. R.

(4) India/Red Sea

(5) India/Japan/Far East

(6) India/Australia

(7) India/West Asia (Gulf)

(8) India/U. A. R.

(9) India/East Africa.

In addition, Indian tramp ships also ply in numerous trades, depending upon cargo availability. Indian ships also operate passenger/passenger-cum-cargo services in India/ Malaysia, India/East Africa and India/Red Sea routes.

The Fourth Plan envisages the introduction of services in new routes like India/South America and India/West Africa etc. but the matter is still under study by a Sub-Committee of the National Shipping Board.

Issue of Season Air Tickets to Foreign Tourists

2953. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state whether any scheme is under Government's consideration to issue season tickets to foreign tourists entitling them to travel by air through Indian Airlines within a specified period in India ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : No, Sir.

बोकारो में श्रमिकों पर गोली चलाई जाना

2954. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री उमानाथ :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस ने 29 अक्तूबर, 1969 को बोकारो इस्पात नगर में श्रमिकों की एक भीड़ पर किन परिस्थितियों के कारण गोली चलाई ;

(ख) पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के कारण कितने व्यक्ति मारे गये और कितने व्यक्ति घायल हुए ;

(ग) क्या सरकार सारी घटना की न्यायिक जांच के आदेश देगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 24 अक्तूबर, 1969 को दो ठेकेदारों द्वारा कुछ मजदूरों की छंटनी के विरोध में बोकारों में एक हड़ताल का आयोजन किया गया था। 29 अक्तूबर, को लगभग 2 बजे अपराह्न लगभग 200 व्यक्ति, जिनमें से अनेक शस्त्रों से लैस थे, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से एकत्रित हुए और उनको पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करके तितर-बितर करना पड़ा। भीड़ ने पुलिस दल पर ईंट-पत्थर तथा तीरों से आक्रमण किया जिसके परिणामस्वरूप 19 पुलिस कर्मचारी घायल हुए। बाद में लगभग 3 बजे अपराह्न चार भिन्न-भिन्न स्थानों पर हिंसात्मक भीड़ एकत्रित हुई और तीन गाड़ियों तथा कुछ अस्थाई मकानों को आग लगा दी। उन्होंने भारी पथराव भी किया और धनुष बाणों से आक्रमण किया। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का आदेश दिया। चार विभिन्न स्थानों पर कुल मिलाकर 14 राउन्ड गोली चलाई गई जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और कुछ व्यक्ति घायल हुये।

(ग) और (घ). जैसी पुलिस नियम-पुस्तिका के अधीन अपेक्षित है, घटना की जांच जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है। उसके प्रतिवेदन की राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

अन्दमान द्वीप समूह में पर्यटन का विकास

2956. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप समूह में पर्यटन का विकास करने की कोई योजना सरकार के पास है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार को अण्डमान द्वीप-समूह की पर्यटन सम्भाव्यताओं की जानकारी है, परन्तु इन स्थानों के लिये पर्यटन यातायात पर लगे वर्तमान प्रतिबन्धों को दृष्टि में रखते हुए, वहां कोई विशेष बड़ी सुविधाओं का विकास करना सम्भव नहीं हुआ है । पोर्ट ब्लेयर और कोरबिन्स कोव पर पर्यटन गृहों का निर्माण किया गया है, और पर्यटन विकास के व्यापक प्रश्न को भी विचाराधीन रखा जायेगा।

नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति कार्यालय पर हमला

2957. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर के प्रथम सप्ताह में कुछ गुंडों ने नई दिल्ली में 7 जंतर-मंतर रोड स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति कार्यालय पर हमला किया था और अन्य लोगों के अलावा श्री निजलिंगप्पा तथा श्री मोरारजी देसाई को मारा पीटा था ;

(ख) क्या यह सच है कि उस दिन की इस गुंडागर्दी में एक संसद् सदस्य भी अन्तर्ग्रस्त थे ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये भविष्य में राजनैतिक विरोधियों पर आक्रमण करने के ऐसे प्रयत्न न किये जा सकें क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 नवम्बर, 1969 को जब श्री निजलिंगप्पा 7, जन्तर-मन्तर रोड में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के लिये पहुंचे तो एक संसद् सदस्य समेत कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनकी नीतियों का विरोध करते हुए उनको घेर लिया । जब पुलिस कर्मचारियों ने श्री निजलिंगप्पा के चारों ओर घेरा डाला तो प्रदर्शनकारियों ने उसे तोड़ने का प्रयत्न किया । श्री निजलिंगप्पा को भीड़ में धक्का लगा किन्तु न तो उन पर और किसी अन्य व्यक्ति पर प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रहार किया गया अथवा मारा-पीटा गया ।

(ग) शान्ति भंग होने से रोकने के लिये ऐसी सभी स्थितियों में पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध किये जाते हैं ।

पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति

2959. **श्री बलराज मधोक** :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री अजय मुकर्जी ने खुले आम कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है तथा नगरों और गांवों में रहने वाले लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से खराब हो रही इस स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मुख्य मंत्री श्री अजय मुकर्जी द्वारा किया गया सत्याग्रह राज्य में विधि तथा व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के प्रति उनकी गहरी चिन्ता का संकेत देता है ।

(ख) प्रधान मंत्री ने इस मामले पर मुख्य मंत्री से विचार-विमर्श किया है । घटनाओं की प्रगति पर नजर रखी जा रही है ।

दिल्ली में आटो-रिक्शा (स्कूटर)

2960. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आटो-रिक्शाओं (स्कूटरों) की संख्या लोगों की परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो आटो-रिक्शा (स्कूटर) चालकों को और लाइसेंस देने में क्या कठिनाई है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन में सेवा-नियम

2963. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब के पुनर्गठन के फलस्वरूप उसे प्राप्त हुये कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में परिवर्तन किया है जिसके सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति उप-राज्यपाल को दी गई है ;

(ख) क्या उप-राज्यपाल द्वारा जारी किये गये तथा आवंटित कर्मचारियों पर थोपे गये सेवा नियमों और तदनुरूपी पंजाब नियमों की एक सूची सरकार सभा-पटल पर रखेगी ;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत आवंटित कर्मचारियों की सेवा शर्तों को उनके हितों के विरुद्ध बदलने की अनुमति प्राप्त की थी ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी अनुमति देते समय आवंटित कर्मचारियों के पुनरीक्षित नियमों की तुलनात्मक गुणों और पंजाब नियमों का जो उन पर पहले लागू होते थे और जिन्हें उनके मामले में रद्द किया गया है और उस कठिनाई का जो उन्हें पुनरीक्षित नियमों के अन्तर्गत उठानी पड़ रही हैं तुलना की है और अनुमान लगाया था ; और

(ङ) आवंटित कर्मचारियों की कौन-कौन सी सेवा शर्तें बदली गई हैं और कौन-कौन सी वही हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उप राज्यपाल हिमाचल प्रदेश ने, अपनी नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया है जो पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश को आवंटित किये गये थे। किन्तु भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश आवंटित सरकारी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम 1968 आवंटित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली सेवा शर्तों को नियमित करने के लिये बनाया है। नियमों की एक प्रतिलिपि संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2264/69]**

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

असम, नेफा आदि की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक

2964. **श्री बेदव्रत बरुआ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष असम, नेफा, त्रिपुरा, मणिपुर तथा उत्तर बंगाल की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की क्या संख्या है ;

(ख) इसी वष भारत में कुल कितने विदेशी पर्यटक आये ;

(ग) क्या पूर्वी प्रदेश की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की इतनी कम संख्या गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा इन क्षेत्रों में लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण है ; और

(घ) क्या यह कार्यवाही उन क्षेत्रों के प्रति भेद भाव का प्रतीक नहीं है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस विभाग द्वारा इस देश में अलग अलग राज्यों अथवा स्थानों को देखने के लिये आने वाले विदेशी अथवा देशी पर्यटकों के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) 1,88,820.

(ग) और (घ). सुरक्षा की दृष्टि से कुछ प्रतिबन्धों का लगाया जाना आवश्यक है, लेकिन फिर भी जहां कहीं गुंजाइश है उनमें संशोधन करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

Articles of Archaeological Interest discovered by a Professor of Sagar University

2965. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some articles of archaeological interest have been discovered in Madhya Pradesh by a Professor of Sagar University ;

(b) whether any primary assessment has been made regarding their age and importance ;

(c) whether the excavation work in this area has been entrusted to the Archaeological Survey of India ; and

(d) whether the Archaeological Survey of India has indicated its assessment regarding these articles ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) On the basis of the material obtained, the site could be assigned to the Mauryan Period.

(c) No, Sir. The Archaeological Survey of India does not intend to excavate the site.

(d) Yes, Sir. The sculptures found at the site gave an indication that Malhar might have been a centre of Brahmanical, Buddhist and Jaina religions from the 2nd century B. C. to the early medieval period.

Air Service in Southern Region of Madhya Pradesh

2966. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that air service has not been introduced in Madhya Pradesh particularly in its southern region so far ;

(b) if so, the difficulties involved therein ; and

(c) the time by which and the manner in which air service is proposed to be introduced in the southern region of Madhya Pradesh ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) to (c). Indian Airlines are operating air services to Bhopal, Indore, Gwalior and Khajuraho in Madhya Pradesh. There have been demands for air linking Raipur and Jabalpur. The Jabalpur airport is not suitable for operation by the type of aircraft available with Indian Airlines. The Corporation will consider air linking Raipur in 1971 when more HS-748 aircraft are acquired.

Uniformity in Pay Scales of Professors and Assistant Professors in Madhya Pradesh

2967. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Colleges in Madhya Pradesh which have implemented the recommendations made by the University Grants Commission to bring uniformity in the pay scales of Professors, Assistant Professors etc. in all the colleges ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to see that those Colleges which have not implemented these recommendations so far implement them now ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The State Government have informed of their decision to implement the scheme with effect from the 1st July, 1969. The detailed proposals of the State Government are still awaited.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा आसूचना ब्यूरो में प्रतिनियुक्त व्यक्ति

2969. **श्री शारदानन्द :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आसूचना ब्यूरो और केन्द्रीय जांच ब्यूरो में अन्य राज्यों से

प्रतिनियुक्ति पर आये हुए व्यक्तियों को यहीं पर नियमित रूप से नियुक्त करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या सम्बन्धित अधिकारियों और राज्य प्राधिकारियों की सम्मति ले ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने राज्यों ने सरकार की योजना के पक्ष में अपनी सम्मति दी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा आसूचना ब्यूरो के संगत भर्ती नियम में प्रतिनियुक्ति पर आये कुछ श्रेणियों के अधिकारियों को नियमित रूप से उनमें ही नियुक्ति करने के उपबन्ध पहले ही मौजूद हैं।

(ख) नियमित रूप से नियुक्त किये जाने के समय उन अधिकारियों के वेतन निर्धारण की शर्तें संलग्न परिशिष्ट में दी गई हैं, जो कि सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2265/69]**

जहां तक पेंशन, छुट्टी तथा अन्य भत्तों का सम्बन्ध है, उन पर समय-समय पर बनाये गये वही नियम लागू होते हैं जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

(ग) और (घ). राज्य सरकारों के पास कोई योजना नहीं भेजी गई थी। जब किसी अधिकारी को नियमित रूप से नियुक्त करने का प्रस्ताव होता है तो उस समय सम्बन्धित अधिकारी तथा सम्बन्धित राज्य/मूल संगठन की सहमति ले ली जाती है।

मध्यावधि चुनावों के दौरान मन्त्रियों के दौरे

2970. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री मध्यावधि चुनावों के सम्बन्ध में मंत्रियों तथा उनके साथ गये अधिकारियों द्वारा किये गये दौरों के बारे में 18 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1171 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर सभी सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन केन्द्रीय मंत्रियों की संख्या, जो मध्यावधि चुनावों के सम्बन्ध में दौरे पर गये थे, 26 थी। अधिकारियों की संख्या, जो मन्त्रियों के साथ गये थे, तथा दौरों के सिलसिले में अधिकारियों को दैनिक भत्ते तथा यात्रा-भत्ते के रूप में दी गई रकम संलग्न विवरण में दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित सूचना जैसे ही प्राप्त होगी, सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2269/69]**

Grants to Universities by University Grants Commission

2971. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) the amount of grants given to the Universities by the University Grants Commission during the years 1967-68, 1968-69 and 1969-70, separately; and

(b) the University-wise and subject-wise number of boys and girls who received education during the above period?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) and (b). The available information is given in the attached statements. **[Placed in Library. See No. LT.-2266/69]**

Cases Pending before High Court

2972. **Shri Molahu Prashad:** Will the Misinter of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an Enquiry Committee, consisting of 4 members, has been set up by his Ministry for going into the possibility of speedy disposal of cases pending in the High Courts in the States; and

(b) if so, the term of office and terms of reference of the said Committee?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). A Committee of three Judges with the Chief Justice of India as Chairman has been constituted to go into the problem of arrears in the High Courts and to suggest remedial measures. The Committee is an informal one and no formal terms of reference have been laid down.

विश्वविद्यालयों के छात्रों को नौकरी देने के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय का उनकी किस्म तथा स्तर के अनुसार वर्गीकरण

2973. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि पंजाब तथा उत्तर प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के हजारों छात्र परीक्षाओं में 80 से 90 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करते हैं जब कि महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर तथा केरल राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले छात्र बड़ी मुशकिल से 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब तथा उत्तर प्रदेश स्थित विश्वविद्यालय अपने छात्रों को अधिक उदारता से अंक देते हैं ताकि उनके छात्रों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, जहां उम्मीदवारों का अंकों के आधार पर प्राथमिक रूप से चयन किया जाता है, नौकरियां मिल सकें ; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों के किस्म तथा स्तर के अनुसार वर्गीकरण न करने और सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने कर्मचारियों के चयन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन निदेशक न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). यह सच है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा तथा विभिन्न विषय में दिये जाने वाले अंकों में काफी विषमता है। इसके कई कारण हैं । जब कि विभिन्न विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण सम्भव नहीं है विश्वविद्यालयों को उनकी परीक्षा पद्धति में सुधार करने में सहायता देने के लिये विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक परीक्षा सुधार एकक स्थापित किया गया है ।

व्यवसायिक विमान चालकों के प्रशिक्षण के लिये एक स्कूल की स्थापना

2973. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यावसायिक विमान-चालकों को प्रशिक्षण देने के लिये एक केन्द्रीय उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल खोलने सम्बन्धी जी० सी० आर्य समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इस सिफारिश पर कि व्यावसायिक विमान चालकों को उच्च स्तर पर आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिये एक विभागीय प्रशिक्षणशाला खोली जाये, विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल (नेशनल फिटनेस कोर) के प्रशिक्षकों को नौकरियां देना

2975. **श्री एन० शिवप्पा** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल फिटनेस कोर के प्रशिक्षकों को सेवा में बनाये रखने का है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उनकी सेवाओं का उपयोग करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) नेशनल फिटनेस कोर के इन प्रशिक्षकों को नौकरियां देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). सरकार के राष्ट्रीय फिटनेस कोर की योजना को राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को विकेन्द्रीयकरण के निर्णय के परिणामस्वरूप, सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि राष्ट्रीय फिटनेस कोर के प्रशिक्षकों को राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों में समाहृत करने का प्रबन्ध किया जाय । जिन शर्त्तों के अधीन इन प्रशिक्षकों को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा लिया जायेगा, उन पर विचार-विमर्श हो रहा है ।

भारत और हंगरी के बीच वैज्ञानिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

2976. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और हंगरी के बीच नवम्बर, 1968 से नवम्बर, 1969 तक की अवधि के लिये एक वैज्ञानिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2267/69]**

ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिये इंजीनियरी संस्थानों में स्थानों (सीटों) का आरक्षण

2977. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिये इन्जीनियरी संस्थानों में स्थानों का आरक्षण करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिये, इन्जीनियरी संस्थानों में स्थानों के आरक्षण की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय स्थानों पर आन्तरिक पर्यटन में कमी

2978. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, मन्सूरी और श्रीनगर में सस्ते आवास, उचित मूल्यों पर कुली, एक सामान्य पर्यटक की क्षमतानुसार अच्छे भोजन तथा नगर के अन्दर परिवहन सेवा की सुविधाएं जुटाने के बारे में स्थानीय अधिकारियों के अकुशल शासन प्रबन्ध के कारण देश के अन्दर पर्यटन घटता जा रहा है;

(ख) क्या इन पर्वतीय स्थानों पर होटल वाले बहुत अधिक दरें लेते हैं तथा उनके द्वारा पर्यटकों को बेहद परेशान किया जाता है;

(ग) क्या स्थानीय नगरपालिकाएं वहां भोजन बेचने के लिये दुकानें उपलब्ध कराने में असफल रही हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार हस्तक्षेप करके इस सम्बन्ध में कुछ सहायता करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है, क्योंकि देशी पर्यटकों के बारे में आंकड़े भारत सरकार द्वारा नहीं रखे जाते । यह (देशी पर्यटकों के आंकड़े रखना) तो मुख्यतया संबंधित राज्यों की जिम्मेवारी है ।

अमेरीका में कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों की वापसी

2979. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अमेरीका में कितने भारतीय वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार उन लोगों को वापस बुलाने के उद्देश्य से देश में ही सेवा शर्तों को अधिक आकर्षक बनाने के लिये कोई उपाय कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कोई ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग). सरकार, विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को यथासम्भव सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न कर रही है ताकि देश में उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके ।

उठाये गये कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भ्रमणकारी फैलोशिप / भ्रमणकारी प्रोफेसरशिप्स के लिये एक योजना पर विचार कर रहा है ताकि जो प्रतिष्ठित भारतीय विद्वान/ वैज्ञानिक विदेश में कार्य कर रहे हैं, बस गये हैं, उन्हें आमंत्रित किया जा सके ।

(ii) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने विदेश में रहने वाले प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों से यह जानने के लिये पूछताछ की है कि वे किस प्रकार की सहायता और सुविधाएं चाहते हैं ।

(iii) भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के विदेश से लौटने को सुविधाजनक बनाने और उन्हें भारत में ठहरने और कार्य करने को प्रोत्साहित करने के लिये जो कदम उठाये गये हैं, उन्हें दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के भारत वापस लौटने में सुविधा प्रदान करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(एक) विदेशों से वापस आने वाले उच्च अर्हताप्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों की अस्थाई नियुक्ति की व्यवस्था करने के लिये वैज्ञानिक पूल की स्थापना ।

(दो) स्वीकृत वैज्ञानिक संस्थाओं में अनुपूरक पदों का निर्माण जिन पर विदेशों में काम कर रहे तथा अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों में से लोगों की शीघ्र नियुक्तियां की जा सक ।

(तीन) संघ लोक सेवा आयोग तथा अधिकतर राज्य लोक सेवा आयोग उन भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों को उनके द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिये उम्मीदवार मानने को सहमत हो गये हैं जिनके विवरण राष्ट्रीय रजिस्टर में 'पर्सनल कॉन्टेक्ट' के रूप में दर्ज हों । संघ लोक सेवा ने भारत में पदों के लिये भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों का विदेशों में इण्टरव्यू लेने की भी व्यवस्था की है ।

(चार) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों का नाम दर्ज करने तथा उनके नामों को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े-बड़े संस्थानों में परिचालित करने के लिये वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के विशेष अनुभाग का रख-रखाव । ऐसे कर्मचारियों के नाम मासिक टेक्निकल मैनपावर बुलेटिन (सी० एस० आई० आर०) में प्रकाशित किये जाते हैं जो सम्पूर्ण भारत में लगभग 3000 संगठनों में निःशुल्क वितरित किया जाता है ।

(पांच) उन वैज्ञानिकों के लिये यात्रा खर्च की व्यवस्था जो भारत में अनुसंधान संस्थाओं में नियुक्ति के लिये चुने जाने पर उन संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष तक काम करने का वचन देते हैं ।

भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोज तथा खुदाई कार्य

2980. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने पिछले दो वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर खोज तथा खुदाई का कार्य किया है;

(ख) क्या कुछ कार्य मैसूर राज्य में भी किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने पिछले दो वर्षों में जिन स्थानों पर खोज तथा खुदाई का कार्य किया उनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) वर्ष 1967-68 में, जिला धारवाड़ तथा कोलार जिलों में और वष 1968-69 में मैसूर के उत्तर तथा दक्षिण कनारा जिलों में खोज कार्य किये गये थे । इसके अलावा, 1968-69 में मैसूर जिले में बुधीतित्तू और बेलगांव जिले में हुनूर में छोटे-मोटे खुदाई कार्य किये गये थे ।

बुधीतित्तू में नेलीथिक काल के अवशेष पाये गये थे। हुनूर में बहुत बड़े पत्थरों के बने नये किस्म के मकबरे भी जिनमें गैलरी मार्ग हैं, खुदाई की गई थी।

उन क्षेत्रों की सूची जहां 1967-68 तथा 1968-69 में खुदाई कार्य किया गया

1967-68

(एक) आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में चित्तूर, महबूबनगर।

(दो) बिहार में गया, पटना, सारन जिलों में।

(तीन) गुजरात में—अहमदाबाद, भावनगर, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना, राजकोट, साबर कौथा, सुरेन्द्र नगर, बड़ौदा, भड़ौच तथा सूरत जिलों में।

(चार) हिमाचल में कांगड़ा और मंडी जिलों में।

(पांच) केरल में त्रिचूर जिले में।

(छः) मद्रास में चिंगलेपुर, धर्मपुरी जिलों में।

(सात) महाराष्ट्र में चांदा तथा धुलिया जिले में।

(आठ) मैसूर में धारवार तथा कोलार जिले में।

(नौ) हरयाणा में हिसार जिले में।

(दस) उत्तर प्रदेश में बस्ती, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और सहारनपुर जिलों में।

1968-69

(एक) उड़ीसा में साभलपुर और सोनीपत जिलों में।

(दो) हरयाणा में करनाल, हिसार और रोहतक जिलों में।

(तीन) काश्मीर में जम्मू।

(चार) उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नैनीताल, सहारनपुर जिलों में।

(पांच) मद्रास के आस-पास पूर्वी घाट क्षेत्र में पाषाण काल स्थल।

(छः) मैसूर में मैसूर, उत्तर तथा दक्षिण कनारा जिलों में।

(सात) केरल क्रेनगानोर, पालघाट जिलों में।

(आठ) महाराष्ट्र में कोलाबा, रतनागिरी, धुलिया, नागपुर, बांदा जिलों में।

(नौ) गुजरात में बुलसर जिले में।

(दस) बिहार में रांची जिले में।

(ग्यारह) आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में।

उन क्षेत्रों की सूची जहां 1967-68 और 1968-69 में खोज कार्य किया गया

1967-68

(1) जिला उत्तर आर्कोट (तामिल नाडु) में पैयामपल्ली ।

(2) गंगानगर जिले (राजस्थान) में कालीबागान ।

(3) श्रीनगर जिले (जम्मू तथा काश्मीर) में बुरजाहोम ।

1968-69

(1) गंगानगर जिले (राजस्थान) में कालीबागान ।

(2) श्रीनगर जिले (जम्मू तथा काश्मीर) में बुरजाहोम ।

(3) भण्डारा जिले (महाराष्ट्र) में पौनी ।

(4) बेलगांव जिले (मैसूर) में हुनुर ।

(5) मैसूर जिले में बुधितित्तू (मैसूर)

Fake Tickets for State Lotteries

2982. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a large number of fake tickets for the lotteries started by various State Governments are being sold in market and people are being cheated in this manner ; and

(b) if so. the action taken by Government to check the sale of fake tickets of lotteries ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). A statement based on the information received from the State Governments conducting State lotteries is laid on the Table of House. **[Placed in Library. See No LT.-2268/69].**

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के लिये विमानों का चयन करने सम्बन्धी मूल्यांकन समिति

2983. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने जेट विमानों की तीन किस्मों-डी० सी० 9, बोइंग-737 (अमरीकी) तथा टी० यू०-154 (रूसी) में से इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान चयन करने के प्रयोजनार्थ मूल्यांकन समिति का गठन करने हेतु विशेषज्ञों के मिलने में कठिनाई के कारण, इस मामले को संगणक (कम्प्यूटर) पर छोड़ने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय संगणक केन्द्र (इण्यिन कम्प्यूटर सेंटर) में आंकड़े तैयार करने की क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) संगणक ने इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन के लिये किस प्रकार के विमान का संकेत दिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी, नहीं । इंडियन एयरलाइन्स के लिये एक उपयुक्त विमान के चयन के बारे में सलाह देने के लिये एक तदर्थ समिति गठित की गई है । यह समिति इस विषय में अपनी सिफारिशें देने से पूर्व किस प्रकार का विमान खरीदा जाये और कितनी संख्या में खरीदा जाये विभिन्न प्रकार के विमानों के सम्बन्ध में किये जाने वाले दावों और उनके रिकार्ड किये गये कार्य-निष्पादनों पर विचार करेगी और प्राप्त सामग्री के विश्लेषण व निष्कर्ष (डेटा प्रोसेसिंग) के लिये वह संगणक (कम्प्यूटर) का प्रयोग कर सकती है । समिति की सिफारिशों के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

लेबनान की मध्यपूर्व एयरलाइंस द्वारा भारत को विमानों की उड़ाने रद्द किया जाना

2984. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के साथ किसी अनिर्णीत विवाद के विरोध में लेबनान की मध्य पूर्व एयर लाइंस ने हाल में भारत को अपने विमानों की उड़ाने रद्द कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कथित विवाद का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विवाद के शीघ्र निपटारे के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) मध्य पूर्व से भारत आने वाले पर्यटकों पर इन उड़ानों के रद्द होने का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मिडिल ईस्ट एयरलाइन्स ने बम्बई को सप्ताह में दो बार परिचालित की जाने वाली अपनी सेवाएं, नवम्बर, 1969 से बन्द कर दी हैं । लेबनीज प्राधिकारियों द्वारा भारत सरकार को इन सेवाओं के बन्द किये जाने के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ). इन उड़ानों के बन्द किये जाने के कारण मध्य पूर्व से भारत के लिये आने वाले पर्यटक यातायात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं की जाती है ।

भूतपूर्व रियासतों के विस्थापित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

2985. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व रियासतों में रेजिडेंसियों के कर्मचारी जो कि रेजिडेंसियों की आवश्यकता से फालतू घोषित किये गये थे, उनकी अगस्त, 1947 में भारत के स्वाधीन होने के बाद, भारत में अधिराज्य तथा रेजिडेंसियों के समाप्त हो जाने के कारण विस्थापित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त (क) भाग में वर्णित फालतू घोषित हुये तथा "विस्थापित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी" घोषित किये गये कर्मचारियों को उनके संवर्गों, वेतन मानों, वेतन वृद्धि पदोन्नति तथा अन्य लाभों के सम्बन्ध में, उन केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, सचिवालय तथा अन्य अधीन कार्यालयों-जहां वे पुनः नियुक्त किये गये थे, में पहले से कार्य कर रहे कर्मचारियों को समान पद दिया जाना था ;

(ग) क्या सरकार को उपरोक्त (क) भाग में वर्णित उन कर्मचारियों की ओर कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उनके साथ वरिष्ठता तथा पदोन्नति के मामले में (ख) भाग में वर्णित कर्मचारियों के जैसा व्यवहार नहीं किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकारी कर्मचारियों का, जो भूतपूर्व रियासतों की विभिन्न रेजिडेंसियों और राजनैतिक विभाग के क्षेत्रीय संगठनों में नियुक्त थे और उनकी सेवाएं अधिराज्य समाप्त होने पर रेजिडेंसियों और संगठनों के समाप्त होने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जानी थीं, भारत सरकार के अधीन नामपदों में नामांकन के लिये गृह मंत्रालय के अन्तर्गत स्थापित किये गये स्थानांतरण ब्यूरों में नाम दर्ज कराने की सुविधायें दी गई थीं। अन्य स्थायी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के मामलों की तरह मंत्रालयों/विभागों / कार्यालयों में भी अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया जिनमें उन व्यक्तियों को उनके ग्रहणाधिकार के समायोजन के लिये खपाया गया था। भारत सरकार की सेवाओं में नियमित समावेशन पर वे सेवा की शर्तों से सम्बन्धित सभी नियमों और विनियमों और ऐसे आदेशों/अनुदेशों, जो इस श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जारी किये गये थे, के अधीन आते हैं जैसा कि अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू है।

(ग) गृह मंत्रालय को अभी हाल में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नेफा, मनीपुर तथा त्रिपुरा के लिये स्वायतशासी जिले

2986. **श्री नम्बियार :** **श्री भगवान दास :**
श्री प० गोपालन : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि नेफा के पहाड़ी क्षेत्रों में स्वायत्तशासी जिलों तथा क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी प्रस्तावित प्रबन्ध मणिपुर तथा त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये भी किये जाने चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को मणिपुर तथा त्रिपुरा में लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों का सीमांकन करने तथा उन्हें आदिवासी लोगों के लिये सुरक्षित रखने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें अभी भारत सरकार के विचाराधीन हैं और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

त्रिपुरा में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच

2987. **श्री गणेश घोष :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री राममूर्ति : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान, त्रिपुरा में भ्रष्टाचार सम्बन्धी कितने मामलों की जांच की गई ;

(ख) कितने मामलों में भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ तथा दण्ड दिया गया ;

(ग) क्या इन मामलों में त्रिपुरा सरकार के कोई राजपत्रित अधिकारी भी दोषी पाये गये ; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). अनुमानत: केन्द्रीय जांच ब्यूरो का उल्लेख किया जा रहा है । सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

विश्वविद्यालय की कार्य-प्रणाली में सुधार करने हेतु प्रस्ताव

2988. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
श्री न० रा० देवघरे :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने विश्व विद्यालयों की कार्य-प्रणाली में सुधार करने हेतु कुछ विशिष्ट प्रस्ताव पेश किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). अप्रैल, 1969 में हुए उप-कुलपतियों के सम्मेलन में शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण में देश में उच्चतर शिक्षा के सुधार के लिये कुछ सुझाव दिये थे । इन सुझावों पर सम्मेलन में विचार किया गया और उसकी सिफारिशें सम्मेलन के प्रतिवेदन में हैं जिसकी प्रतियां संसद ग्रंथालय में रखी गई हैं । इस प्रतिवेदन को, उसमें दिये गये सुझावों तथा सिफारिशों पर विचार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित किया गया है ।

गुजरात में लोथल में संग्रहालय की स्थापना

2989. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में लोथल में एक संग्रहालय की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) इमारत बन रही है ।

(ख) 1971 तक ।

लद्दाख की यात्रा करने वाला संसदीय प्रतिनिधि-मंडल

2990. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत अक्तूबर मास में उनके मंत्रालय द्वारा आयोजित लद्दाख यात्रा में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि-मंडल की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि बौद्ध लोग स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) प्रतिनिधि मंडल ने क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) लद्दाख के लिये दस संसद सदस्यों के दल के दौरे को जो कि उस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति और विकास की आवश्वकताओं का घटनास्थल पर अध्ययन करने के लिये 3 से 6 अक्टूबर, 1969 के लिये नियत किया गया था, स्थगित करना पड़ा क्योंकि अधिकांश सदस्यों से जिन्हें निमंत्रित किया गया था स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी ।

(ख) जी नहीं श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं, उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मणिपुर सरकार के कर्मचारियों का स्थायीकरण

2991. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री मणिपुर सरकार के कर्मचारियों के स्थायीकरण से सम्बन्धित 25 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 985 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 406 कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थाई तथा 10 कर्मचारियों को स्थाई घोषित कर दिया गया है ;

(ख) कार्य-भारित (वर्क चार्ज्ड) कर्मचारियों को स्थायी और अर्द्ध-स्थायी घोषित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनों को स्थाई तथा कितनों को अर्द्ध-स्थाई घोषित कर दिया गया है ; और

(घ) यदि उपरोक्त (ख) भाग का उत्तर नकारात्मक है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस कार्य में कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा 61 कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थाई तथा 7 को स्थाई घोषित किया गया है और शेष कर्मचारियों के मामलों में उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) से (घ). कार्य-भारित कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों की जांच करने के लिये एक तदर्थ समिति का मनीपुर सरकार द्वारा गठन किया गया है और उसका कार्य समाप्त हो जाने पर मनीपुर सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । मनीपुर सरकार का कहना है कि इसमें कुछ समय लग सकता है ।

इम्फाल में विश्वविद्यालय केन्द्र

2992. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री इम्फाल में विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में 25 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 986 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणीपुर प्रशासन ने मणीपुर डी० एम० कालेज में स्नातकोपरि कक्षायें आरम्भ करने सम्बन्धी समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो स्नातकोपरि कक्षायें आरम्भ करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो मणीपुर प्रशासन की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगस्त, 1969 में हुई अपनी बैठक में अपने पूर्व निर्णय पर पुन: विचार किया । सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करने के बाद, ऐसा महसूस किया गया कि डी० एम० कालिज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने के बजाय उसे एक विश्वविद्यालय केन्द्र बनाने में फ़ायदा है । इस केन्द्र की स्थापना करने में, कार्यक्रम को सावधानी से चरणों में तैयार करना होगा और पाठ्यक्रम वहां उपलब्ध सुविधाओं तथा आवश्यकता के आधार पर आयोजित करने पड़ेंगे ।

आयोग के विचारों को दृष्टि में रखते हुए, गौहाटी विश्वविद्यालय के उपकुलपति से आयोग द्वारा इस मामले पर विचार करने और आवश्यकता पड़ने पर, मणिपुर प्रशासन के साथ

उस पर विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया गया था। इस विषय पर आयोग को उसके बाद गौहाटी विश्वविद्यालय अथवा मणिपुर प्रशासन से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

कानपुर, बनारस और पटना होते हुए दिल्ली-कलकत्ता उड़ान

2993. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर, बनारस और पटना होते हुए दिल्ली-कलकत्ता उड़ान धीरे-धीरे कम करके सप्ताह में केवल 4 दिन कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि इससे कानपुर के निवासियों में असंतोष बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या शेष दिनों में भी इस उड़ान को चालू करने के लिये इस बीच आदेश दिये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). 11 नवम्बर, 1968 से 14 अप्रैल, 1969 तक की अवधि के दौरान आई० सी०-411/412 सेवा फ्रेंडशिप प्रकार के विमान द्वारा सप्ताह में तीन दिन दिल्ली-कानपुर-इलाहाबाद-बनारस-रांची-कलकत्ता मार्ग पर और वापिस, और सप्ताह के शेष चार दिन दिल्ली-कानपुर-बनारस-पटना-रांची-कलकत्ता मार्ग पर और वापिस परिचालित की जाती रही। 15-4-1969 से आई० सी०-411/412 सेवा दिल्ली-कानपुर-बनारस-पटना-रांची-कलकत्ता और वापस, सप्ताह में चार दिन, तथा दिल्ली-लखनऊ-इलाहाबाद-पटना-रांची-कलकत्ता और वापस, सप्ताह के शेष तीन दिन परिचालित की जाती रही। नवम्बर, 1969 से वर्तमान शीत कालीन समय-सारिणी लागू हो जाने से, आई० सी०-411/412 सेवा का सप्ताह में चार बार कानपुर होते हुये और सप्ताह में तीन बार लखनऊ होते हुये परिचालन जारी है। कानपुर-पटना-कानपुर और कानपुर-रांची-कानपुर खण्डों पर यातायात अत्यल्प है। अतः इस यातायात द्वारा अतिरिक्त आवृतियों के लिये कोई गुंजाइश साबित नहीं होती।

पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा राजकीय बसों के लिए फालतू पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की मांग

2994. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने 200 राजकीय बसों के लिये, जो बेकार पड़ी है, फालतू पुर्जों का आयात करने हेतु विदेशी मुद्रा की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है और कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। मोटर के फालतू पुर्जों के आयात के लिये कलकत्ता स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को 10,34,720 रुपये लागत बीमा-भाड़ा सहित मूल्य का एक आयात लाइसेन्स जारी किया गया है।

पुनः मान्यताप्राप्त संघों का संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में भाग लेना

2995. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन संघों और फेडरेशनों को, जिनकी 19 सितम्बर, 1968 को हुई हड़ताल में भाग लेने के कारण मान्यता समाप्त हो गई थी और जिन्हें पुनः मान्यता प्रदान कर दी गई थी, संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) फेडरेशनों/संघों/एसोसियेशनों को, जिनकी मान्यता 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण समाप्त कर दी गई थी और जो मान्यता समाप्ति के पहले संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में भाग ले रहे थे, उनको मान्यता देने के पश्चात् संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में उपयुक्त स्तर पर भाग लेने के लिये अनुमति प्रदान की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट द्वारा तलकर्षक मशीन की खरीद

2997. **श्री अदिचन** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट ने कलकत्ता के पत्तन आयुक्त से एक तलकर्षक मशीन खरीदी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसे किस कार्य के लिये खरीदा गया था ;

(ग) क्या वह जिस कार्य के लिये खरीदी गयी थी, उसे अच्छी तरह कर सकने की हालत में है ;

(घ) उसे विशाखापत्तनम लाये जाने के बाद आज तक कुल कितने दिन प्रयोग में लाया गया है ; और

(ङ) उपरोक्त अवधि में तबा से कुल कितनी मिट्टी बाहर निकाली गई ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बलुवा फंदा और प्रवेश जल मार्ग में निकर्षण और उत्तरी बीच में रेत को दुबारा भरने के कार्य को पूरा करने के लिए तल निकर्षक खरीदा गया।

(ग) जी, हां।

(घ) 10 जनवरी, 1969 से 15 नवम्बर, 1969 तक 45 दिन।

(ङ) 10 जनवरी, 1969 से 15 नवम्बर, 1969 तक की अवधि में कुल मात्रा जो निकर्षक की गई. वह 100.63 लाख घ० फु० थी, जैसे नीचे दिया गया है :

	(घ० फु० लाखों में)
(1) ड्रेजर "पान्सी"	15.41
(2) ड्रेजर "विजागापटम"	85.22

केरल में गैर-सरकारी कालेजों तथा स्कूलों को अनुदान

2998. **श्री अदिचन :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में केरल में विभिन्न गैर-सरकारी कालेजों, स्कूलों तथा अन्य गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को कुल कितनी धनराशि का अनुदान दिया ;

(ख) इसके लिये क्या मापदंड रखे गये ; और

(ग) वस्तुतः कितने अनुदान का सदुपयोग किया गया तथा इस अनुदान का सदुपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिये गये अनुदानों का ब्योरा इस प्रकार है :

	1966-67	1967-68	1968-69
(I) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (कालिजों के लिये)	रुपये 8,17,968	रुपये 6,74,478	रुपये 12,05,402
(II) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय द्वारा			
(एक) इंजीनियरिंग कालिजों/ पोलीटेक्निकों के लिये	17,73,575	17,59,408	22,86,130
(दो) उच्च/उच्चतर माध्यमिक और बेसिक ट्रेनिंग स्कूलों तथा भारतीय भाषा संस्थाओं के लिये	96,885	1,36,379	1,10,008
(III) एन० सी० ई० आर० टी०	46,283	41,273	44,400

(ख) स्वीकृत पद्धति के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत केरल में संस्थाओं को सहायता दी गई थी। सहायता का आधार भिन्न-भिन्न योजनाओं में अलग-अलग होता है। आमतौर पर सम्बन्धित संस्था की आवश्यकताओं तथा इस बात पर विचार किया जाता है कि वह विकास की किस स्थिति में है।

(ग) अनुदान का वस्तुतः कितना उपयोग किया गया इस सम्बन्ध में इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है। अनुदानों की दूसरी तथा बाद की किस्तें आमतौर पर कार्य की प्रगति तथा व्यय के आधार पर दी जाती हैं। परियोजना के पूरी हो जाने पर, संस्थाओं को चार्टर्ड एकाउन्टैंट/सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा इस आशय के उपयोग प्रमाणपत्र देने पड़ते हैं कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया गया है जिसके लिये वह दिया गया था और मंजूरी की शर्तों के अनुसार उसे खर्च किया गया है। भवन निर्माण कार्यक्रमों के लिये अनुदानों के मामलों में "कम्प्लीशन प्रमाणपत्र" भी प्राप्त किया जाता है।

कलकत्ता तथा अगरतला के बीच जनता विमान सेवा

2999. **श्री नम्बियार :** **श्री प० गोपालन :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा अगरतला के मध्य दिन में केवल एक बार चलने वाली जनता विमान सेवा में स्थान प्राप्त करने के लिये यात्रियों की बड़ी भीड़ रहती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जनता विमान सेवा इस मार्ग पर दिन में कम से कम दो बार चलाई जा सकती है ; और

(ग) क्या इसके विकल्प में, इस मार्ग पर चलने वाली सभी अन्य सेवाओं की भाड़ा-दरों में कमी करने के लिये समुचित राजसहायता दी जा सकती है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं, क्योंकि जनता सेवा डकोटाओं से परिचालित की जा रही है, जिनका कि क्रमशः समापन किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं। आसाम क्षेत्र में परिचालित सेवाओं के किराये देश के अन्य भागों में परिचालित सेवाओं के किरायों से पहले ही कम हैं।

त्रिपुरा में एक सड़क परिवहन निगम की स्थापना

3000. **श्री उमानाथ :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री प० गोपालन : **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :**
श्री भगवान दास :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में एक सड़क परिवहन निगम स्थापित करने के लिये कोई धनराशि दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि इस योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब हुआ है तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). विस्तृत योजना के बनाने तक त्रिपुरा में पब्लिक सेक्टर में सड़क परिवहन योजनाओं के चौथी योजना काल में 60 लाख रुपये का परिव्यय और 1969-70 में तदर्थ आधार पर 20 लाख रुपये का परिव्यय मान लिया गया था। तत्पश्चात् योजना आयोग ने 1969-70 का परिव्यय घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया।

त्रिपुरा में चौथी पंचवर्षीय योजना काल में सड़क परिवहन निगम के स्थापना के लिए एक विस्तृत योजना जिसमें 130 लाख रुपये का परिव्यय होगा हाल ही में त्रिपुरा सरकार से प्राप्त हो चुका है। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से योजना विचाराधीन है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गंगा के भूक्षरण से उत्पन्न स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की मांग

Shri S. M. Joshi (Poona) : I call the attention of the Minister of Irrigation and Power to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement in this respect :

'Demand of the residents of Mokamah, Barhaya and Mansi areas of Bihar for appointment of an expert Engineering Committee to study the situation arising out of the erosion of the Ganges.'

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : गंगा नदी के घुमाव-दार बहाव के कारण एक तरफ तो कटाव होता है जबकि दूसरी तरफ समय-समय पर रेत जमा होती जाती है। हाल ही के वर्षों में मोकामेह पुल की प्रति-प्रवाह और अनु-प्रवाह पहुंचों में कटाव कुछ अधिक देखने में आया है। नीचे की ओर के बाएं किनारे पर रहीमपुर और मानसी में भी कटाव होता रहा है। इस वर्ष गंगा की लगातार भारी बाढ़ों के कारण कटाव ने कुछ स्थानों पर गंभीर रूप धारण कर लिया है।

मोकामेह पुल की अनुप्रवाह दिशा में गंगा के दायें दिनारे पर बढ़ैया क्षत्र में 30 किलोमीटर की पहुंच में तटवर्ती खादिर क्षेत्र में स्थित जाटेपुर, किशनपुर, टियोलटोला, पठुआ, और शेरपुर समेत आठ गांवों पर प्रभाव पड़ा है। इस वर्ष लगभग 50 हैक्टेयर भूमि का कटाव हुआ है। कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिये राज्य के राजस्व विभाग में विशेष पदाधिकारी के अधीन एक विशेष कक्ष खोला गया है। राज्य सरकार ने कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में सहायता देने के लिये भूमि अधिग्रहण की सारी लागत वहन करने का निर्णय भी किया है।

मानसी में मुख्य रेलवे लाइन जो असम और नेशनल हाईवे नं० 31 को मिलाती है, 1962 से कटाव के खतरे में रही है। विशेष तकनीकी समिति के विस्तृत विचार विमर्श के परिणाम-स्वरूप मानसी में सुरक्षात्मक उपाय अपनाए गए हैं। इनमें 41 लाख रुपये की लागत पर 12 ठोकरों का निर्माण किया गया। तब से उनके अनुरक्षण पर 34 लाख रुपये की और राशि व्यय की गई है। जैसा कि ऊपर बताया गया है इस वर्ष कुछ ठोकरों ने भारी आघात का सामना किया है। 1969 की बाढ़ों में नेशनल हाईवे नं० 31 और रेलवे तथा उनके पीछे के क्षेत्र की रक्षा करने वाली ठोकरों ने रेलवे अधिकारियों के निरंतर ध्यान के कारण बिना किसी अधिक क्षति के बाढ़ों का मुकाबला किया परन्तु कुछ ठोकरों के बीच गंभीर रूप से अधिरदन हुआ। 15 सितम्बर, 1969 को स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात मैंने सुझाव दिया कि मानसी क्षेत्र की सुरक्षा के लिये तात्कालिक प्रतिकारात्मक उपायों का अनुसंधान किया जाए। इन्जीनियरों की एक विशेषज्ञ समिति ने 25-11-69 को स्थल का निरीक्षण किया और उन अतिरिक्त उपायों के बारे में विचार-विमर्श किया जो नेशनल हाईवे और रेलवे लाइन को खतरे में डालने वाली नदी की गति-विधि को रोकने के लिये अपनाए जाने थे। मानसी नदी के वर्तमान मार्ग को बनाए रखने के लिये जो अतिरिक्त उपाय अपनाए जाने हैं, उनके बारे में शीघ्र ही विचार-विमर्श किया जाएगा।

मानसी से पांच मील प्रतिप्रवाह दिशा में रहीमपुर के निकट भी गंभीर कटाव देखा गया है जिसकी चौड़ाई 3 से 15 मीटर तक है और लंबाई 350 मीटर है। रहीमपुर गांव का कुछ भाग और सहवर्ती क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।

गंगा नदी आयोग के इन्जीनियरों की विशेषज्ञ समिति से मोकामेह, बढ़ैया, और रहीमपुर क्षेत्रों की कटाव समस्यायों का निरीक्षण, अध्ययन करने और उनके बारे में रिपोर्ट देने के लिये कहा जा रहा है।

Shri S. M. Joshi : It has been stated in the statement by the Minister that erosion in the upstream and downstream reaches of Mokameh bridge has become more pronounced in the recent years and the main railway line connecting Assam and National Highway No. 31 at Mansi has been under threat and danger of erosion from 1962. According to the villagers of this area, the situation has arisen on account of the construction of this Mokameh bridge. With a view to bring down the cost of construction of this bridge, the required number of spange were not constructed which is resulted into the increase in speed of current of the river. The villagers have also complained that the Railway Department has enhanced one rupee on cach ticket for crossing the bridge. Instead of taking much time in examining the situation, the Government should rehabilitate the villagers. I would like to know the details of the members and terms of reference of the Committee and the time by which this Committee would make on-the-spot study and give its recommendations.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : यद्यपि यह सच है कि मोकामा पुल का कुछ दुष्प्रभाव पड़ा है लेकिन यह दुष्प्रभाव 20 मील के लगभग इलाके में पड़ता है। वास्तव में मानसी में भूमि के कटाव का मुख्य कारण नदी की अस्थिरता है। इस नदी की धारा अपना रास्ता समय-समय पर बदलती रही है।

मानसी बड़ा ही मुश्किल क्षेत्र है । यहां बागमती-कोसी और गंगा के बीच भूमि का फैलाव बहुत कम है और हम यह नहीं चाहते कि गंगा बागमती में मिले । इसके लिए हम विशेष कदम उठा रहे हैं । समिति में उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य इन्जीनियर, बाढ़ नियंत्रण मुख्य इंजीनियर और पूना अनुसंधान केन्द्र के निदेशक तथा कई अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं । ये विशेषज्ञ वहां जाकर देखेंगे कि क्या अन्य उल्लिखित क्षेत्रों को बचाना सम्भव है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापटनम) : मैं यह जानना चाहता हूं कि मोकामा पुल का निर्माण कब किया गया और उसका निर्माण आरम्भ करने से पहले इंजीनियरों को इस नदी की अस्थिर गति के बारे जानकारी थी । क्या बाढ़ नियंत्रण विभाग और रेलवे विभाग में पुल के निर्माण के बारे में कोई समन्वय स्थापित किया जायेगा विशेष रूप से ऐसे मामलों में जबकि उन्हें यह जानकारी हो कि नदी अपना रास्ता आये दिन बदल देती है ।

डा० कु० ल० राव : यह पुल 1956 में बनाया गया था । मैं पहले ही बता चुका हूं कि नदी पर चाहे पुल या बांध बनाया जाये उसका प्रभाव नदी की धारा पर अवश्य पड़ता है । पुल निर्माण के समय दोनों विभागों में समन्वय रखा गया था । भूमि के कटाव से लोगों को जो कठिनाई हुई है उसके लिए रेलवे विभाग पूरी तरह जिम्मेवार नहीं है । पुल निर्माण के समय सभी सम्बन्धित लोगों से पुल की दिशा तथा आकार के बारे में परामर्श लिया गया था । भूमि का कटाव केवल मोकामा पुल के पास ही नहीं है वरन् उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक गंगा के किनारे सभी जगह भूमि का कटाव है ।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : Mr. Speaker. Two Ministries, Ministry of Railway and Ministry of Irrigation and Power are concerned with this question but only the Minister of Irrigation and Power is answering the supplementaries. It will be better if the Prime Minister gives the answer.

The Ganga-Brahmaputra Technical Committee has been visiting this area since 1962 but it has not delivered the goods. Erosion is taking place in the area from Rahimpur to Mansi. The Chairman of the Committee visited Mansi and gave a statement before thousands of people assembled there that the Railway station would not be shifted and erosion would be checked. But now the Railway Station is being shifted to Khagaria. I would therefore request the Hon. Minister to give an assurance to this effect.

डा० कु० ल० राव : अधिकारियों को वक्तव्य देने का हक नहीं है। उन्हें केवल रिपोर्ट देनी होती है । रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। तो भी मैं आश्वासन देता हूं कि हम मानसी में और अधिक भूमि कटाव नहीं होने देंगे ।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़ से गुप्त सैनिक डिजाइनों का गुम होने के बारे में

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैं चंडीगढ़ स्थित केन्द्रीय वैज्ञानिक औजार संगठन के बारे में जानना चाहता हूं । वहां की स्थिति बहुत गंम्भीर है । मुझे टेलीफोन पर इस बारे में रिपोर्ट मिली है । 'स्टेट्समैन' समाचार पत्र में भी उल्लेख है । प्रतिरक्षा सम्बन्धी गुप्त कागजात

गुम हो गये हैं। इस राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं आपसे चैम्बर में मिला था और सभा में यह मामला उठाने की आपसे अनुमति मांगी थी। परन्तु आप इतने अविलम्बनीय मामले पर भी सोमवार तक प्रतीक्षा करने को कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैंने ध्यान आकर्षण सूचना इकट्ठी कर ली है। लेकिन मंत्री महोदय उस पर सोमवार से पहले वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हैं।

आसाम में दूसरे तेल शोधक कारखाने के बारे में
RE: SECOND REFINERY IN ASSAM

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आसाम की जनता राज्य में एक दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की मांग कर रही है। मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : यह आज की कार्य-सूची में नहीं रखा गया है। अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, You had said yesterday that you would give your direction in regard to the question of breach of privilege, given notice of by me and Dr. Ram Subhag Singh. Shri S. N. Dwivedi had stated that the budget and the taxation proposal were discussed by the officials and a noting was also recorded on the file. But the Prime Minister had stated that she would show the file to you. This House should not be kept in dark in this matter and all the facts in this respect should be brought before this House. The matter should be referred to the Committee on Privileges.

Mr. Speaker : Shri Bakshi has written to me that he went to Shri Krishnmachari to greet on his birthday and discussed no other matter. I have also seen the papers regarding Shri Govindan Nayar. These papers do not have any signatures and contain measures regarding unemployment, old age pension fund etc. and there is nothing about new taxation and budget. [**Interruptions**]

मैंने डा० राम सुभग सिंह द्वारा दी गई टिप्पणी को गौर से देखा है। प्रश्न निर्देश और अनुमोदन का है। अधिकारियों ने आकर पूछा था कि क्या हम उनके पास जा सकते हैं। प्रधान मंत्री ने कहा कि जा सकते हैं परन्तु इसे निर्देश न माना जाय। इसे आप अनुमोदन समझें या अनुमति। अतः मेरे विचार से यह मामला विशेषाधिकार भंग का बिल्कुल नहीं है।

यदि आप कोई रूलिंग चाहते हैं तो मैंने अपनी रूलिंग पहले से ही दे दी है। मेरे विचार में और कुछ नहीं करना है।

श्री अब्दुल गनी दार (गुडगांव) : मैं आपकी रूलिंग का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल यह प्रश्न उठा रहा हूं कि राज्य मंत्री ने यह कहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, समाज कल्याण और निर्माण तथा आवास सम्बन्धी विषयों पर उनसे चर्चा हो चुकी है। यहां पर कुछ

माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि इन विभागों के सचिव वहां नहीं गये थे और केवल वित्त मंत्रालय के ही सचिव वहां गये थे। प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में यह बात स्पष्ट नहीं की कि केवल वित्त मंत्रालय के ही सचिव वहाँ क्यों गये थे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Speaker, Sir, I have to say that Shri Dwivedy stated on that day that there was a note from Shri Bakshi and he will prove that. Have you asked Shri Dwivedy about the proof, he had got in his possession ? I, therefore, request you to please call Shri Dwivedy and enquire him ahout it.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यदि यह प्रश्न पुनः प्रस्तुत होता है और आप उस पर वाद-विवाद करने की अनुमति दें तो मेरा अब भी यही मत है जो मैंने पहले व्यक्त किया था। परन्तु अब आपने यह निश्चय किया है कि यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंपा जायेगा। आपने श्री बक्शी के बारे कुछ कहा था। आपके भाषण के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एक बयान दिया है कि "मैंने कोई नोट रिकार्ड नहीं किया है"। केवल इसी आधार पर आप अपना निर्णय दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मेरे ध्यान में कोई और बात लाई जाती है तो मैं अपनी रूलिंग पर फिर से विचार करने के लिये तैयार हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : तब हम इस पर चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जो सामग्री मेरे सामने रखी गई, जो विवरण और पत्र मुझे श्री गोविन्दन नायर से मिले हैं, और जो पत्र प्रधान मंत्री ने मुझे भेजे हैं, उन पर मैंने पूरी तरह विचार किया है और मैं यह कह सकता हूं कि बजट प्रस्तावों सम्बन्धी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो विशेषाधिकार का विषय बन सकती हो।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

इंडियन स्कूल आफ माइन्स का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद, के 1 जुलाई 1967 से 31 मार्च, 1968 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2237/69]**

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। यह प्रतिवेदन मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष का है। यह प्रतिवेदन सभा में 20 महीने बाद रखा गया है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि इस प्रकार की देरी फिर न हो।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : आम तौर पर प्रथा यह है कि हम ऐसा प्रश्न उस समय उठाते हैं जब सभा-पटल पर कोई पत्र रखा जा रहा हो और यह पीठाध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह उन्हें देरी से पत्र न रखने के लिये निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की कोई देरी न हो।

विमान (पांचवा संशोधन) नियम

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14-क के अन्तर्गत विमान (पांचवां संशोधन) नियम, 1969, जो दिनांक 11 अक्तूबर 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2379 में प्रकाशित हुये थे की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2238/69]**

नौवहन विकास निधि समिति का प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958, की धारा 16 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत नौवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1967-68 के प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उनपर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2239/69]**

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 9 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1884 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का सातवां संशोधन, जो दिनांक 9 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1885 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) आठवां संशोधन विनियम, 1969 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2614 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का पन्द्रहवां संशोधन, जो दिनांक 15 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2615 में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (एक) और (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का विवरण।

ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-32240/69]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान् जी, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :

(एक) कि लोक सभा द्वारा 18 नवम्बर, 1969 को पास किये गये तेल क्षेत्र (विनियम तथा विकास) संशोधन विधेयक, 1969 से राज्य-सभा अपनी 2 दिसम्बर, 1969 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(दो) कि लोक सभा द्वारा 18 नवम्बर, 1969 को पास किये गये खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी विधेयक, 1969 से राज्य सभा अपनी 3 दिसम्बर, 1969 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति
PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : श्रीमान् जी, मैं चालू सत्र के दौरान दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1969 भी सभा पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : श्रीमान् जी, आपकी अनुमति से मैं 8 दिसम्बर, 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये निम्नलिखित सरकारी कार्यों की घोषणा करता हूं :

(1) देश में साम्प्रदायिक स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा पेश किये प्रस्ताव पर आगे चर्चा।

(2) पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 1969 पर आगे विचार तथा पारित किया जाना।

(3) सोमवार, 8 दिसम्बर, 1969 को 3 बजे म० प० पर संविधान (तेइसवां संशोधन) विधेयक, 1969 पर विचार तथा पारित करना।

(4) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा विधेयक, 1969 पर विचार तथा पास करना ।

(5) वर्ष 1969-70 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मिलों में चीनी का स्टाक हो जाने के कारण गन्ना उत्पादकों की दयनीय दशा पर विचार करने के लिये एक घन्टे की चर्चा होनी चाहिये । पिछले वर्ष के उत्पादन का अधिकांश भाग मिलों के पास पड़ा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप भाव 100 रुपये के स्थान पर 70 रुपये हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, I would like to know whether any time in the next week or so will be allotted for discussion on (i) the Report of the Defection Committee ; (ii) abolition of privy purses of the princes and (iii) Chhota Sadri Gold Case against Mr. Sukhadia, Chief Minister of Rajasthan.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I also support Shri Madhu Limaye and say that an enquiry may be instituted against Mr. Sukhadia.

Shri Sheo Narain (Basti) : I also support that an enquiry may be instituted against Mr. Sukhadia.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं यह चाहता हूं कि रक्षा मंत्री आर्डनैन्स कपड़ा कारखानों में 3500 कर्मचारियों का फालतू घोषित करने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें । वास्तव में इन कारखानों में कोई काम नहीं है क्योंकि अधिकांश काम गैर-सरकारी क्षेत्र को स्थानान्तरित कर दिया गया है । मैं यह प्रश्न कई दिनों से उठा रहा हूं और इस सम्बन्ध में मैंने एक पत्र भी लिखा है । मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता परन्तु रक्षा मंत्री, श्री मं० रं० कृष्ण, जो यहां पर विद्यमान हैं, इस बात पर विचार करें और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के छंटनी सम्बन्धी भय को दूर करने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

दूसरी बात यह कि 10 दिसम्बर, 1969 को जीवन बीमा निगम के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों की अखिल भारतीय हड़ताल हो रही है । मैं यह चाहूंगा कि प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें और उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर इस पर चर्चा करें और यह हड़ताल न होने दें ।

मैं श्री मधु लिमये की इस मांग का भी समर्थन करता हूं कि डिफेकशन्स समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा की जाये ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : गत शुक्रवार मैंने नेताजी की मृत्यु के सम्बन्ध में फिर से जांच करने के लिये एक प्रस्ताव स्वीकार कराने का प्रयास किया ।

दूसरी बात यह है कि आज के समाचार-पत्रों में महाराजा भानु प्रकाश सिंह, जो वर्तमान सरकार में एक उपमंत्री है, का एक वक्तव्य छपा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री समर गुह : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । क्या एक मंत्री वक्तव्य दे सकता है जब कि सभा विषय पर विचार कर रही हो ? गृह मंत्री ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि सरकार प्रीवीपर्सों के प्रश्न पर विचार कर रही है । क्या एक मंत्री इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दे सकता है ? क्या एक गलत कार्य नहीं है ? मैं यह चाहता हूं कि इस विषय पर विचार किया जाना चाहिये ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : महोदय, मैं चाहता हूं कि भूमि-सुधार सम्बन्धी विषय पर चर्चा की जाये । यह विषय कार्य सूची में शामिल किया गया था परन्तु, इसके लिये समय नहीं दिया गया । यह विषय सम्पूर्ण भारत से सम्बन्धित है । इसकी बुरी तरह से लापरवाही की गई है ।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग पर चर्चा की जाये क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है ।

प्रीवीपर्सों के उन्मूलन पर भी चर्चा की जानी चाहिये ।

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : Mr. Speaker, Sir, Scheduled Castes and Tribes Orders Amendment Bill as reported by a Joint Committee, has been presented in the Parliament. It is a very important Bill. About 50 lakh people in the country, who are not recognised as Adivasis, will be benefited because of removal of area restrictions. I would like that some time may be allotted during the week to get this Bill passed.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Speaker. Sir, you might remember that discussion on the supply of money and arms by foreign powers to Naxalites could not be completed and was postponed for the next week. I would like to know the time when this subject would be taken up for discussion.

Another thing I would like to know is about Preventive Detention Act. Whether Government want to retain it or scrap it.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Mr. Speaker, Sir, This session is going to end on 24th December. The Home Minister told in this very House that the privy purses and other privileges to princes will be abolished before 31st December. I would like to know from Shri Raghuramaiah the time by which this programme would be implemented.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Mr. Speaker, Sir, I would like immediate discussion on the Naxalite activities in the country and the report of Defection Committee. Another important issue is that of 10 lakhs of people living in unauthorised colonies of Delhi. Mostly Harijans are living in these colonies. Nothing is being done for providing minimum civic amenities to them. At least two-hour discussion is essential for this.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : महोदय, सोमवार, 8 दिसम्बर, 1969 को तेइसवां संविधान संशोशन विधेयक पर विचार किया जायेगा । इस सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यद्यपि कार्य मंत्रणा समिति में यह निश्चय हो चुका है फिर भी एक ऐसा पहलू है जिसकी ओर कार्य मंत्रणा समिति का ध्यान नहीं दिलाया गया है । श्री बसु मत्रेयी की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का संशोधन विधेयक, 1967 पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी संयुक्त समिति

के प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की सूची में से कुछ जातियां और जन-जातियां निकाल दी गई हैं । जब तक हम इन दोनों प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं करते तब तक हम तेइसवां संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा में कैसे भाग ले सकते हैं ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Speaker, Sir, Britain is going to abolish duty-free quota of export of Indian Textile goods and side-by-side she is going to levy 15% more duty on it as a result of which export of Indian textile will receive a great blow. Now a-days a British delegation has also come to India. I would like the Minister of Foreign Trade to make a statement to the fact whether India has lodged any protest and if so, its reaction and whether there would be any quota ?

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : I would like a discussion on nationalisation of sugar industry in the country.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Talks are being held regarding ceiling on urban property, land reform, etc. Everything must be discussed in the House.

Another thing I would like to mention particularly is, that what will be the share of peasants and labour in the money to be distributed in the villages after bank nationalisation. This issue msut also be discussed here.

Shri Sheo Narain (Basti) : I would like to have discussion on slum areas in the country, drought in Rajasthan and abolition of privy purses of the princes.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : Mr. Speaker, Sir, I had requested you to get the necessary information from the Minister of Parliamentary Affairs for a discussion on the report of Elaya Perumal Committee. I hope you might have got the information and if so, will you kindly make it known to me.

Mr. Speaker : I have not yet received the same ;

Shri Molahu Prasad : If not yet received, kindly get it from the Minister of Parliamentary Affairs.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : The report of a Parliamentary Committee on abolition of contractor system and casual labour in the country has been received. Please tell the time when it will be discussed.

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : हम आसाम में स्थित सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने के सम्बन्ध में एक घण्टे की चर्चा चाहते हैं जिसके लिये आप सहमत हो गये हैं ।

श्री मनोहरलाल सोंधी (नई दिल्ली) : हम दिल्ली परिवहन के सम्बन्ध में चर्चा चाहते हैं । हमें पता चला है कि कुछ विद्यार्थियों ने शाहदरा में कुछ बसों को जला दिया है । दिल्ली परिवहन समस्या के हल के प्रति केन्द्रीय सरकार का रुख जानने के लिये कुछ समय निर्धारित किया जाना चाहिये ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : हम सब इस बात के लिये इच्छुक हैं कि संविधान संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पास किया जाये । परन्तु साथ-साथ यह पता चला है कि सूची से कई एक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को छोड़ा जा रहा है । इसलिये ये दोनों प्रति-

वेदन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रतिवेदनों को परिपत्रित नहीं किया गया है। चांदा समिति और अनुसूचित जातियों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों को परिपत्रित किया जाना चाहिये और उन पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : आकाशवाणी को एक निगम बनाने की लगातार मांग की जा रही है। सभा में इस पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : अनुसूचित जातियों और जन-जातियों आर्डर (संशोधन) विधेयक 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति के अध्यक्ष को जनगणना के महारजिस्ट्रार ने लिखा है कि यह विधेयक वर्ष के अन्त तक अवश्य पास कर दिया जाना चाहिये। इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस विधेयक को प्राथमिकता दें।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : I want to say about Central Government employees. They went on strike last year. Break in their services is still there despite assurances from Home Ministry. Kindly allow discussion on it.

श्री रघुरामैया : कई एक अच्छे सुझाव दिये गये हैं। जहां तक श्री प्रकाशवीर शास्त्री के प्रस्ताव का सम्बन्ध है इस पर आधी चर्चा हुई है और हम निश्चय ही इस पर आगे चर्चा करेंगे। आचार्य रंगा के सुझाव के बारे में कार्य मंत्रणा समिति निर्णय लेगी। श्रीमती सुचेता कृपालानी ने एक सुझाव दिया है और मैं उस पर विचार करूंगा। केवल यहां ही नहीं बल्कि कार्य मंत्रणा समिति में भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिये सुझाव दिये गये हैं और कार्य मंत्रणा समिति यह निश्चय नहीं कर पाई है कि कितना समय उपलब्ध होगा। मैं सरकारी कार्य का मूल्यांकन करूंगा और कितना समय बच रहा है और क्या कार्य करना है उसके हिसाब से प्राथमिकता दी जायेगी। एक सदस्य ने मूंगफली की कीमतों का भी उल्लेख किया है। विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिये कार्य मंत्रणा समिति ने यह सिफारिश की है कि सभा 6.30 बजे म० प० तक बैठे।

श्री शिवनारायण : मैं इसका विरोध करता हूं। आप सभा की बैठक एक सप्ताह और बढ़ा सकते हैं। हम अधिक समय तक नहीं बैठ सकते।

श्री रघुरामैया : कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय सभा के विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने यह वचन दिया है कि वह समय निकालेंगे। उन्होंने यह वचन दिया कि यदि समय मिला तो सभी विषयों पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय परीक्षा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : LIMITED DEPARTMENTAL EXAMINATION FOR PROMOTION TO UPPER DIVISION GRADE IN CENTRAL SECRETARIAT

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : क्या मैं सभा-पटल पर एक विवरण रख सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आप रख सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : केन्द्रीय सचिवालय क्लेरिकल सेवा के अपर डिविजन ग्रेड में पदोन्नति के लिये सीमित विभागीय परीक्षा, जो संघ लोक सेवा आयोग 10 दिसम्बर, 1969 को शुरू करने जा रहा है, सम्बन्धी विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

विवरण

केन्द्रीय सचिवालय क्लेरीकल सेवा योजना मई, 1954 में स्वीकृत हुई थी। इसमें यह व्यवस्था है कि उच्च श्रेणी क्लर्कों के कुछ पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे। यह उपबन्ध तीन वर्ष बाद लागू हुआ। द्वितीय वेतन आयोग ने सिफारिश की कि उच्च श्रेणी लिपिकों के कुछ पद अनुपात से निम्न श्रेणी के लिपिकों से प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरे जाएं। यह सिफारिश मान ली गई। फिर यह फैसला किया गया कि उक्त ग्रेड में 50 प्रतिशत पद निम्न श्रेणी के लिपिकों से विभागीय प्रतियोगी परीक्षा से भरे जाएं और यह परीक्षा केवल निम्न श्रेणी के उन लिपिकों तक सीमित रहेगी जो 30 वर्ष की आयु के होंगे और जिन्होंने 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। बाद में यह आयु सीमा प्रथम दो परीक्षाओं के लिये बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई। कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन किये जाने पर दिसम्बर, 1966 में होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। इस विषय को विभागीय परिषद् को सौंपा गया और अन्ततः 26 और 27 अप्रैल, 1968 को इस सम्बन्ध में असहमति रिकार्ड की गई।

इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह फैसला किया गया कि उक्त परीक्षा दिसम्बर, 1969 में होनी ही चाहिये। इसके लिये 1200 प्रार्थना-पत्र आये और इस परीक्षा के आधार पर 75 पद भरे जाने की आशा है। यह फैसला कर्मचारियों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद और नियमों के अनुसार किया गया और अब परीक्षा के लिये सभी आवश्यक प्रबन्ध कर लिये गये हैं। अतः इस परीक्षा को स्थगित करने के लिये कोई औचित्य नहीं है।

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

भारतीय विज्ञान संस्था की परिषद्

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर, के विनियम 3.1 और 3.11 के साथ पठित संस्था की सम्पत्तियों तथा निधियों के प्रशासन और प्रबन्ध सम्बन्धी योजना के खण्ड 9 (1) के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में, यह सभा 1 जनवरी, 1970 से आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिये भारतीय विज्ञान संस्था बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये ऐसी रीति से जिसका अध्यक्ष निदेश दें, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर, के विनियम 3.1 और 3.11 के साथ पठित संस्था की सम्पत्तियों तथा निधियों के प्रशासन और प्रबन्ध सम्बन्धी योजना के खण्ड 9 (1) के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में, यह सभा 1 जनवरी, 1970 से आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिये भारतीय विज्ञान संस्था बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये ऐसी रीति से जिसका अध्यक्ष निदेश दें, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

41वां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 41वें प्रतिवेदन से, जो सभा में 4 दिसम्बर, 1969 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 41वें प्रतिवेदन से, जो सभा में 4 दिसम्बर, 1969 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के अनशन के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : FAST BY BIHAR UNIVERSITY PROFESSORS

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : कुछ सदस्यों ने बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा किये गये अनशन पर वक्तव्य देने के लिये कहा था। टेलीफोन पर पता चला है कि 3 दिसम्बर, 1969 को बिहार विश्वविद्यालय के लंगरसिंह कालेज, मुजफ्फरपुर के प्रोफेसरों ने मकान किराया भत्ते की मांग में अनशन किया। सम्बद्ध प्राधिकारियों ने उनसे बातचीत की और उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। उनको मकान किराया भत्ता दे दिया गया है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प०
तक के लिये स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past Fourteen of the Clock

[**श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए**
Shri M. B. Rana in the Chair]

देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : STATEMENT ON COMMUNAL SITUATION IN THE COUNTRY

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (कोजीकोट) : मैं यह स्पष्ट और निर्भीक शब्दों में कहना चाहता हूं कि देश के 6 करोड़ मुसलमानों को आजादी के बीस वर्षों के बाद भी शान्ति नहीं मिली है । वे अपनी जान और माल को हमेशा ही असुरक्षित समझते रहे हैं । गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि भारत में 1968 में 324 दंगे हुये । तो इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय कैसे खुश रह सकता है । आज देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो धर्म निर्पेक्ष और राष्ट्रीय एकता का गलत अर्थ लेते हैं । वे यह नहीं समझते कि भारत बहु-धर्मी, बहुभाषी, बहुजातीय देश है और हिन्दी, हिन्दू हिन्दुस्तान का नारा लगाते हैं । इस तरह से वे न केवल भेदभाव ही करते हैं अपितु अल्पसंख्यक समुदाय पर शासन करते हैं और बाकी धर्मों को समाप्त करना चाहते हैं ।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : क्या ये सभी 324 मामले साम्प्रदायिक दंगों के मामले थे ? या इसमें अन्य प्रकार के आंकड़े भी शामिल हैं ।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : वे गृह-कार्य मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार साम्प्रदायिक दंगे थे ।

मैं चाहता हूं कि मुसलमान भी इस देश में सम्मान से रहे । हम कोई रियायत नहीं चाहते हैं । हम समानधिकार चाहते हैं । किन्तु देश में इस समय जो स्थिति है वह भिन्न है । यदि मुसलमान कोई अपनी संस्था बनाना चाहते हैं तो उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, इसे साम्प्रदायिकता का करार दे दिया जाता है । मुसलमानों को पुलिस दल में भर्ती नहीं किया जाता क्या यह सच नहीं है कि इस प्रकार का एक प्राइवेट सरक्यूलर जारी किया गया है कि मुसलमानों को पुलिस में न लिया जाये । क्या यह....

Shri Kanwar Lal Gupta : Without any proof, he should not level such allegations. Such a statement is likely to aggravate the situation. The Honourable Member should better produce concrete proof or he should withdraw his statement. I would also like the Hon. Minister of Home Affairs to say whether such a circular was issued.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : यह बिल्कुल गलत है । इस प्रकार का कोई सरक्यूलर नहीं जारी किया गया ।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : हमें सबसे अधिक दुख इस बात का है कि हमारी वफादारी पर सन्देह किया जाता है । हमसे हमारी वफादारी का प्रमाण मांगा जाता है । इस प्रकार का प्रश्न करने का किसी को अधिकार नहीं है । लोग भारतीयकरण की बात करते हैं । यह भारतीयकरण क्या है?

अहमदाबाद के दंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतिहास में सबसे भयंकर रक्तपात की घटनाएं थीं। कानून और व्यवस्था भंग हो गई थी। हजारों निर्दोष लोग मारे गये और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गई। ऐसी घटनाएं सहसा नहीं होती हैं। जगन्नाथ मंदिर की घटना के बाद दूसरे ही दिन एक दर्जन से अधिक स्थानों पर साम्प्रदायिक घटनाएं भड़क उठीं और रक्तपात की घटनाएं हुई। सरकार का गुप्तचर विभाग इनको नहीं रोक सका; पुलिस भी अयोग्य सिद्ध हुई। लोगों ने पेट्रोल और छूरों का प्रयोग किया।

प्रत्येक घर इन घटनाओं का निशाना बना। इसलिए मैं यह कहता हूं कि सरकार का गुप्तचर विभाग इनको रोकने में असफल रहा। यदि ऐहितयाती कदम उठाये जाते तो ऐसी घटनाएं न हो सकतीं। ये दंगे तभी होते हैं जब पुलिस इन्हें रोकने में समर्थ नहीं होती। अतः इस मामले में पुलिस पूर्णतया अयोग्य सिद्ध हुई है। हम यही चाहते हैं कि अब गड़बड़ी करने वालों को सजा दी जानी चाहिये। जो लोग बेघर हो गए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिये। परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। जब बादशाह खां अहमदाबाद गये थे तो उन्हें बताया गया था कि सभी कैम्प बंद कर दिये गये और वहां कोई आदमी नहीं रहा है। परन्तु श्री दिनकर मेहता ने बताया है कि नगर में अभी भी कैम्प हैं। अहमदाबाद में अब भी लगभग 6,000 लोग बेघर हैं।

मुस्लिम लीग पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाया जाता है, जो सरासर गलत है। मैं यह घोषणा कर सकता हूं कि देश में जहां कहीं भी अर्थात् केरल, मद्रास या किसी अन्य प्रदेश में जहां मुस्लिम लीग की कुछ शक्ति है, वहां पर साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते हैं।

अंत में, दो सुझाव देना चाहता हूं कि अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाये और दूसरा, कानून और व्यवस्था बनाये रखी जाये और इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों पर होनी चाहिये प्रत्येक व्यक्ति से मेरी यह प्रार्थना है कि देश की एकता और अखंडता, प्रगति और खुशहाली के लिए देश में हर कीमत पर साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखा जाना चाहिये।

Shri Chandrajeet Yadav (Azamgarh) : Mr. Chairman, the communal situation prevailing in the country has become a matter of grave concern. And the Government of India, State Governments and the matured people of this country are worried on these communal riots. There were communal disturbances even before we became independent but they were never on such a large scale as are witnessed today. Therefore, it is high time to put down this demon of communalism before it assumes proportion as it would pose a danger to our national values. It is sad that such situation has arisen in our country. So I wish that Government must take effective steps in this connection. If it has not enough powers under the present laws, it should come forward in this Parliament with necessary legislation.

Sir, what the cold-blooded murders committed in Ahmedabad, cannot be expressed in words. It is also regrettable that a situation has emerged in our country wherein some anti-social elements and goonda elements has created mischief and the society and the people, at large, remain helpless spectators of these things. The result is this, whenever this situation arises, that the minority community has a feeling that their life and property is not secure. This is a grave danger and therefore, some concrete steps have to be taken to counter it.

Sir, There are some people in the country who look upon the basic problems of the country from a narrow point of view and build upon atmosphere which creates tension in the society and as a result of that, shameful incidents are happened. Mr. Joshi has expressed his views in an emotional way and has doubted the loyalty of every muslim living in this country which is not fair. Due to this type of narrow mindedness, once Dr. Ambedakar said sorrowfully that if such tendency would be prevalent in the society, they are bound to break their relation from this society. Mahatma Gandhi felt his feelings and launched a country-wide agitation against this evil. Today, the same tendency is being created in this country.

It cannot be denied that such people in this country who feel that the faithfulness of the muslims can be challenged until unless they give guarantee and undertaking that they are faithful to India. There are 6 crores people, who have faith in this religion. If such tendency is created deliberately against these people, it is a great treason. So it is necessary to curb this tendency. Those, who are found guilty, should be prosecuted. If a few people raise anti-national slogans we cannot give a bad name to the entire community. I refute the statement that Muslim are communal and communalism has arisen because of this. (**Interruptions**)....

Shri Balraj Madhok : (South Delhi) : How India was divided, you cannot forget this fact. (**Interruptions**). The Election in 1946 was fought on the basis of undivided India and partition. Shri Ashok Mehta has stated in his book, 'Political Mind of India' that 93% of the Muslims voted for Pakistan. Do you deny that ? (**Interruptions**)....It is not a public meeting, it is Lok Sabha, so it is requested to speak on the basis of facts (**Interruptions**).

Shri Chandrajeet Yadav : Sir, it is unfortunate that Mr. Joshi has tried to divert the position very tactfully. Even Mr. Balraj Madhok said in Ahmedabad, while making fun of Bank-nationalization, that Muslim should be nationalized. .....(**Interruptions**).....

श्री बलराज मधोक : मैं अब भी अपने वक्तव्य का समर्थन करता हूं ।

Shri Chandrajeet Yadav : I would like to say that the people, who are narrow-minded, should be put down by the political and administrative measures.

As far as, the question of communalism is concerned, the communalism is also prevalent in Hindus as well as in Muslims. So the communalism of majority and communalism of minority should not be treated at par. Our Constitution has provided equal rights to Muslims as well as to Hindus. We desire to run our administration, our national and social programmes on the basis of our circumstances and facts. But it is sad that there is a danger to these things.

I would like to give a suggestion that the Home Ministry should create a special intelligence cell to keep an eye on the communal forces working in the country and give prior information to the Government in case any trouble was expected anywhere and Government should take timely action to prevent the same. It is also necessary that wherever there are communal troubles they should be put down with a strong hand using the maximum force. But there should be a difference that this force should not be used in the case of political, students or any other agitation which has no connection with the communal riots otherwise no leniency should be accorded in case of communal troubles.

In spite of this, the system of education should also be changed with a view to make the students more broad-minded. They should be taught to respect all religions, only then our democratic secularism would have any meaning, I would like to congratulate the Home Minister that he has been kind enough to visit Ahmedabad during the trouble days by which the people of Ahmedabad has a feeling of satisfaction.

श्री जी० विश्वनाथन (वण्डीवाश) : सभापति महोदय, गुजरात में हुए साम्प्रदायिक दंगों पर 45 दिन के पश्चात् चर्चा करना कुछ नहीं अपितु एक सड़ी हुई लाश का पोस्टमार्टम करना है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस भूमि ने महात्मा गांधी जैसे शांति दूत को हमारे देश को और संसार को दिया वहां पर ये खूनी दंगे हुए हैं।

प्रो० बलराज मधोक ने यह सन्देह किया है कि इन दंगों के पीछे इन्दिरा गांधी समर्थक कांग्रेस जन, पाकिस्तानी एजेन्टों और कम्यूनिस्टों के षड्यंत्र का हाथ है। दूसरी ओर कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता श्री डांगे, श्री मोरारजी देसाई, सिंडीकेट कांग्रेस के समर्थकों, स्वतंत्र दल और जनसंघ को इन दंगों के लिए दोषी ठहराते हैं। एक महत्वपूर्ण आरोप, जोकि वास्तव में अत्यंत गम्भीर है, गुजरात सरकार के मंत्री ने लगाया है कि वहां पर हुए दंगों के पीछे दिल्ली के तीन बेनाम व्यक्तियों का हाथ है। उन तीन व्यक्तियों में से एक केन्द्रीय उपमंत्री श्री मुहम्मद यूनुस सलीम का नाम भी बताया जाता है, इसलिए इस सभा को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मिलना चाहिये। गृह मंत्री को सम्बन्धित मंत्री की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये और यदि अन्य दो दाढ़ी वाले व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी है तो वह भी सभा के सम्मुख प्रस्तुत की जानी चाहिये।

सभापति महोदय, गुजरात में हुए इन दंगों के कारण क्या हैं ? महोदय, हमारी समझ में यह नहीं आता कि केवल उत्तरी भारत में ही साम्प्रदायिक दंगे क्यों होते हैं। दक्षिण में दोनों समुदाय काफी शांति से रह रहे हैं। वहां कई पर्व हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई जातियों द्वारा एक साथ मनाये जाते हैं। सम्भवतः उत्तर भारत की कठिनाई यह है कि उत्तरी भारत के लोगों के मनोमस्तिष्क में अभी भी 1946-47 में हुए दंगों के भयंकर रक्तपात की याद ताजा है और विभाजन की दर्दनाक तस्वीर अभी भी उनके दिमाग से धूमिल नहीं हुई है। इक्के दुक्के पाकिस्तानी एजेंटों की बजाय यही मूल कारण हो सकता है। इसमें न तो जनसंघ को और कम्यूनिस्टों को दोष दिया जा सकता है।

मैं इन दंगों के लिए न तो केन्द्रीय सरकार को और न राज्य सरकार को दोषी ठहराता हूं। जहां तक दंगों को शांत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये उपायों का सम्बन्ध है, हम यह जानना चाहते हैं कि उपद्रवों और दंगों के अंधकारमय दिनों में कड़ा कानून प्रभावहीन क्यों हो जाता है ? यदि गुजरात सरकार पहले ही दिन 19 या 20 को कड़ी तथा गंभीर कार्यवाही करती तो बाद में हुई अधिकांश घटनाओं को रोका जा सकता था। परन्तु गुजरात सरकार इस दिशा में असफल रही है। यह केवल मेरा आरोप नहीं है, गुजरात के वरिष्ट नेता श्री मोरारजी देसाई ने भी इसे स्वीकार किया है।

सभा में बढ़-बढ़कर की गई बातों से यह समस्या नहीं सुलझेगी और न ही राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा पारित अनेक प्रस्तावों से ही इस समस्या का समाधान करने में सहायता मिलेगी। इसके लिए कड़ी और प्रभावकारी कार्यवाही की जानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि हमारी इतिहास शिक्षा की पद्धति की जांच की जानी चाहिये। माननीय महोदय को इस बात की भी जांच और विचार करना चाहिये कि हमें सांस्कृतिक कार्यों के लिए क्या कदम उठाने चाहिये ?

सभा में जो भी वाद-विवाद हुआ है उसमें साम्प्रदायिक स्वर झलकता दिखाई देता है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे अपनी चर्चा और विवाद में साम्प्रदायिक भावना न लायें। मैं यह बताना चाहूंगा कि गड़बड़ी फैलाने वालों और कतल करने वालों को कड़ी सजा दी जाये। यदि इन दंगों की जांच करने के लिए कोई आयोग नियुक्त किया जाये तो उसे शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन दे देना चाहिये, जिससे उनके अनुसार कार्यवाही की जा सके। लोगों को यह अनुभव हो सके कि जो लोग हत्या या लूट-पाट या आगजनी में शामिल होंगे उन्हें सजा दी जायेगी।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उकसाने वालों और एजटों, चाहे वे किसी भी दल या धर्म से सम्बन्ध रखते हों, उन्हें जनता के सामने लाया जाना चाहिये। यदि गृह मंत्री समझते हैं कि सेना तथा पुलिस और अन्य सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।

यह भी आवश्यक है कि बहुसंख्यक लोग और अधिक संयम दिखायें। हमें अन्य समुदाय के लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिये। हमें उन्हें सन्देह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये, ताकि वे लोग अपने को यहां पर सुरक्षित समझें।

इस देश में विभिन्न भाषाओं, धर्मों आदि में विभिन्नता है किन्तु इन विभिन्नताओं के बावजूद उनमें एकता है। परन्तु इस एकता में एकरूपता नहीं है। हम एकता के लिए हैं एकरूपता के लिए नहीं है। साम्प्रदायवादियों, चाहे वह मुस्लिम हों या हिन्दू हों, उन्हें सामने लाया जाये और उन्हें सजा दी जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अब तीन बज गये हैं और विवाद समाप्त होने में केवल 35 मिनट रह गये हैं। हम में से कुछ लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं।

सभापति : सभी दलों को समय दिया जायेगा।

श्री रा० द्धो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैंने लोगों के भाषण सुने हैं जिसमें हिन्दुओं और मुसलमानों को दृष्टि में रखकर साम्प्रदायिक दंगों का उल्लेख किया गया है। लेकिन बहुत कम लोगों द्वारा पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों पर ध्यान दिया गया है। समाचार पत्रों में ऐसी खबरें छपी हैं कि लगभग सभी राज्यों में समय-समय पर हरिजनों की हत्या की गई है, उनके बच्चों को कुओं में डाल दिया गया और मार डाला गया या उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया गया। जो बसुमतारी प्रतिवेदन पेश किया गया है, उसमें भी यह बताया गया है कि देश में छुआछूत विद्यमान है और इन लोगों पर अत्याचार किये जा रहे हैं। अतः उन पर किये गये अत्याचारों का भी उसी तरह कड़ाई से विरोध किया जाना चाहिये, जैसाकि हम अन्य अल्पसंख्यकों के लिये कहते हैं।

शिक्षा पद्धति में इस तरह आमूल परिवर्तन जाना होगा कि जिससे साम्प्रदायिकता और जातीय भावनाओं को दूर किया जा सके।

यह भी आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात पर जोर दें कि धर्मनिरपेक्षता ही हमारा मुख्य आधार है, जिससे साम्प्रदायिकता की भावना को पनपने से पूर्व ही समाप्त किया जा सके।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : महोदय, यह बड़े खेद का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद गान्धीजी के ही गुजरात में सबसे भयंकर साम्प्रदायिक जन-संहार उनकी जन्मशताब्दी से ठीक पहले हुआ। यह हर्ष का विषय है कि गृह मंत्री महोदय ने यह कहा है कि यदि इस तरह की घटनाओं को होने दिया गया, तो हमारा सभ्य समाज के रूप में जो अस्तित्व है, वह खतरे में पड़ जायेगा।

इस बात से कोई लाभ नहीं है कि सभी साम्प्रदायिक दंगों के लिये मुसलमानों को दोषी ठहराया जाय। तथ्य यह है कि हमारे साथी देशवासी प्रसन्न नहीं हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान ने कुछ जासूस इस देश में भेजे हों, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वे सभी मुसलमान ही हों। यदि पाकिस्तान अपने कार्य के लिये हमारे देश में जासूस नियुक्त करना चाहता है, तो वह जानबूझकर मुसलमानों की जगह गैर-मुसलमानों को ही नियुक्त करेगा।

यह कहा गया है कि एक कम्युनिस्ट अहमदाबाद गया और वह एक मुसलमान के यहां रहा, जिसके घर से एक बम बरामद किया गया है। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। हमारे अनेक साथी अहमदाबाद गये, क्योंकि उन्होंने ऐसा करना अपना कर्त्तव्य समझा। उन्हें अतिथि गृह में ठहराया गया और उन्होंने सारे शहर का दौरा उन गाड़ियों में किया, जिनकी व्यवस्था स्वयं शान्ति समिति ने की थी।

जहां तक मुसलमानों को भारतीय समझने का प्रश्न है, हमारे इतिहास के अनुसार मुसलमान भारत में कभी भी खानाबदोश बनकर नहीं रहे। वे इस देश का ही अंग बन गये हैं। मुसलमान भारत भूमि के एक अंग हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद उसे भारत भूमि पर ही दफनाया जाता है। इसलिये मुसलमान जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी इस देश के निवासी हैं। अत: हमें उनकी इस देश के प्रति निष्ठा पर सन्देह नहीं करना चाहिये। संसद को उनके भारतीयकरण के बिचार का विरोध करना चाहिये कि जो कोई भी पूरी तरह से हिन्दू नहीं है, उसे भारतीय बनाया जाना चाहिये।

गुजरात में जो कुछ हुआ, वह अकथनीय है। सरकार ने जांच नियुक्त की है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसके बारे में काफी व्यापक व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि सरकार को वास्तविक रूप से यह मालूम नहीं है कि कितने व्यक्ति हताहत हुए। गुजरात सरकार के दोष की छानबीन करने के लिये सरकार को किसी समुचित एजेन्सी द्वारा जांच कराना आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार को स्वंय स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिये और उसके अनुसार कार्य करना चाहिये।

सरकार को यह भी आश्वासन देना चाहिये कि पुनर्वास सुविधायें समुचित रूप से और ईमानदारी से दी जायेंगी। सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि मुस्लिम कर्मचारियों को काम पर

वापस लिया जायेगा । केन्द्र को उन आरोपों के सम्बन्ध में भी जांच करनी चाहिये, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं कि मुस्लिम मजदूर संघवादियों की, जिनमें कुछ साम्यवादी भी हैं, हत्या की गई । इन सब बातों को करना है । मुस्लिम और उनकी समस्याओं की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की तरह उपेक्षा की गई है । इन समस्याओं को हल करना आवश्यक है ।

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : Mr. Chairman, what has happened in Ahmedabad recently, is most shocking and painful. We all are ashamed of it. It isa blot on the good name of our country.

It has been stated that the Ministry of Home Affairs had issued a secret circular in which it was stated that no Muslim should be given employment in the public Sector undertakings but it is good and satisfactory that the Home Minister has denied the charge. Had it been true, it would have been a matter of shame for us. It is also said that only a few Muslims have been taken in Government services. It is possible that there are a few Muslims in lower cadre but in higher cadres it is not so. There a number of Muslims are holding responsible positions. It would, therefore, be better, if baseless charges are not made.

Mr. Chairman, I was stating that communal riots taken place in Ahmedabad and at other places are the outcome of very deep rooted differences which were created by the Britishers to fulfil their own political ends in the country. These differences had even brought about the partition of the country. Even after partition we have done nothing which could arouse confidence amongst the Muslims that they were safe and their interests are protected in free India. The Government must act in this direction.

The problem of communal riots is not the problem of law and order. It is human problem and it should be tackled at national level not only by the Government but also by the political and social leaders.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Mr. Chairman, It is a matter of great regret that even after the 22 years of independence communal riots take place in India. The Government has often talked about the problems of floods, Harijans, safety of Muslims and socialism but it has failed utterly on all these four-fronts.

Before independence Harijans were not killed but now it is most unfortunate that Harijans, instead of being given a better place in the society, are sometimes shot dead.

Government talk too much of safeguarding Muslim's interests and protecting their lives. But the time when communal riots took place, it could not give them protection. Therefore, instead of going into the details of incidents in communal riots, we go into their causes. Perhaps, in this way we would be able to devise some ways and means to check their recurrence in future.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

I want to say that it is in the interests of Pakistan that communal riots between Hindus and Muslims continued to take place in India because it is necessary for the very existence of Pakistan. Therefore we want both the Countries to form a confederation.

Instead of the nationalisation of Hundus and Muslims there should be modernistion of the people of the country. The Slogan of Safety of Muslims raised by the ruling party is only for the furtherance of their political ends. So far as their problem of employment is concerned Government have not taken any effective steps to solve it.

In order to get rid of these situations and for creating a healhty atmosphere in the country it is necessary to remove the prefixes such as "Hindu", "Muslim" etc. from the names of the educational institutions etc. It is also necessary to take all possible steps to do away with casteism among Hindus. In fact, all the religions are alike. The differences lay only outwardly. These artificialities have, therefore, to be removed.

Of the concrete steps to be taken for maintaining peace and prosperity in the country, proper use of newspapers, All India Radio and removal of superstitions, narrow mindedness and harmful practices is necessary. There should be common civil code for all the relegious communities. Social and economic programmes should be made and special opportunites should be given to the backward classes.

भेषज तथा चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक

DRUGS AND MAGIC REMEDIES (OBJECTIONABLE ADVERTISEMENTS) AMENDMENT BILL

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भेषज तथा चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
The Motion was adopted

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun): Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 83 का संशोधन तथा चतुर्थ अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का रखा जाना)

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
The motion was adopted

Shri Yashpal Singh: Sir, I introduce the Bill.

सरकारी उपक्रमों (करारों का अनिवार्य अनुमोदन) विधेयक

PUBLIC UNDERTAKINGS (COMPULSORY APPROVAL OF AGREEMENTS) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी द्वारा 22 अगस्त, 1968 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अब हम विचार शुरू करेंगे ।

> "कि सरकारी उपक्रमों द्वारा किये गये करारों को एक केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य छानबीन तथा अनुमोदन के लिए तथा तत्सम्बन्धी अथवा तदानुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : इस विधेयक को लाने का पूरा-पूरा औचित्य है । वास्तव में इसे पहले ही लाया जाना चाहिए था । इसमें सरकारी उपक्रमों में घाटा कम करने तथा करारों में सुधार करने के बारे में सोचना है । प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने की अवस्था तक भिन्न-भिन्न चार अवस्थाओं में जिम्मेदार औद्योगिकी विज्ञान वित्तीय अधिकारी, प्रारूप तैयार करने वाले तथा प्रशासनिक प्रधान अधिकारी को इस सम्बन्ध में ठीक ढंग से अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिये । यही नहीं कि इन पर जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए किन्तु जो हानि हुई है, यदि सम्बद्ध अधिकारी उसे रोकने में समर्थ हैं तो उसके घाटे को भी पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदार होना चाहिए । साथ ही वित्त मंत्रालय में एक ऐसा कक्ष होना चाहिए जहां संविदा का प्रारूप तैयार करने के लिए जिम्मेदार चार विभिन्न अवस्थाओं से सम्बद्ध तथा जिम्मेदार अधिकारियों में से कोई भी इसका उल्लेख कर सकता है ।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : कुछ सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया तथा कुछ ने नहीं किया है । कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिन्होंने आंशिक रूप से इस विधेयक का समर्थन किया है । इस विधेयक पर चर्चा शुरू करते हुए श्री कोठारी ने उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट तथा नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से सम्बद्ध करारों का उल्लेख किया है । उर्वरक निगम के उक्त करार की संसदीय समिति ने भी प्रतिकूल आलोचना की है । किन्तु इस सारे मामले पर जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत पेट्रोलियम और रसायन विभाग द्वारा जांच की जा रही है और आशा है कि सम्बद्ध विभाग इस बारे में निर्णय ले लेगा ।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आता है और वस्तु स्थिति के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक था । अतः यह बाद में शुरू किया गया ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन से सम्बद्ध करार में देरी किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि इसमें प्रश्न यह था कि किस प्रकार का वायुयान खरीदा जाय ।

अनेक सदस्यों ने कहा है सरकारी क्षेत्र को बड़ा घाटा हुआ है । सरकारी क्षेत्र में 83 संस्थाएं हैं इनमें से 10 विकास और वित्तीय संस्थाएं हैं, 55 कम्पनियों के रूप में चल रही हैं और शेष निर्माण अवस्था में हैं । ऐसी बात नहीं है कि सरकारी क्षेत्र की सारी की सारी

55 कम्पनियां घाटे में चल रही हैं। इनमें से 39 कम्पनियों को 38 करोड़ रुपया लाभ हुआ है और शेष कम्पनियों को 38 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इनमें से केवल एक एकक अर्थात् हिन्दुस्तान इस्पात को ही अकेले 38 करोड़ रुपये से 40 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और इस प्रकार कम्पनियों द्वारा कमाया गया सारा लाभ स्वयं एक ही कम्पनी द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी परियोजनायें हैं जो अभी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रही हैं।

घाटे के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा जो उपयोग भूमिका निभायी गयी है उस पर विचार करना होगा। इन कम्पनियों ने 121 करोड़ रुपये के रूप में मूल्यह्रास दिया है। इन्होंने 74 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में दिया है। इन्होंने सरकार को कर के रूप में 19 करोड़ रुपया दिया है। सरकारी क्षेत्र की निर्माता कम्पनियां 1967-68 में 47.62 करोड़ रुपये तथा 1968-69 में 68 करोड़ रुपये के निर्यात के लिये जिम्मेदार हैं। इनके निर्यात में सुधार हो रहा है और ये हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा दे रही हैं।

निस्सन्देह सरकार उपयोगी सुझावों की सराहना करती है और जहां कहीं भी उनके कार्यान्वयन से उपक्रमों के कार्य-संचालन या उपयोगिता में सुधार होगा, सरकार उनको कार्यान्वित करेगी।

जहां तक प्रबन्ध पहलू का सम्बन्ध है उसमें योग्य व्यक्तियों की कमी है और इसी कारण से हम सभी विभिन्न वर्गों की एक तालिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें न केवल सरकारी सेवा में कार्य कर रहे व्यक्तियों को ही लिया जायगा किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र तथा उन दूसरे लोगों को भी लिया जायगा जिनका सरकारी क्षेत्र के कार्य-चालन में विश्वास है।

साथ ही कुछ ऐसी भी कठिनाइयां हैं जैसे कि गैर-सरकारी क्षेत्र में योग्य व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक वेतन दिया जाता है।

जहां तक तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों का सम्बन्ध है, निस्सन्देह हम स्थानीय लोगों को काफी हद तक रोजगार के सभी सम्भव अवसर दे रहे हैं। लेकिन तकनीकी और अन्य ऊंचे पदों के लिए स्थानीय क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने तक सीमित करना सम्भव नहीं होगा।

जहां तक राज्यों का सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में भाग लेने का सम्बन्ध है इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता है किन्तु सरकारी क्षेत्र के कुछ ऐसे उद्यम हैं जिनमें राज्य सरकार हिस्सेदार हैं।

इस विधेयक में कहा गया है कि जहां तक सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा करार किये जाने का सम्बन्ध है इन करारों की वित्त मंत्रालय द्वारा जांच की जाय।

वित्त मंत्रालय स्वयं जिम्मेदारी नहीं ले सकता है और ठेके की पहले विधि मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है और विधि मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन किये जाने के बाद यह वित्त मंत्रालय में आयगा। इस हद तक सरकारी क्षेत्र के एककों की स्वायत्तता कम हो जायगी और हम सरकारी

क्षेत्र की परियोजनाओं को इस सिद्धांत पर नहीं चलायेंगे कि उन्हें एक औद्योगिक एकक की तरह काम करना चाहिये । इससे विलम्ब होगा और लाल फीताशाही पैदा होगी ।

सरकार इस विचार से सहमत है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा किये गये करारों के विभिन्न पहलुओं की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए और इन्हें इस ढंग से कार्य करना चाहिए जिसमें यदि किसी व्यक्ति को विशेष कार्य के लिए किराए पर लिया जाता है और वह अपना काम ठीक ढंग पर नहीं करता है तो सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के पास उन्हें निकालने के अधिकार होने चाहिये ।

संसदीय समिति द्वारा टिप्पणी करने के बाद जब यह मामला सरकार के सामने आया तब हमने ब्यूरो से सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को ऐसे दृष्टिकोण के बारे में, जिन्हें इन करारों या ठेकों को करते समय अपनाना चाहिये, सामान्य अनुदेश जारी किये हैं । लेकिन किसी विशेष ठेके की जबाबदेही या जिम्मेदारी, निसन्देह, उन पर निर्धारित की जानी चाहिये, जिन्हें हमने अधिकार दिया है और इस हद तक यदि वे इसमें असफल रहते हैं, तो हमें निसन्देह इस स्थिति में यह होना चाहिए कि हम इस पर विचार करें और जहां कहीं भी त्रुटियां पाई जायं, उनको दण्ड दिया जाय ।

जो विशेष सुझाव दिये गये हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम उनकी जांच करेंगे कि किस हद तक प्रशासकीय अनुदेशों के माध्यम से सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिये जाने चाहिये ।

अतः मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक को वापस लें ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : माननीय मंत्री ने इस विधेयक की भावना की प्रशंसा की है और इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि समझौतों में जहां कहीं भी त्रुटियां पाई जायं और जिन लोगों ने ये त्रुटियां की हैं, उन्हें सजा दी जानी चाहिए । मैं इसके लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं खुशी की बात है कि ट्राम्बे उर्वरक परियोजना के मामले में एक जांच आयोग भी नियुक्त कर दिया गया है ।

सरकारी उपक्रमों में स्वायत्तता जरूरी है । इससे वे सुचारु रूप से काम कर सकेंगे । किन्तु कुछ मूल बातों की, जैसे विदेशी सहयोग प्राप्त करना या भारी धन-राशि के समझौते करना आदि की छानबीन सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए । जब प्रारूप समझौते वित्त मंत्रालय के पास पर्यवेक्षण के लिये भेजे जायें तो एक समय सीमा-निर्धारित कर देनी चाहिए जिसमें वित्त मंत्रालय समझौतों का पर्यवेक्षण करके उन्हें लौटा दे । किन्तु उचित पर्यवेक्षण जरूरी है ।

लगता है कि भारत सरकार ने रूस के साथ समझौते आंख मूंद कर किये हैं और उन्होंने इसकी जांच-पड़ताल भी नहीं की क्या ये समझौते एकतरफा हैं या जो तकनीकी ज्ञान हमें रूस से प्राप्त हो रहा है वह अप्रचलित अथवा पुराना है । इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्ज लिमिटेड के मामले में यही हुआ है । सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने एक स्थान पर कहा है कि सहयोगकर्ताओं ने जो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है उसमें निर्माण के समय का कार्यक्रम, पूंजी लागत प्राक्कलन और लागत की अनुमानित लागत का उल्लेख नहीं किया गया है ।

करोड़ों रुपये की इस परियोजना से सम्बन्धित समझौते केवल विश्वास के आधार पर ही किये गये । रूस ने हमें अप्रचलित तकनीकी ज्ञान और पुरानी मशीनें दे दी हैं और हमारी सरकार के इसे बिना छानबीन किये स्वीकार कर लिया है ।

समझौता चाहे रूस के साथ हो या अमरीका के साथ, भारत सरकार को देखना चाहिये कि जो तकनीकी ज्ञान हमें दिया जा रहा है वह पुराना तो नहीं है और इन समझौतों का पालन न किये जाने के लिये दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

विदेशी सहयोग प्राप्त करते समय इसकी अच्छी तरह छानबीन की जानी चाहिये । ऐसे समझौते को अन्तिम रूप से स्वीकार करने से पहले उनकी छानबीन के लिये केन्द्रीय सरकार को एक विशेष विभाग खोलना चाहिए ।

इस विधेयक को स्वीकार करके सरकार सरकारी क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा करती । विधेयक के उपबन्धों द्वारा लोक-हित की और जनता के धन की रक्षा होगी ।

चूंकि मंत्री महोदय इस विधेयक की भावना से सहमत हैं और वे यह सुनिश्चित करने के लिये कि उचित समझौते किये जायें, प्रशासनिक अनुदेश जारी करने के लिये तत्पर हैं मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं ।

सभापति महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को यह विधेयक वापस लेने की अनुमति देती हैं ?

माननीय सदस्य : हां ।

विधेयक, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।
The Bill was by leave withdrawn

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 75 तथा 164 का संशोधन)

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Sir, I beg to move for the consideration of the Constitution (Amendment) Bill, 1968. This Bill should be amended so as to provide that a Minister who for any period of six consecutive months is not a member of Lok Sabha in the Legislative Assembly, as the case may be, should cease to be a Minister.

We have adopted democratic system of Government. It is, therefore, proper that persons who are directly elected by the people occupy positions of authority in the Government. It would be proper not to appoint Ministers through back door by making them Members of the Rajya Sabha. As a matter of fact ultimately it should be provided that no Member of Rajya Sabha would be appointed a Minister.

The persons who are elected by the people can read the pulse of the people and understand their feelings. Those who are members of Rajya Sabha or Vidhan Prishad do not have direct touch with the people and, therefore, do not understand their feelings. Therefore, Members of Rajya Sabha or Vidhan Parishad should not be made Ministers.

In Bihar, a person was made a Chief Minister for two days to nominate another person to the Legislative Council so that he could become the Chief Minister. This is how the provisions of the Constitution in regard to nominating persons to Rajya Sabha and Legislative Councils are misused.

After the 1967 elections, no single party gained majority in a number of States. Government came to power and fell. In this state of instability, there was horse-trading. Even politicians rejected by the people in the elections were appointed to gain majority.

Legislative Councils have been abolished in Punjab and Bengal. All the Upper Houses should have been abolished following that example.

With the split in the Congress Party a situation of instability has come about at the Centre. It is feared that the ruling party might indulge in political horse-trading to win over Members.

In view of the prevailing political situation in the country and in order to strengthen democratic principle, it is essential to ensure that the persons who have not been elected by the people in elections do not occupy the important positions which empower them to frame and work out the policy of the Government.

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। संविधान बनाने वालों ने अनुच्छेद 75 के "संसद के किसी भी सदन" शब्द को रखकर इस उपबन्ध विशेष को इसकी सच्ची भावना के साथ लिया था। अब इस संशोधन में यह मांग की गई है कि उन शब्दों के स्थान पर "लोकसभा" रखा जाय। इसमें संशोधन करना सही नहीं होगा। सारी दिक्कत तो यह है कि पिछले 20 वर्षों में शासक दल ने उन उपबन्धों का दुरुपयोग किया है और दल पद्धति तथा दूसरे सदनों का उपहास किया है। इन उपबन्धों का उपयोग उन व्यक्तियों को गलत तरीके से मंत्री बनाने के लिये किया गया जिन्हें लोगों ने अस्वीकृत कर दिया था। इन उपबन्धों का वास्तविक उद्देश्य यह था कि महान् चरित्र तथा तकनीकी योग्यता वाले लोगों की राष्ट्र सेवा का मौका दिया जा सके। संविधान निर्माता निर्माताओं ने जिन उद्देश्यों के लिये इन संविधान उपबंधों को संविधान में शामिल किया था उन्हीं उद्देश्यों के लिये ही इन उपबन्धों का प्रयोग करना उचित होगा।

योग्य और तकनीकी लोगों को जनता की सेवा करने के लिये राज्य सभा या दूसरे सदन का सदस्य बनाने का मार्ग नहीं बन्द किया जाना चाहिये। यदि ऐसे व्यक्ति प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री नहीं बनाये जा सकते तो इन्हें मंत्री बनाना चाहिये।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Shri Kanwar Lal Gupta has laid this Constitution Amendment Bill. I am glad to learn that his party has started believing in Democracy. This Bill is welcome. In a democracy the chosen representatives of the people should become ministers. If the defected members are appointed ministers through the back door by making them members of Rajya Sabha or Upper House people will start doubting the bonafides of the Government. Upper House both in the Centre and in the States should be abolished. They are unnecessary burden on our economy.

In the Upper House by and large rich people get the seats through the influence of their money. If technical experts or men of high calibre who can serve the nation could become members of Rajya Sabha or the State Legislative Councils, there could be some utility of these Houses.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Opinion in favour of abolishing Upper Houses is gaining ground in our country. The present Bill is useless in view of this opinion.

At present there is no provision in Article 329 for recall of Members of legislature in case the electorate lost confidence in their representatives. Such a provision should be made in the constitution. That will put an end to the problem of defections.

In America and some other countries, even a person who is not a member of either House of Parliament can be appointed a Secretary or Minister. This does not spoil their democracy in any way. So long as upper houses exist in our country there is no harm in making a technically qualified person a Member of Rajya Sabha or Vidhan Parishad and making him a minister.

Sometimes eminent persons who had done great service to the country are defeated in the elections. That does not mean that their contribution to the country or to the public life has become less.

Mr. Speaker: Shri Randhir Singh.

Shri S. M. Banerjee: Mr. Chairman, Sir, I would like to know whether only Constitution experts will be called to take part in this discussion.

Mr. Speaker: No, All members are being called.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : We have democratic form of Government in our country. In a democracy the elected representatives of the people should become Ministers because such representatives know about the problem and difficulties of the people. It is undemocratic to bring in Ministers through the back door.

Punjab and Bengal have abolished Legislative Councils. A feeling is growing in the country that Upper Houses should be abolished. If that is done there would be no need to bring in this Bill. But that may take time. Till this is done, it would be good to accept the provisions of the present Bill, which are based on democratic priciples.

Certain persons become the member of Upper House through their influence with persons in authority or through the influence of their money then they become Ministers also. They have no contact with the masses and they are not leaders of masses in true sense.

If there is some difficulty in amending the Bill at least a convention should be evolved that only members of Lok Sabha or Vidhan Sabha would be made Ministers.

श्री जी० विश्वनाथन (वन्डीवाश) : सभापति महोदय, श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा पेश किए गए संविधान (संशोधन) विधेयक से जहां मैं सिद्धान्त रूप से सहमत हूं वहां संवैधानिक रूप से मैं इसके विरुद्ध हूं क्योंकि इसका अर्थ राज्य सभा को हटाना होगा। इसमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों में भेदभाव दिखाया गया है। लोक सभा का सदस्य मंत्री बन सकता है किन्तु राज्य सभा के सदस्य को मंत्री बनने की मनाही होगी। फिर फरवरी 1967 को राज्य सभा का सदस्य मंत्री बन सकता है परन्तु मार्च अथवा अप्रैल, 1967 को बना राज्य-सभा का सदस्य मंत्री नहीं बन सकेगा। यह कैसे हो सकता है।

फिर, यह विधयक अप्रत्यक्ष चुनाव का भी विरोध करता है जबकि ऐसे चुनाव हमारे संविधान के अन्तर्गत मान्य हैं जैसे कि अन्य देशों में। हमारे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने 50-60 वर्ष के अपने राजनीतिक कार्यकाल में एक भी चुनाव नहीं लड़ा। अतः हमें सीधे चुनाव पर ही नहीं अड़े रहना चाहिये।

राज्य सभा भंग करने की बात हमारे देश के संघीय स्वरूप के विरुद्ध है इसमें सदस्यों के चुनाव का ढंग सुधारा जा सकता है, राज्य सभा की कार्यप्रणाली में संशोधन और सुधार लाया जा सकता है परन्तु इसे भंग करने की बात करना गलत है ।

इसलिये यद्यपि मैं राजनीतिज्ञों को पद दिलाने के लिये चोर द्वार के प्रयोग के विरुद्ध हूं परन्तु मैं राज्य सभा समाप्त किए जाने के लिए भी सहमत नहीं हूं, अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Chairman. I support this Bill whole-heartedly and congratulate Shri Kanwar Lal Gupta, the Mover of this Bill. I want Upper Houses to be abolished in the entire country, only then yes-men and those who do not have the courage to face the electorate would be barred from sharing power wielded by their friends and bosses. Constitution is not Gita or Quran or the Bible that it cannot be amended, many amendments have already been incorporated in it at times. This one is also worth acceptance by Government. With these words I support this Bill.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Sir, the party to which the Mover belongs neither believes in democracy nor democratic traditions. They talk of safeguarding the Constitution in the House, whereas they have no faith in it elsewhere. The neo Jan Sanghis consider themselves more patriotic than others.....**(Interruptions)**. But we have received as much remission in Jail-terms as is their entire age.....**(Interruptions)**.

Shri K. L. Gupta : They must have had to go to jails for being such agent..... **(Interruptions)**.

Shri Sarjoo Pandey : This neo-Syndicate, it is true that during elections..... **(Interruptions)**.

Mr. Chairman : Please come to the point.

Shri Sarjoo Pandey : Purchasing votes and false voting is resorted to by Jan Sangh as happened in U. P.

Shri K. L. Gupta : On a point of order Sir, The allegations of Shri Pandey are baseless. We do not receive Soviet funds. We spend our own money.....**(Interruptions)**.

Mr. Chairman : This is no point of order. But, I would request that instead of indulging in mud-slinging, Hon. Members should be relevant to the subject..... **(Interruptions)**.

Shri Sarjoo Pandey : Sir, Entry of politician through back door is common to all parties. Many able and distinguished persons are not able to win elections, this provision is for them. This amendment is therefore inconsequential, hence I oppose it.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I support this measure because I want that only people's representatives should find a berth in Centre and State Cabinets. The Committee on Defections had also received a proposal to the effect that Chief Ministers and the Prime Minister should be members of the lower House only. All parties are guilty of this. The Congress chose Smt. Gandhi as Prime Minister, D. M. K. chose Shri Annadorai as Madras Chief Minister and the C. P. I. included Smt. Renu Chakarvartty as a minister in W. Bengal. Recently Shri Achyuta Menon, a Member of Rajya Sabha was imported in Kerala

to head a new cabinet with the blessings of Mrs. Gandhi. I therefore criticise and oppose all those parties who do this to keep themselves in power.

I therefore whole heartedly support this Bill.

Shri G. B. Kripalani (Guna) : Sir, I welcome this measure. It is a very laudable principle. In fact this was started by Congress in 1952 when C. Rajagopalachari was made Madras Chief Minister when he was not even a Member of the State Council. This measure should be acceptable to all. I, therefore support this Bill.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : यह विधयक उन बुराइयों में से कुछेक को दूर करने के आशय से लाया गया है जो इस समय हमारे देश में फैली हुई हैं ।

यद्यपि हमारे संविधान बनाने वालों के मन में यह विचार रहा होगा कि कुछ ऐसे गुणवान व्यक्तियों को राज्य सभा में लाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाये जो चुनाव न जीत पाएं क्योंकि ब्रिटेन में ऐसा ही होता है जिसका संविधान सामने रखकर हमारा संविधान बनाया गया है । परन्तु इस उपबन्ध का दुरुपयोग ही अधिक हुआ है । हमारे जैसे विशाल देश में अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनिवार्य है । दल बदलने की प्रवृत्ति का मूल कारण तो कुछ और ही है । फिर भी श्री गुप्त का यह विधेयक समय की आवश्यकता है । अत: मैं इसका समर्थन करता हूं और साथ ही अनुरोध करता हूं कि दल बदलने की प्रवृत्ति समाप्त करने के लिए कुछ और उपाय किए जाएं ।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : यह विधयक भ्रान्तिपूर्ण है । संविधान में किए गए उपबन्ध बिल्कुल ठीक और उचित हैं । वहां कहीं भी हारे हुए व्यक्तियों को मंत्री बनाने की आज्ञा नहीं है । अतः विधेयक पेश करने वाले और इसका समर्थन करने वालों के तर्क निराधार हैं । इसलिए मैं, विधेयक का विरोध करता हूं ।

विधि मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद यूनस सलीम) : सभापति महोदय, यद्यपि श्री गुप्त जी का संशोधन सीधा दिखाई देता है किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । श्री गुप्त का सुझाव है कि संविधान के अनुच्छेद 75 (5) में 'किसी सदन' के स्थान पर 'लोक सभा' रखा जाए । फिर अनुच्छेद 164(4) के संबंध में श्री गुप्त ने अपने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा है कि .....

श्री शिव नारायण : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

Mr. Chairman : The Hon. Minister should finish his speech early.

श्री यूनस सलीम : मुझे कम से कम 15 मिनट लगेंगे ।

सभापति महोदय : तो इसे आप कल करें ।

As there is Prime Minister's statement at 6 p. m. and thereafter Shri Shastri's half-an-hour discussion would be taken up. Therefore we are helpless.

Shri Ram Sewak Yadav : We can sit for another half-an-hour and take it up to finish.

Mr. Chairman : It would not be possible to take it up at present.

आसाम के आर्थिक विकास के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. ECONOMIC DEVELOPMENT OF ASSAM

प्रधान मंत्री श्रीमती (इन्दिरा गांधी) : असम के आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिये भारत सरकार सदैव उत्सुक रही है। अतः असम की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने के मामले में विशेष ध्यान रखा गया है। असम में तेल साफ करने की अतिरिक्त क्षमता के सम्बन्ध में तकनीकी आर्थिक सम्भावनाओं की जांच करने के लिए नियुक्त समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने पर सरकार ने अब निर्णय किया है कि चौथी योजना की अवधि में असम की वर्तमान तेल साफ करने की क्षमता में दस लाख मीट्रिक टन से कुछ अधिक वृद्धि की जाये। यह वृद्धि विस्तार के जरिये या तेल साफ करने का अतिरिक्त कारखाना स्थापित करके की जाये।

भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ तेल के साधनों पर आधारित असम के औद्योगिकरण के लिये उपाय किये जाने की आवश्यकता को माना है। तेल साफ करने की क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि से पर्याप्त कच्चे माल के उपलब्ध होने पर सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि एक एकीकृत डी० एम० टी० पोलिस्टर धागा पैट्रोलियम रसायन उद्योग समूह स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ चौथी योजना में जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है, उचित व्यवस्था की जाएगी।

आसाम में वनों की उपज पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने की गुंजाइश है। हाल ही में सरकार ने असम में कागज की लुग्दी का कारखाना खोलने के लिए एक कागज निगम स्थापित करने का निर्णय किया है।

सरकार ने ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण आयोग के जरिए असम में बाढ़ नियन्त्रण की एक व्यापक योजना तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी है। यह निर्णय किया गया है कि इस प्रकार का आयोग स्थापित किया जाए और इसको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाए।

---

*हिन्दी भाषी राज्यों के उच्च न्यायालयों में राष्ट्र भाषा का प्रयोग
**USE OF NATIONAL LANGUAGE IN THE HIGH COURTS OF HINDI SPEAKING STATES

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Government is not earnest in regard to the use of Hindi in the High Courts. The Constitution provide that the Governor of a State may, with the previous consent of the President of India, authorise the use of Hindi in the High Courts, even before 1965. But nothing has been done in this regard. In 1963, this decision of the Constituent Assembly was incorporated in the Official Language Act but even that has been put in cold storage. Does it not show that Government is not earnest and honest about its professions ?

---

* आधे घन्टे की चर्चा

**Half-an-hour discussion.

Authoritative translations of about 150 acts have so far been published. In Hindi speaking states most of the legislation is being done in Hindi. Above all the Law Ministry has arranged for the publication of the decisions of the Supreme Court and the High Courts in Hindi. Even then if it is argued that it would be inconvenient for the High Court to carry on their work in Hindi, then it is difficult to be convinced about it. In fact, in some States, the High Courts are eager to switch over to the use of Hindi and have asked for Central Governments permission to do so. There should not be any delay in this regard.

It is no use saying that Hindi language is not rich enough for the purpose of giving decisions in High Courts. Before independence, there were many States like Gwalior and Indore where the High Courts used to pronounce their decisions in Hindi. It was an irony that after independence when those States were merged to form the States of Madhya Bharat, then the High Court of the newly formed State was asked to conduct its business in English. Is it not a step in the reverse direction ?

It is very strange to say that the district courts can give their decisions in Hindi but not the High Courts. After all the High Court Judges are drawn from the district courts and if they can give their decisions at the district level in Hindi there is no reason why should there be any difficulty at the High Court level.

If it is argued that the decisions given in Hindi cannot be referred to in the Madras High Courts, that difficulty can be overcome by providing for their immediate translation into English.

It is high time for the Government to realise the feelings of the people and take some early steps for the use of Hindi in the High Courts of the Hindi speaking States. Let them not wait for the day when the people are compelled to burn the decision in English.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : It is wrong to say that the Centre is not earnest in expediting the use of Hindi. The Central Government would not stand in the way of any State Government that want to use Hindi or regional language in its High Courts. So far, as Allahabad High Court has asked for such permission and the same has been granted. Our information, is that some of the judges there are doing their work in Hindi.

If there is any hurdle, it is not from our side. The facts is that the State Governments and the High Courts are going very slow in the matter. We wrote to the States to implement Section 7 of the Official Language Act. Only three of them, namely Gujarat, Rajasthan and Uttar Pradesh have agreed to implement it while others have not agreed. We are trying to make these State Governments to agree to it. But it cannot be imposed on them. We all should endeavour to create an atmosphere in which all High Courts and the Supreme Court may feel inclined to switch over to the use of Hindi. All M. P's. representing different States should pursue their respective State Governments in this regard.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : In Article 344 of the Constitution it has been provided that :—

"It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to :—

(a) the progressive use of the Hindi language for the official progress of the Union."

But it is a matter of regret that even after 22 years of independence, we have not achieved much in this regard. But in the contrary, we are going in the reverse direction. In Osmania University, the medium of instruction was Urdu. But after independence, we have adopted English as the medium of instruction in that University.

In theory, we are all against the use of English and for the use of the Hindi language but our actions speak otherwise. When a student goes to any Foreign Country, he learns the language of that Country within a period of Six months. But it is very strange that our I. A. S. and I. P. S. officers and judges have not so far learnt our regional languages even after a period of 19 years. If Government do not adopt regional languages as media of various examinations and instructions, all our efforts in this direction would prove futile.

There should not be any hesitation in granting permission to the Rajasthan to switch over to Hindi under Section 7. We should not wait for the reaction of other States in this regard.

Shri Rabi Ray (Puri) : I am of the firm belief that justice would be administered proper to the people only when plaintiffs, defendents and judges all make use of the languages which they understand very well.

High Court Judges are appointed by the President of India. Government should lay down a condition that only those judges who are capable of giving decisions in Hindi would be appointed especially in Hindi speaking States such as Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana etc.

I hope the Hon'ble Minister would assure the House that High Courts in four Hindi-speaking States would switch over to the use of Hindi for their work and other High Courts would follow suit.

Shri Vidya Charan Shukla : I am sorry the Hon'ble Member did not hear me properly. We have no objection in permitting High Courts and State Governments to start their work in Hindi. Only Allahabad High Court had asked such permission which was given to them. As for laying down any condition for the appointment of High Court Judges, it is not possible. No one accepts such conditions.

The Government of India have been giving all sorts of encouragement for the use of regional languages in the regions and for the Hindi language at the Central level. Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar etc. can straightaway start carrying on their work in Hindi. They need not seek the advice of the Central Government in this regard. We do not impede the use of Hindi or any other regional language in anyway. Any State Government is free to switch over to Hindi or to any other regional language for official purpose. The Central Government do not come in their way.

It is wrong to say that the use of Hindi and other regional languages has not increased. Many states have started carrying on their work in Hindi or in other regional languages.

Those who are making the language issue a political issue, are harming the cause a great deal. Lovers of Hindi and the regional languages should cooperate with the Government of India in promoting the use of Hindi and regional languages.

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 8 दिसम्बर, 1969/17 अग्रहायण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, the 8th December, 1969/ Agrahayana 17, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 4-3-70—600